लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४६००–०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन	४६००–०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी	४६०५–०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १६६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०१७–१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१६
१. सीमा शुल्क विधेयक	५०१६
२. विशिष्ट सहायता विधेयक	५०१६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	५०१६—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१६—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे में संकल्प	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५६—६४

विषय	पृष्ट
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संक्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक सभा

गुरुवार २१ जून, १९६२
३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में बिजली के ट्रांसफार्मरों का कारखाना

+

†*१५६१. **श्री स० चं० सामन्त ।**
श्री म० ला० त्रिवेदी ।
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर ।
श्री म० व० राघवन् :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में १·१ करोड़ की लागत से बिजली के ट्रांसफार्मरों का एक कारखाना स्थापित करने के लिये जापान के मेसर्स हिताची के साथ एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस कारखाने की क्षमता और उत्पादन कितना होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) मेसर्स हिताची ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलक्ट्रिकलस (केरल) लिमिटेड त्रिवेन्द्रम, और जापान के मेसर्स हिताची के बीच परस्पर सहयोग की शर्तें भारत सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं। करार का प्रारूप अब अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

(ख) यह कारखाना केरल के एर्नाकुलम जिले में अनकमाली नामक स्थान पर खोला जाने वाला है।

(ग) इस फर्म को ५०,००० के० वी०ए० की सीमा तक के ट्रांसफार्मर तैयार करने की अनुमति दी गयी है। क्षमता अभी निश्चित नहीं की गयी है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या केरल राज्य से कोई विनियोजन होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जी, हां। केरल सरकार २५ प्रतिशत तक रकम लगायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

1270 (Ai) LSD—1.

†**श्री स० चं० सामन्त** : और कौन कौन साझेदार हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : मेसर्स हिताची २५ प्रतिशत रकम लगायेंगे, २५ प्रतिशत केरल सरकार लगायेगी और बाकी के शेयर होंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस कार्य में पूरा कितना व्यय आयेगा और हितेची कम्पनी को इस में साल व साल कितना लाभ मिला करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस की क्या फिक्र, वह लोग खुद तय कर लेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : जब वह हमारे यहां कारखाना लगा रहे हैं.

†**श्री प्र० चं० सेठी** : सामान्य पूंजी १.५ करोड़ रुपया होगी और सहयोग की शर्तें अंतिम रूप से निर्धारित की जायेंगी। यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं सहयोग की शर्तें पढ़ सकता हूं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : इस कारखाने में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : एक अलग नोटिस दिया जाना चाहिये।

†**श्री कुन्हन** : यह कारखाना कब चालू होने जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : पहला दौर दो साल की अवधि में पूरा हो जायेगा जबकि १५,००० के० वी० ए० ट्रांसफार्मर तैयार किये जायेंगे। दूसरा दौर डेढ़ साल में पूरा होगा।

औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय संस्था

+

†*१५९२. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कि

(क) औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसमें कितना खर्च होगा ; और

(ग) इस संस्था के लिये धन किस प्रकार इकट्ठा किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) बंबई में ३५ एकड़ की एक जमीन प्राप्त की गयी है और संस्था के प्रबन्ध के लिए एक बोर्ड आफ गवर्नर्स कायम किया जा चुका है।

(ख) अनुमान है कि इमारतों और साज सामान तर ४४ लाख रुपये की लागत आयेगी और ७.४६ लाख रुपया आवर्तक व्यय होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इमारतों और साजसामान के लिए ४२.५७ लाख रुपया और आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी। आवर्तक व्यय का बाकी ५० प्रतिशत संस्था प्रशिक्षार्थियों की फीस से पूरी करेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि ने अनुमानतः ६०५,१०० डालर (लगभग २९ लाख रुपये) के मूल्य का साजसामान, विशेषज्ञ और छात्रवृत्तियां देना मंजूर कर लिया है।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस संस्था के पाठ्यक्रम में अनेक विषय रखे हुए मालूम होते हैं और अवधि १ हफ्ते से २२ हफ्ते तक रखी जा रही है। क्या इस अवधि में इतने किस्म के विषय पूरे किये जा सकते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वह पाठ्यक्रम के रूप पर निर्भर होगा। यह स्पष्ट है कि जिस पाठ्यक्रम के लिए २२ हफ्ते आवश्यक हैं वह एक हफ्ते में पूरा नहीं होगा और जो पाठ्यक्रम १ हफ्ते में पूरा किया जाने वाला है वह एक ही हफ्ते में पूरा किया जायेगा।

†**श्री महेश्वर नायक** : कुछ समय पहले एक प्रस्ताव था कि विभिन्न उद्योग उस तरह की संस्था स्थापित करने के लिए अंशदान देंगे। क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित करने में उद्योगों ने अपना कार्य किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : उद्योग तो अवश्य ही सहयोग देंगे। जैसा कि मैंने बताया आवर्तक व्यय कई मामलों में संबंधित उद्योगों द्वारा प्रशिक्षार्थियों की फीस से पूरा किया जायेगा ?

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रशिक्षार्थियों के चुनाव का आधार क्या होगा और क्या विभिन्न राज्यों के लिए कोई कोटा होगा या वे खुली प्रतियोगिता के जरिये आयेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जब संस्था पूरी तौर से काम करने लगेगी तब उसकी क्षमता सालाना लगभग १४०० टैक्निशियनों की होगी और अनुमान है कि सम्पूर्ण भारत की जरूरत पूरी की जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस संस्था में प्रशिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी और वह प्रशिक्षार्थियों संबंधी आवश्यकता कहां तक पूरी कर सकेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी अभी बताया है कि लगभग १४०० प्रशिक्षार्थी निकलेंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : यह संस्था संभवतः कब से चालू होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमने इसे तीसरी योजना के उत्तरार्ध में चालू करने की योजना बनायी है। इसलिए यह शायद अगले साल या उससे अगले साल आरम्भ होगी।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या यह संस्था केवल सरकार द्वारा चलायी जायेगी या उसमें उद्योग का भी सहयोग प्राप्त होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने अभी अभी बताया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कायम किया जा चूका है। वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा चलाया जायेगा और सरकार द्वारा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त** : प्रशिक्षण की राष्ट्रीय संस्था से हर साल जितने तकनीकी पर्यवेक्षक प्रशिक्षित किये जायेंगे क्या वे उद्योग की आवश्यकता के अनुपात में होंगे और काफी अधिक संख्या में उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या इस तरह के और केन्द्र भी खोलने का विचार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस तरह की संस्था स्थापित करने का हमारा यह पहला प्रयास है। आशा है कि इस के बाद भारत के दूसरे भागों में भी इसी तरह की और संस्थाएं खोली जायेंगी।

†**श्री पं० कुन्हन** : : इस संस्था में क्या क्या पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ३१ विभिन्न पाठ्यक्रम हैं। मैं एक या दो बता सकता हूं। ऐडवान्सड् वर्क मेजरमेंटस् ' संबंधी कई पाठ्यक्रम होंगे , 'वर्क मेजरमेन्ट्स एण्ड इन्सेन्टिव्स " के पाठ्यक्रम होंगे, उत्पादन , आयोजन और नियंत्रण के बारे में और विक्रय संगठन के संबंध में कुछ पाठ्यक्रम होंगे . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी ३१ पाठ्यक्रमों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्री उ० मू० त्रिवेदी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या ये पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट होंगे या वे किसी विश्वविद्यालय के नियंत्रण से मुक्त होंगे ?

श्री हुमायून् कबिर : ये एक प्रकार के व्यावहारिक प्रशिक्षण क्रम हैं और जो लोग पहले से रोजगार में हैं उन्हें कुछ सिद्धान्तिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका विश्वविद्यालयों से कोई संबंध नहीं है।

खानों के लिये प्रविधिक कर्मचारी

†*१५९३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में नियुक्ति के लिये तैयार रखने के लिए प्रविधिक कर्मचारियों का एक 'पूल' स्थापित करने की कोई व्यवस्था की है ;

(ख) खाने बन्द हो जाने या खनिज पदार्थ समाप्त हो जाने से प्रविधिक कर्मचारियों की मांग कम हो जाने के कारण बहुतायत वाले क्षेत्रों से मांग वाले क्षेत्रों में प्रविधिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण को विनियमित करने वाली कौन सी वर्तमान पर्यवेक्षी संस्था है ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को, जो थोड़े समय के लिये बेरोजगार हो जाते हैं और नये रोजगार ढूंढते हैं, निर्वाह भत्ता देने की कोई व्यवस्था है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) खानों में नियुक्ति के लिए तैयार प्रविधिक कर्मचारियों का कोई संग्रह (पूल) नहीं है। फिर भी योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगि कर्मचारियों की, जिन में खनन इंजीनियरो मे प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हैं, अस्थायी रूप में नियुक्ति के लिए जब तक कि वे उपयुक्त पदों पर स्थायी रूप से नहीं रख लिये जाते, एक संग्रह बनाया हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् इस संग्रह का नियंत्रण करती है।

(ख) फिलहाल ऐसी कोई पर्यवेक्षी संस्था नहीं है। फिर भी कुछ श्रेणियों के खाली स्थानों की सूचना परिचालित करने के लिए रोजगार दफ्तरों में व्यवस्था की गयी है। साथ ही वहां यह भी

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था है कि दूसरे पेशों के रजिस्टरशुदा लोगों की जो दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार है, सूचियां तैयार की जायें और उन्हें परिचालित किया जाये । इन सुविधाओं का लाभ वे कर्मचारी भी उठा सकते हैं जो किसी रोजगार दफ्तर में रजिस्टरशुदा हों, और जहां वे दर्ज हों वहां किसी कारणवश अतिरिक्त घोषित किये गये हों, और जहां अतिरिक्त मांग है उन क्षेत्रों में खाली जगहों के लिए उन पर विचार किया जायेगा ।

(ग) कोई नहीं । उपर्युक्त संग्रह-पदाधिकारियों (पूल आफिसर्स) की निर्धारित उपलब्धियों की अदायगी को छोड़कर ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि सरकार की उद्घोषित नीति प्रौद्योगिकी के जरिये खानों में उत्पादन बढ़ाना है, क्या संबंधित कर्मचारियों का नैतिक धैर्य बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है और यदि हां, तो इस प्रश्न को, जो केवल भौतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है, किस प्रकार निबटाने का सरकार का विचार है ।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जहां तक हमें मालूम है, योग्यता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों के लिये खासकर खनन इंजीनियरों को जो कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त हुए हों, रोजगार ढूंढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है । वास्तव में खनन इंजीनियरों की कमी है । कुछ लोग अवश्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में परीक्षाएं पास की हैं और उन्हें शायद कुछ महिने बिना रोजगार के बिताना पड़े । मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार काफी संख्या में खनन इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यवाही कर रही है और उन्हें नौकरी में रख लिया जायेगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये जिनकी सेवाएं प्रौद्योगिकी में कुछ आविष्कार लागू किये जाने के कारण भंग हो जाती हैं, सरकार न कौन सी प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो क्या उन्हें आश्वासन दिया जायेगा कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से उनकी सेवाओं की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : फिलहाल ऐसी कोई विशिष्ट संस्था नहीं है जो सवाल के इस पहलू पर विचार कर रही हो । लेकिन जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया, वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय जो विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त कर के भारत लौटने वाले और जिन्होंने यहां किसी विशिष्ट पद के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है, ऐसे तकनीकी कर्मचारियों के हितों की देखभाल करता है, एक रजिस्टर रखता है । उन कर्मचारियों को, अन्तरिम कार्यवाही के तौर पर, कोई काम दे दिया जाता है । उसके बाद, इस बात की गहरी छान बीन की जाती है कि वे कहां जाते हैं और उनके हितों की किस प्रकार देख भाल की जाये ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना के अंत तक खानों के लिए कितने तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी और यदि हां, तो वह जरूरत कितनी है और वह जरूरत पूरी करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, खनन उद्योग में तकनीकी की जरूरतों के संबंध में अभी हाल में ही एक सर्वेक्षण पूरा हुआ है । यहां मेरे पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि तीसरी योजना के आखिर में उनकी जरूरत कितनी होगी ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या खनन प्राविधिक कर्मचारियों की वर्तमान कमी पूरी करने के लिए उनके प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डे० मालवीय** : जी हां। कई स्थानों पर ये सुविधायें पहले से ही मौजूद हैं। हमने छात्रों की संख्या और प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा दी हैं। अभी हाल में हमने डिप्लोमा वालों और कुछ अन्य प्रकार के जूनियर टेक्निशियनों के लिए स्कूल खोलना भी शुरू किया है ।

भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा काम में लाई गई पी० एल० ४८० निधियां

†*१५९४. **श्री नम्बियार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा खर्च किये जाने के लिये अमरीका के साथ पी० एस० ४८० करार के अधीन कुल कितनी रकम रखी गयी है ;

(ख) उस में से कितनी रकम सरकार अमरीकी दूतावास को दे चुकी है ; और

(ग) उस में से कितनी रकम का उपयोग अमरीकी दूतावास ने किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) आजतक जिन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं ऐसे पी० एसल० ४८० करारों के अधीन ११३१·७१ करोड़ रुपये की रकम में से कुल १४५·१२ करोड़ रुपये की रकम अमरीकी सरकार के उपयोग के लिए रखी गयी है ।

(ख) यों तो भारत सरकार अमरीकी दूतावास को कोई रकम नहीं दे रही है। ज्यों ही अनाज और दूसरे कृषिपदार्थों का आयात होता है, उसकी अदायगी भारत के रिजर्व बैंक में अमरीकी सरकार के खाते में रुपयों में कर दी जाती है । ३१–३–१९६२ को ६०२ करोड़ रुपये की इस प्राप्ति में से ९१ करोड़ रुपये की रकम अमरीकी सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध कर दी गयी थी।

(ग) चूंकि यह विदेशी सरकार के दूतावास के खर्च से संबंधित है, इसलिए यह बताया नहीं जा सकता ।

†**श्री नम्बियार** : इस बात को देखते हुये कि भारत में अमरीकी दूतावास के उपयोग के लिये इतनी बड़ी रकम रखी गयी है, क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी हैं कि यह रकम किस तरह इस्तेमाल की जा रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : अमरीका के लिये कोई चीज नियत करने का कोई प्रश्न नहीं है। ११३१ करोड़ रुपये की संपूर्ण धनराशि अमरीका की है और उसने जो अनाज हमें दिया है उसके बदले में वह रकम उसे दी गयी हैं। इसलिये हमारे नियत करने का कोई प्रश्न नहीं है। उस रकम में से वह ८० प्रतिशत हमें ऋण और अनुदान के रूप में दे रहा है। उसके बाद उसके पास २० प्रतिशत अपने उपयोग के लिये बच जाता है। हम यह पूछने वाले कौन होते हैं कि वह उस रकम से क्या करता है ।

†**श्री नम्बियार** : चूंकि यह २० प्रतिशत ३१–३–१९६२ को ९१ करोड़ रुपये होता है, भारत में अमरीकी दूतावास उस रकम का किस प्रकार उपयोग करता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह उनका रुपया है ?

†**श्री वाजी** : चूंकि यह एक विचित्र प्रथा है, क्या सरकार को कोई जानकारी है या उसके पास जानकारी के कोई साधन हैं कि वह यह रकम न केवल दूतावास के मामलों के लिये बल्कि ऐसे मामलों के लिये भी जो दूतावास के काम से संबंधित नहीं हैं, किस प्रकार खर्च करेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उन्हें यह पूछना अशिष्ट होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री यल्लमंदा रेड्डी** : चूंकि देश में अमरीकी सरकार के खाते में ९१ करोड़ रुपए हैं क्या यह जानना इस सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह यहां अपना धन किस प्रकार खर्च करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है और बताया है कि यह हमारा काम नहीं है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : इस तथ्य के बावजूद कि वह धन अमरीका का है, क्या भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच इस बार में कोई सामान्य नीति विषयक करार नहीं हुआ है कि वह उसे किस प्रकार खर्च करेगी, क्या वह उसे किसी उत्पादक कार्य के लिये या किसी और प्रयोजन के लिये खर्च करगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह फिर एक विचित्र प्रश्न हैं । वह अपने धन का ८० प्रतिशत हमें दे देते हैं जिसके लिये हम अधिकारी नहीं हैं और बाकी २० प्रतिशत उनके पास बच जाता है । मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते है कि वे अपने धन का क्या करते है । वह एक बहुत ही अजीब सवाल है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सामान्य नीति विषयक करार हुआ है (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : माननीय मंत्री इस बारे में इतने उत्तेजित क्यों हो रहे है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति :

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह २० प्रतिशत रकम अमरीका को वापस दी जानी है या यहीं खर्च की जानी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह उनका अपना दृष्टिकोण है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम वह रकम अमरीका को लौटाने के लिये दे रहे हैं या वह रकम यहीं खर्च की जानी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह रकम रुपयों में है । इसलिये वह लौटायी नहीं जा सकती । वह यहीं खर्च की जानी है ।

डाक द्वारा शिक्षा और सायंकालीन कालेज

†*१५९५. **श्री मे०क० कुमारन्** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने डाक द्वारा शिक्षा और सांयकालीन कालेजों के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या डाक द्वारा शिक्षा और सांयकालीन कालेजों की योजना का विस्तार करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि माननीय सदस्य कृपा कर एक मिनट ठहरें तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय और सरकार को पहले ही कुछ सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है, यद्यपि उसने अपनी रिपोर्ट नहीं पेश की है, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने कार्यकारी दल नियुक्त किया था। इस सत्र से अर्थात् १९६२–६३ से दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा चालू करने का निश्चय किया गया है। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं उन प्रस्तावों के संबंध में जिन्हें जानने में सभा को दिलचस्पी होगी, कुछ ब्यौरे बता सकता हूं। पाठ्यक्रम और परीक्षायें ठीक उसी प्रकार की होंगी जो नियमित छात्रों के लिये निर्धारित हैं। इस शिक्षा की अवधि उन छात्रों के लिये जिन्होंने इंटरमीडियेट परीक्षा पास की है, तीन साल होगी और जिन्होंने हायर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा पास की हैं, चार साल होगी। छात्रों के पहले दल के लिये अन्तिम विश्वविद्यालय–परीक्षा सितम्बर, १९६५ में होगी। मैं सभा को यह भी बता दूं कि पहले वर्ष में संपूर्ण भारत से लगभग ४०० छात्र, पुरुष तथा स्त्री, भरती किये जायेंगे। संपूर्ण भारत के सभी व्यक्तियों के लिये प्रवेश खुला होगा और वह योग्यता के आधार पर चुनाव से होगी। यही कुछ सिफारिशें विशेषज्ञ समिति ने मंजूर कर दी हैं और मेरा ख्याल था कि सभा को उनकी जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी होगी।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि देश में गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्धक अपने उन कर्मचारियों के लिये जो सांयकालीन कालेजों में जाना चाहते हैं, अड़चनें पैदा कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या पढ़ाई पर से यह पाबन्दी उठाने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य मुझ से इस प्रश्न के उत्तर की आशा न करें क्योंकि प्रबन्धकों और कर्मचारियों को ही इस स्थिति का सामना करना होगा। जहां तक सरकार का संबंध है, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा आरम्भ कर रहे है। लगभग दस अन्य विश्वविद्यालयों की ओर से भी डाक शिक्षा आरम्भ करने के प्रस्ताव उसे प्राप्त हुये है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इस शिक्षाक्रम की प्रगति देखने के बाद अन्य विश्वविद्यालयों के लिये भी इन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति देगा। हम उसे प्रोत्साहन देना चाहते है। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस प्रश्न पर उस विशिष्ट प्रबन्धक के साथ बातचीत करेंगे जो इस शिक्षाक्रम से लाभ उठाने के लिये अपने कर्मचारियों के लिये अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ?

†**श्री मे० क० कुमारन** : उच्चतर शिक्षा के लिये युवकों और युवतियों को सुविधायें देने के महत्व को ध्यान में रखते हुये, जो आयोजन आयोग और केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया है, क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी कोई योजना निकालेगी जिससे सभी विश्वविद्यालयों को यह योजना स्वीकार करने के लिये राजी किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं सभी विश्वविद्यालयों से यह योजना अपनाने के लिये नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने बताया, कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने प्रस्ताव भेजे है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन पर विचार कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस योजना की प्रगति देखने के बाद ये प्रस्ताव मंजूर किये जायेंगे।

†**श्री दाजी** : यह प्रश्न भी सांयकालीन कक्षाओं के संबंध में है। अनेक विश्वविद्यालयों में सांयकालीन कक्षायें चल रही हैं। क्या उन कक्षाओं के बारे में समिति ने कोई विशेष या नयी सिफारिशें की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विशेषज्ञ समिति सांयकालीन कक्षाओं के प्रश्न की भी छान-बीन कर रही है। अनुमान है कि रिपोर्ट सितम्बर तक प्राप्त हो जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को मालूम है कि सांयकालीन शिक्षा और डाक द्वारा शिक्षा के प्रति कुछ विश्वविद्यालयों का रुख परम्परावादी ढंग का है और यदि हां, तो उनका रुख ठीक करने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय स्वभावतः परम्परावादी होते हैं। हमने संपूर्ण प्रश्न पर कल चर्चा की थी। उन्हें कोई आदेश देना संभव नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या आकाशवाणी से पाठ प्रस्तारित करने की कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो वह योजना संभवतः कब से चालू होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आकाशवाणी का शिक्षा संबंधी कार्यक्रम पहले ही मौजूद है। मैं यह नहीं बता सकता कि डाक द्वारा शिक्षा के अधीन आकाशवाणी से लाभ उठाया जायेगा या नहीं। यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जाने वाली डाक द्वारा शिक्षा केवल दिल्ली के छात्रों के लिये खुला होगा या संपूर्ण भारत के छात्रों के लिये खुली होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह संपूर्ण भारत के छात्रों के लिये खुली होगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस कारेसपोडेंस कोर्स के सम्बन्ध में जब बिल उपस्थित किया गया था तो कहा गया था कि कारेसपोंडेंस कोर्स कई जगहों पर शुरू किये जायेंगे, और भी विश्वविद्यालयों में शुरु किये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रयोग किया जा रहा है यह क्या दिल्ली में ही शुरू किया जा रहा है या दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इसको शुरू किया जाएगा और यदि किया जाएगा तो कब ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने निवेदन किया है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी यह शुरू होगा लेकिन यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन ने यह सिफारिश की है कि छः महीने के लिए जरा इसको देख लिया जाए कि यह जम जाता है दिल्ली यूनिवर्स्टी में या नहीं। हमारा इरादा और यूनिवर्स्टीज में भी इस काम को शुरू करने का है।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कर्मचारियों के कालेजों में भरती होने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर भी पाबन्दी है और क्या यह पाबन्दी सायंकालीन कक्षाओं पर भी लागू होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ये सब प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : डाक द्वारा शिक्षा के छात्रों की परीक्षाएं अलग होंगी या नियमित छात्रों की परीक्षाओं के साथ साथ होंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ये सब विस्तार की बातें हैं जिनकी छानबीन करनी होगी।

†**श्री यल्लमंदा रेड्डी** : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि कुछ राज्यों में सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों को सायंकालीन कक्षाओं में पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम उसका विवेचन नहीं कर सकते। प्रत्येक राज्य को अलग अलग नहीं उठाया जा सकता ।

†**श्री यल्लमंदा रेड्डी** : कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को सायंकालीन कक्षाओं में पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है और यदि हां तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो राज्य सरकारों के सम्बन्ध में हैं। इस प्रश्न का निर्णय राज्य सरकारों को करना है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, यह सुविधा दी गयी है और आशा है, जो लोग नौकरियों में हैं वे इससे लाभ उठायेंग। डाक द्वारा शिक्षा उन्हीं के लिए है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों को सायंकालीन कक्षाओं में जाने की अनुमित देने से इन्कार कर दिया है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इन मामलों में प्रत्येक राज्य सरकार को स्थिति की छानबीन करनी होगी । कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें वे अनुमति देने से इन्कार कर दें। मैं इस प्रश्न का सामान्य उत्तर नहीं दे सकता। यह राज्य सरकारों का मामला है ।

उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद

*१५९६. { **श्री सरजू पांडेय** :
श्री मंत्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के बीच सीमा विवाद, जिसमें प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता करना मंजूर कर लिया था, निबटाने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के हजारों खेतिहर मजदूरों को उन की मजदूरी के बदले में दिया गया धन इस वर्ष जब्त कर लिया है ; और

(ग) क्या सरकार खेतिहर मजदूरों की कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें अपनी मजदूरी के बदले में मिला हुआ अनाज अपने राज्य में ले जाने की सुविधाएं देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पक्की सीमा निर्धारित करने के विषय में दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच मतभेद था । बिहार सरकार के विचार में नदी की धार की सालाना जांच के आधार पर सीमा निर्धारण का वर्तमान सिद्धात ही ठीक था । उत्तर प्रदेश सरकार पक्की सीमा के पक्ष में थी ।

(ख) यह सच नहीं है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के हजारों खेतिहर मजदूरों को उन की मजदूरी के बदले में दिया गया धन इस वर्ष जब्त कर लिया

†मूल अंग्रेजी में

है, किन्तु कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिलों के २५ व्यक्तियों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा ७--८ के अधीन बिहार से उत्तर प्रदेश को धान ले जाने के जुर्म में मुकदमा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार को लिखा है कि ये लोग खेतिहर मजदूर थे जो अपनी मजदूरी का धान ले जा रहे थे। बिहार सरकार मुकदमा वापस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) बिहार खाद्यान्न (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ की धारा (३) के अधीन अधिकृत प्रार्थी राज्य सरकार या उसके नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट के अनुसार बिहार से बाहर कहीं भी अनाज ले जा सकते हैं।

श्री सरजू पांडेय : मैं ने प्रश्न यह किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा विवाद को तय करने के लिए प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दोनों राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई वार्ता की है या नहीं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी हां, प्रधान मंत्री जी की कुछ बातचीत हुई थी दोनों मुख्य मंत्रियों से और उन्होंने एक सज्जन को इस काम के लिए नियुक्त किया है कि वह मध्यस्थता करें, आर्बिट्रेशन करें। वह इस काम को अपने हाथ में लेंगे।

श्री सरजू पाण्डेय : जो विवरण दिया गया है, इसमें कहा गया है कि बलिया और गाजीपुर के कुल २५ खेत मजदूरों पर मुकदमे चलाये गए हैं। लेकिन मेरी सूचना इससे भिन्न है। २५ से ज्यादा खेत मजदूरों के ऊपर अकेले बलिया से मुकदमे चले हैं और मैं ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि खेत मजदूरों से धान इत्यादि छीन कर के उनको नंगे . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल करें।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं सवाल कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्टिव दिया गया है बिहार सरकार को कि वह खेत मजदूरों की थोड़ी बहुत जांच कर के उनको छोड़ दिया करें और वहां से धान, मजदूरी के रूप में जो वे लाते हैं, उसे ले आने दिया करें ? क्या ऐसा कोई डायरेक्टिव बिहार सरकार को दिया गया है या नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : डायरेक्टिव देने की यह बात नहीं है। उनको यह सलाह दी गई है कि जहां तक हो सके जो मजदूर जाते हैं और उनको जो मजदूरी मिलती है अनाज के रूप में, उसको वहां से लाने में उनके रास्ते में कोई खास दिक्कत पैदा न की जाए। लेकिन उनके कुछ कायदे कानून हैं जिसमें कुछ परमिट वगैरह की बात है। अगर वह चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तब उसमें कुछ न कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो भाग विवादस्पद है, इसमें कितने गांव और कितना भूभाग आ जाता है ? साथ ही जब तक इस विवाद का कोई हल न निकल आए तब तक के लिए इस क्षेत्र के निवासियों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या यह उचित नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार अपनी देख रेख में उतने भूभाग को ले ले ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसको माननीय सदस्य करीब करीब चीन और भारत के बोर्डर का प्रश्न बना बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है । इसे हल होना चाहिये, यह जरूरी है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि यह कितना भूभाग है और इसमें कितने गांव आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल आपने ऐसा कर दिया कि उन्होंने समझ लिया कि आपने पहले भाग के बारे में इतने सीरियस नहीं हैं ।

श्री राम सेवक यादव : जिनको प्रधान मंत्री जी ने इस काम के लिए नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है और यह सीमा विवाद कितने दिन के अन्दर हल हो जाएगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वह सज्जन श्री सी० एम० त्रिवेदी हैं जो प्लानिंग कमिशन के मैम्बर हैं। अभी उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, लिहाजा यह कहना कि कब यह खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी है ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या यह मध्यस्थ अधिकारियों तथा मंत्रियों से मिलने के सरकारी आधार पर तर्क सुनेगा या न्यायालय के रूप में बैठकर सरकार की ओर से व्यवसायिक वकीलों के तर्क सुनेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बड़ी विस्तृत बात है । शायद वह स्वयं ही निश्चय करेंगे। मैं नहीं समझता कि वह विविध न्यायालय की भांति कार्य करेंगे, परन्तु वह अधिकारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों से निश्चय ही मिलगे एवं हो सकता है कि वह स्थान पर जाकर व्यक्तियों से मिलें ।

†**श्री बासप्पा** : क्या ऐसे मामलों में प्रधान मंत्री का मध्यस्थ बनना केवल उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित है या मैसूर और महाराष्ट्र के बारे में भी होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न बात है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मध्यस्थ को नियुक्त करने से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सरकारों की स्वीकृति ले ली गई है कि जो भी निर्णय दिया जाये, उसको वे मान लेंगी और उस पर अमल करेंगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें आर्बिट्रेशन की बात प्रधान मंत्री से कहनी ही नहीं चाहिये थी। जब यह कहा जाए कि आर्बिट्रेशन आप कर दें, तो इसके माने हैं कि जो फैसला होगा वह मान्य होगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : इस मध्यस्थ को क्या क्या मामले सौंपे गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह लम्बी सूची है। निर्देश पद निम्न हैं :

(१) क्या उपरोक्त जिलों के बीच निर्धारित सीमाओं का सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिये ? यदि हाँ, तो क्या उसका निश्चय वर्ष १९५२ के सम्मेलन में सुझाये गये ढंग से या भिन्न ढंग से होना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) यदि निर्धारित सीमाओं का सिद्धान्त उचित नहीं है, तो गहरी गंगा तथा घागरा नदियों पर आधारित विद्यमान सिद्धान्त में क्या संशोधन किया जाना चाहिये ?

(३) क्या मध्यस्थ के मतानुसार उक्त जिलों के बीच सीमा का प्रश्न का कोई अन्य हल हो सकता है ? यदि हाँ, तो क्या हो सकता है ?

श्री त्यागी : इन दोनों गवर्नमेंट्स ने प्रधान मंत्री को मध्यस्थ स्वीकार किया था या उनके नामिनी को स्वीकार किया था ? प्रधान मंत्री जी ने क्या यह काम अपने ऊपर लिया था या यह कहा था कि वह कोई मुख्तार नियुक्त कर दें अपनी तरफ से और उसको यह काम सौंप देंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जिस आदमी पर बहुत अधिक लोगों का विश्वास होता है वह अगर अपने काम में किसी की मदद ले ले तो वह भी विश्वास की बात है। उनको पूरा विश्वास है और इसको वे पसन्द करते हैं। फैसला तो प्राइम मिनिस्टर का होगा लेकिन जिस की मदद वह लेना चाहते हैं, लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखाना

+

*१५९७. { **श्री भक्त दर्शन :** / **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में मथुरा व आगरा के बीच एक रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी लागत, उत्पादन-क्षमता, तथा उसकी स्थापना करने वाली फर्म का ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस कारखाने की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). सरकार का मथुरा और आगरा के बीच सरकारी क्षेत्र में एक रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। ताहम ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र से कुछ प्रस्थानायें प्राप्त हुई हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन ऐसी संस्था या व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह के कारखाने को स्थापित करने का प्रस्ताव रक्खा है, और क्या यह सत्य है कि उनका समर्थन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार ने समर्थन किया है। दो व्यक्तियों की दर्ख्वास्तें थीं, मेसर्स बिड़ला ग्वालियर (प्रोइवेट) लिमिटेड और मेसर्स हिन्दुस्तान फ़र्टिलाइजर लिमिटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेसर्स बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड को रिकमेन्ड किया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जाती है, और कब तक यह फैक्ट्री चालू हो सकेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा अब से पूर्व बतलाया गया, मामला अभी विचाराधीन है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : योजना में शामिल किये गये कारखाने का प्रस्तावित आकार क्या होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : गैर-सरकारी क्षेत्र में कारखाने के लिये सिफारिश की गई है। उसके लिये अन्तिम प्रस्ताव यह है कि क्षमता ६८,००० टन नाइट्रोजन और ७२,००० पी २ ओ ५ हो।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या सरकार को केरल जैसे अन्य राज्यों से तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक उर्वरक कारखाना खोलने के लिये अभ्यावेदन मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात यहाँ संगत नहीं है। आगामी प्रश्न।

चिकित्सा स्नातक

†*१५९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिकित्सा स्नातकों द्वारा उपाधि प्राप्त करने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे कुछ समय तक काम कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). प्रश्न विचाराधीन है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह मामला अभी विचाराधीन है तो सरकार किस बात पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बात पूछी उस पर विचार हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि किस बात पर विचार हो रहा है।

श्री विभति मिश्र : कहा गया कि मामला विचाराधीन है तो विचाराधीन कौन कौन सी खास बातें हैं जिन की तरफ सरकार का दिमाग खिंच गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श समाप्त हो गया है। अब हम स्वयं ही विचार कर रहे हैं कि क्या यह उचित या संभव होगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि आजकल मेडिकल कालेज में ग्रेजुएट होने में पाँच साल लगते हैं ? अब मान लीजिये कि सरकार ने कहा कि व लोग एक साल गावों में जा कर काम करें तो उन को डिगरी मिलने में छः साल लग जायेंगे। तो क्या ग्रेजुएट होने में जो समय लगता है, जो विद्यार्थी का धन खर्च होता है, जो दिक्कत होती है, उस को सरकार और बढ़ाना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी नहीं, यह कोई परीक्षा के समय या कोर्स को बढ़ा देने का सवाल नहीं है। यह राय दी गई कि जो डाक्टर गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं उन को डिगरी मिल जाने के बाद कुछ समय तक गाँवों में जा कर काम करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब वे वहाँ पर काम करेंगे तभी उचित रूप से वे गवर्नमेंट सर्विस में शामिल होंगे। यह बात कही गई है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह मामला कितने समय से विचाराधीन है ? इसका निश्चय कब तक हो जाने की आशा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** । अभी मेरे साथी ने कहा है कि प्रारम्भिक जाँच पड़ताल समाप्त हो गई है। कितना समय लगेगा, मैं तारीख नहीं बता सकता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : कब से ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : शायद यह विचार अगस्त, १९६१ में बनाया गया। हमें विभिन्न सरकारों तथा अन्य मंत्रालयों से परामर्श लेना पड़ता है। हमने कुछ काम किया है। आशा है कि हम इसे समाप्त कर देंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विद्यमान नियमों के अन्तर्गत भी, सरकार किस कारण अपने किसी कर्मचारी को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रखती ? क्या उन्होंने यह सोचा है कि नये व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने से क्या लाभ है। क्योंकि वहाँ उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं कठिनाइयाँ जानते हैं। यह सच है कि कोई भी और कहीं भी रखा जा सकता है। परन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह काम अधिकतर राज्य सरकारें करती हैं और वे इस के लिये उत्तरदायी हैं। उनके पास अब भी व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। यदि हम डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त करने और भेजने की बात छोड़ भी दें, तो भी समूचे देश में डाक्टरों की कमी है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में आजकल आवश्यक सभी पदों पर नियुक्त करने के लिये पर्याप्त व्यक्ति नहीं मिलते।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाने वाले डाक्टर पूर्ण शिक्षित डाक्टर हैं जो रोगी की स्वयं चिकित्सा कर सकते हैं और उन्हें इसके लिये वेतन दिया जा रहा है, या वे लोग हैं जिन्हें पूर्णतया शिक्षित डाक्टर बनने के लिये किसी निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : दोनों भेजे जायेंगे। स्वाभाविक है कि वे सभी शिक्षित होंगे। अनुभवी डाक्टर भी वहाँ भेजे जायेंगे। हो सकता है कि वहाँ कोई अस्पताल हो, और उसमें आपको तीन डाक्टरों की आवश्यकता हो। उनमें से एक अनुभवी या वरिष्ठ डाक्टर हो सकता था और दो वे हो सकते हैं जिन्होंने हाल में ही शिक्षा समाप्त की हो या उसी समय चिकित्सा परीक्षा पास की हो।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वे चार साल का कोर्स करने के बाद एक साल देहातों में रहेंगे। तो क्या देहात वालों की जिन्दगी शहर वालों के मुकाबले इतनी सस्ती मानी गई है कि उन्हीं के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब तो दिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जवाब नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : जवाब दिया गया है कि जो दूसरे क्वालिफाइड डाक्टर होंगे उन के साथ उन्हें लगाया जायेगा। मैं तो यही समझा हूं, अगर यह नहीं है तो बात दूसरी है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यही जवाब है। और अभी तो हालत यह है कि वहां कोई डाक्टर नहीं है और जिन्दगी बिल्कुल सस्ती है। जब क्वालिफाइड डाक्टर जायेंगे तब जिन्दगी इस से कम सस्ती होगी। आज तो जिन्दगी इस तरह से सस्ती हो रही है कि कोई देखने वाला नहीं है। वह चीज इस से कहीं बेहतर है। कम से कम क्वालिफाइड डाक्टर तो वहां पर होगा। हम उसे ट्रेनिंग देंगे, उस पर सुपरविजन रक्खेंगे, सीनिअर डाक्टर जहां रख सकेंगे रखेंगे। इस से ज्यादा और क्या हो सकता है?

कुछ छावनी बोर्डों का विघटन

†*१५९९. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ छावनी बोर्ड, जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, भंग कर दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बोर्डों के राज्यवार नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके द्वारा चलाई जा रही शिक्षा और चिकित्सा संस्थाओं के बारे में क्या निर्णय किया गया है?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री हेम राज :** अब कितने छावनी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं?

†**श्री दा० रा० चावन :** कोई छावनी बोर्ड घाटे में नहीं चल रहा है। घाटे पर चलने के लिए वाणिज्यिक उपक्रम नहीं हैं।

†**श्री दाजी :** इस बात को ध्यान में रखकर कि यद्यपि ये छावनी बोर्ड घाटे में न चल रहे हों परन्तु उनका आय-व्ययक घाटे का है और शिक्षा, चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा की सुविधायें बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्य सरकारें भी छावनी बोर्डों की भान्ति ही सुविधायें दे रही हैं, क्या सरकार इस आवृत्ति को हटाने के लिए कार्यवाही करेगी?

†**श्री दा० रा० चावन :** सरकार सभी घाटे के छावनी बोर्डों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है।

†**श्री दाजी :** मेरे प्रश्न को समझा नहीं गया.....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कह चुके हैं उन्हें बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री नम्बियार :** जहां छावनियां समाप्त हो गई हैं और सेना की भूमि की आवश्यकता नहीं है, क्या वहां कलक्टरों या नगरपालिकाओं को वे ज़मीनें दे दी जायेंगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका हमारे समक्ष प्रश्न से संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या १९०१।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हेम बरुआ : प्रश्न संख्या १६१४ का भी उत्तर इसी के साथ दिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को आपत्ति न हो, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया जा सकता है।

"चाइना टू-डे"

+

†*१६०१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० कें० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की सुरक्षा के हित के लिये हानिकारक लेख प्रकाशित करने के सिलसिले में दिनांक २१ अप्रैल के "चाइना-टु-डे" नामक पत्रिका के अंक १६ की प्रतियां जब्त की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार की घटनायें बार बार हो रही हैं, क्या सरकार ने इस पत्रिका के भारत में प्रकाशन और वितरण को बन्द करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) हां।

(ख) यद्यपि वैधानिक ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत पत्रिका का प्रकाशन रोका जा सके, फिर भी इस पर विचार किया जा रहा है कि इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

"चाइना टु-डे"

+

†*१६१४. { श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम हरख यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी राजदूतावास नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका 'चाइना टु-डे' के कितने अंक १ जनवरी, १९६२ से जब्त किये गये हैं और उन अंकों की तिथियां क्या हैं तथा प्रत्येक के जब्त किये जाने की तिथि क्या है ;

(ख) वे अंक किस छापेखाने में छापे गये थे ;

(ग) छापेखाने के मालिक या संचालक का क्या नाम है ;

(घ) क्या दंड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अधीन छापेखाने के विरुद्ध कारवाई की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत अधिसूचनायें ८ मई, ११ मई और २९ मई, १९६२ को जारी की गई थीं जिनमें "चाइना टुडे" के क्रमुनासार दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ के अंक संख्या ५०, दिनांक ५ मई, १९६२ के अंक संख्या १८ और २१ अप्रैल, १९६२ के अंक संख्या १६ की प्रतियां जब्त करने की घोषणायें की गई थीं।

(ख) दि न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली।

(ग) पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, प्राईवेट, लिमिटेड।

(घ) से (च) मामला विचाराधीन है।

†श्री दी० चं० शर्मा : यदि सरकार को विदित है कि इस पत्रिका की कितनी प्रतियां दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भारत भर में परिचालित होती हैं?

†श्री दातार : वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ प्रतियां उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में पकड़ी गई हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को विदित है कि ये प्रतियां किन लोगों को भेजी जाती हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह जानकारी है?

†श्री दातार : उन्हें राज्य सरकारों ने जब्त किया है। ब्यौरा हमारे पास नहीं है।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान 'चाइना-टुडे' के २४ वें अंक की ओर, जो दिल्ली में १९ जून को बांटा गया था, आकर्षित हुआ है जिसमें उल्लेख है कि :

> "झूंट झूंट और सचाई सचाई है। झूंट कभी सच नहीं हो सकता। कोई बात नहीं इसे भारत सरकार चाहे कितनी ही बार दोहारयें।"

यदि हां, तो इस बात का ध्यान रखकर कि ऐसा कथन सारे भारत की निन्दा है, सरकार इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करती? हम झूंटे कहलाना नहीं चाहते।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, तीन अंक जब्त किये गये थे। २४ वें अंक के बारे में, मैंने वह नहीं देखा है। फिर भी, यदि कार्यवाही करना आवश्यक है, तो उस अंक के विरुद्ध भी वैसी ही कार्यवाही की जायेगी। फिर भी, जैसा कि वह जानते हैं, हमारे वर्तमान नियमों के अधीन हम किसी भी पत्रिका का प्रकाशन नहीं रोक सकते। परन्तु ऐसे कथन या लेखों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जो देश के हित, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकारक हों। हमने इस मामले पर विचार किया है कि इस मामले में कैसे कार्यवाही की जाये। विभिन्न तरीके हैं। परन्तु इस मामले में हम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते।

†श्री हेम बरुआ : इस बात का ध्यान रख कर कि 'चाइना टुडे' के कुछ अंक जब्त कर लिये गये हैं, क्या सरकार ने वहां चीन के दूतावास या प्रेस से उनकी प्रतियां प्राप्त कर ली हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : चीनी दूतावास का मामला भिन्न है। प्रेस के लिए, दिल्ली अधिकारियों ने पर्याप्त तलाशी की और विभिन्न स्थानों पर गये। वे कोई प्रति प्राप्त नहीं कर सके।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह ध्यान रखकर कि एक ओर 'चाइना टुडे' के प्रकाशन और परिचालन में और दूसरी ओर इसे निषेध और जब्त में काफी समय का अन्तर है, क्या यह सच है कि पुलिस अधिकारियों ने सरकार को सूचित किया है कि निषेधादेश का लागू करना मुश्किल है क्योंकि एक बार परिचालित होने पर प्रतियां जब्त करके सरकार को नहीं दी जा सकतीं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह हो सकता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : प्रश्न संख्या १६१४ के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लेख है कि मामला विचाराधीन है। विचार किस बात पर हो रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को यह बताने पर क्यों ज़ोर देते हैं ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस 'चाइना टुडे' का कोई हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित होता है, और यदि है तो क्या उसे भी बन्द किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, "आज के चीन" के नाम से निकलता है, और उसे भी जब्त किया गया है।

†**श्री त्यागी** : मैंने माननीय मंत्री को कहते सुना था कि देशद्रोहिता की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई विधान नहीं है। यदि यह बात है तो क्या माननीय मंत्री प्रस्ताव रखकर संसद् की अनुमति नहीं ले सकते ताकि उन्हें देश में इस देशद्रोही कार्य को रोकने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने नहीं कहा कि हम ऐसे मामलों में कार्यवाही नहीं कर सकते। मैंने केवल यह कहा था कि हमारे देश में विचाराभिव्यक्ति व लिखने की पूरी आजादी है।

†**श्री त्यागी** : भारतीयों के लिए, या विदेशियों के लिए भी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : निश्चय ही यह स्वतंत्रता भारतीयों के लिए है। मैंने कहा था कि इसलिए हम किसी भी समाचारपत्र, आदि का प्रकाशन नहीं रोकते। फिर भी, यदि कोई आपत्तिजनक बात लिखी जाती है, जो विधि के खिलाफ हो, तो हमें पत्र, आदि के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती है।

विदेशी पर्यटक

†*१६०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों ने सामाशुल्क कार्यालयों में उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में शिकायतें की हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने यदि कोई निर्णय किये हों तो वे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सीमा शुल्क संबंधी कठिनाइयों के बारे में विदेशी पर्यटकों से कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) सीमा शुल्क जांच से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति पूर्ण शालीनता व सम्मान प्रदर्शित करना और उन्हें शीघ्र सीमा शुल्क संबंधी कार्यों से निवृत्त करना भारत सरकार की नीति है। सभी सीमा शुल्क अधिकारियों को ऐसे आदेश हैं। शिकायतें जब भी प्राप्त होतीं हैं, तुरन्त उनकी जांच की जाती है और जब कभी आवश्यकता हो उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि सीमा शुल्क से निकासी प्राप्त करने में यात्रियों को प्राय: एक दिन और पर्यटकों द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं की आयात निकासी प्राप्त करने में एक सप्ताह लगता है और इस प्रकार उन्हें काफी असुविधा होती है क्योंकि उन्हें एक स्थान पर दो या तीन दिन रुकना होता है ? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम एक लाग-पुस्त रखते है। पर्यटकों को निकासी मिलने के बाद हम उसका बड़ी सावधानी से निरीक्षण करते है। ९५ प्रति पर्यटकों को ४० मिनट में निकासी मिल जाती है और उनके साथ ही उनका व्यक्तिगत सामान भी निकाल दिया जाता है। यदि वे अपने साथ कुछ वस्तुओं का आयात कर रहे हों जिनकी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता हो, तो उसमें निश्चय ही कुछ समय लगता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि विभिन्न स्थानों पर रखे गये जन-सम्पर्क अधिकारी आयात तथा सीमाशुल्क संबंधी नियमों से परिचित नहीं है और इस कारण वे इन लोगों की सहायता नहीं कर सकते। यदि हां, तो सरकार जन सम्पर्क अधिकारियों को इन नियमों की जानकारी प्राप्त कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : साधारणतया जन-सम्पर्क अधिकारियों का चनाव बड़ी सावधानी से किया जाता है और वे जनता के साथ बड़ा ही कुशल व्यवहार करते है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क अधिकारियों का एक समूह बना रहे है। उनका चुनाव गुण और प्रवीणता तथा पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का ध्यान रख कर उन विभिन्न हवाई अड्डों पर रखने के लिए किया जायेगा जहां विदेशी बड़ी संख्या में आते है। हमें आशा है कि अनुभवी व्यक्तियों के इस विशेष चुनाव से अनुचित विलम्ब या अभद्रता की शिकायतें कम हो जायेंगी।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : सीमा शुल्क निकासी में विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का विदेशों में हमारे दूतावासों में तथा अन्य कार्यालयों में प्रचार किया जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारा पर्यटक विभाग और अन्य संबंधित विभाग उनका प्रचार करने का भरसक प्रयास कर रहे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद :** माननीय मंत्री ने कहा था कि शिकायतें मिली है। क्या इन शिकायतों को जांच से शिकायतों की सचाई सिद्ध हो गई है या जो भी किया गया वह हमारे सीमा शुल्क नियमों के अनकूल है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हो सकता है कि कुछ शिकायतें सच हों, अन्य शिकायतें निराधार है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या इन शिकायतों की कोई व्याख्या की गई है ? क्या सरकार को विदित हैं कि विदेशों के साथ सामान के लिए सीमा-शुल्क निकासी लेने में प्राय ८ से १० घंटे लग जाते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** विमान की निकासी की हमारी अलग लाग पुस्तक है और अध्ययन से विदित होता है कि ९५ प्रति शत मामलों में ४० मिनट में निकासी मिल जाती हैं। हो सकता है कि सभा को विदित हो कि पर्यटकों में कुछ तस्कर-व्यापारी भी हैं। जब हमें कोई सूचना मिलती हैं या हमें कुछ सन्देह होता हैं, तो हम सावधानी से काम लेते है। साधारणतया शिकायतें उन मामलों में होती है जिनमें हमें कुछ सन्देह होता हैं।

†**श्री मुरारका :** क्या शिकायतें सभी हवाई अड्डों से आती है या किसी एक विशेष हवाई अड्डे से आती है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** कुछ हवाई अड्डों से।

बैंक आफ चाइना

†*१६०४. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बैंक आफ चाइना भारत में अब भी कार्य कर रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य पर क्या प्रतिबन्ध लगाये गये है ;

(ग) भारत-चीन सम्बन्ध और बिगड़ते जा रहे है इस बात को देखते हुए क्या कोई अन्य उपाय करने का इरादा हैं ;

(घ) क्या इस बैंक के कुछ कर्मचारियों को भारत से चले जाने का आदेश दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) हां।

(ख) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए "बैंक आफ चाइना" को दिया गया लाइसेन्स रिजर्व बैंक ने २८ दिसम्बर, १९६१ को वापस ले लिया।

(ग) यदि बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, १९४९ के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है, तो उचित कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(घ) और (ङ). कुछ कर्मचारियों को, जिनकी कार्यवाही आपत्तिजनक थी, विदेशी-व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत से चले जाने के आदेश दे दिये गये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : बैंक ग्राफ चाइना में कितने भारतीय कर्मचारी हैं और जैसा कि कर्मचारियों से पता लगता है, क्या सरकार को कोई जानकारी है कि अन्य भारतीयों का "बैंक ग्राफ चाइना" के साथ संबंध हैं या यह मुख्यकर या केवल भारत में चीनियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाया गया था ?

†श्री ब० रा० भगत : दिसम्बर, १९६१ के अन्त में, बैंक में कर्मचारियों की कुल संख्या ८८ थी जिनमें ३१ भारतीय और शेष अभारतीय थे। रिज़र्व बैंक प्रयत्न कर रहा है कि यह बैंक अपने यहां भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये।

†श्री हरि विष्णु कामत : कर्मचारियों को छोड़कर प्रश्न के दूसरे भाग का जो व्यापार के बारे में था, उत्तर नहीं दिया गया।

†श्री ब० रा० भगत : मेरे पास वह जानकारी नहीं है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से या अन्य साधनों से रिपोर्ट मिली है कि "बैंक ग्राफ चाइना" कलकत्ता और बम्बई में तोड़ फोड़ की कार्यवाही में या कम से कम अनुचित कार्यवाही में भाग लेता रहा है और, यदि हां, तो वर्तमान भारत-चीन संबंधों और वर्ष १९५४ के व्यापार करार के समाप्त हो जाने के कारण बैंक ग्राफ चाइना को पूरी तरह बन्द न करने के कारण हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : स्वयं बैंक बैंक-व्यापार के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक के निरीक्षण से ऐसी कोई बात विदित नहीं होती। परन्तु बैंक के कुछ कर्मचारियों का निश्चय ही तोड़ फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते पाया गया। विदेशी जन अधिनियम के अन्तर्गत उनके साथ उचित कार्यवाही की जा चुकी है और उनमें से अधिकतर को देश से बाहर भेज दिया गया है।

†श्री नाथ पाई : क्या इस सन्देह की कोई जांच की गई है कि बैंक अपने वित्तीय साधनों का प्रयोग प्रापेगंडा की कार्यवाही में, विशेषकर चीनी सरकार के उद्देश्य में सहायक सिद्ध होने वाली कार्यवाही में करता है ?

†श्री ब० रा० भगत : रिजर्व बैंक अपना निरीक्षण कर सकता है। हम इन बातों की अवश्य जांच करते हैं परन्तु अभी तक इस बैंक के बैंक व्यापार से ऐसी किसी कार्यवाही का पता नहीं लगा है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : रिजर्व बैंक ने इस बैंक से विदेशी मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति क्यों वापस ले ली ?

†श्री ब० रा० भगत : तिब्बत के साथ व्यापार समाप्त होने से इस बैंक की विदेशी व्यापार संबंधी कार्यवाही बहुत अधिक डगमगा गई और उसके कारण विदेशी मुद्रा का व्यापार करने का लाइसेन्स वापस ले लिया गया।

†श्री मुरारका : बैंक का कुल निक्षेप कितना है और कितना भारतीय है तथा कितना चीनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : बैंक के निक्षेप बहुत कम हो गये है । यह ३,९९,३५,२०० रु० से, जो १५ सितम्बर, १९६१ को थे, घटकर ६ अप्रैल, १९६२ को १,२१,१६,००० रु० रह गया। मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है कि इस में कितना धन भारतीय है और कितना चीनी है।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रख कर कि बैंक आफ चाइना इसके बावजूद भी कि रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा का लाइसेंस वापस ले लिया है, हमारे देश में राष्ट्र विरोधी कार्यवाही कर रहा है, इसका क्या कारण हैं कि हमारी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में बैंक आफ चाइना की स्थिति पुनः निर्धारित नहीं की है।

†श्री ब० रा० भगत : रिजर्व बैंक के निरीक्षण से यह विदित नहीं होता कि बैंक तोड़ फोड़ की कार्यवाही कर रहा हैं। बैंक का निरीक्षण नवम्बर और दिसम्बर, १९६१ में सितम्बर, १९६१ में उसकी स्थिति के प्रसंग में हुआ था। अतः रिजर्व बैंक के अनेक निरीक्षणों से ऐसी किसी कार्यवाही का पता नहीं लगा। परन्तु, कुछ कर्मचारी ऐसी कार्य वाही कर रहे थे और हमने उनके बारे में उपयुक्त कार्यवाही की हैं।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को इस बैंक को बन्द करने या इसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने का सुझाव दिया है।

†श्री ब० रा० भगत : मेरे पास यह जानकारी नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई सुझाव दिया था।

तेल की रायल्टी

+

†*१६०५. श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बात की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में आसाम राज्य के दो मंत्रियों के साथ तेल की रायल्टी के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) आसाम के मंत्रियों की सलाह पर यह बात स्वीकार कर ली गई है कि मामला किसी तीसरे पक्ष को सौंपा जाये।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस राजस्व मामले के संबंध में कुछ वैधानिक पहलुओं के निर्वचन के लिये उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना करने का विचार करती है, और यदि हां, तो इसमें कौनसा वैधानिक पहलू ऐसा है, जिसका निर्वचन चाहा जाता है ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह अभी तय नहीं हो पाया है कि जिस तीसरे पक्ष का मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, वह मध्यस्थ को सौंपना है या उच्चतम न्यायालय को । इस प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब आसाम सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा। उस समय, वैधानिक पहलू और संविधानिक पहलू दोनों बिल्कुल स्पष्ट हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या कूप-मुख मूल्य घटने के कारण राज्य सरकार को होने वाली हानि की संगणना की जा रही है और यदि हां, तो य क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार को १५ प्रतिशत अंश भागिता की पेशकश की है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं । तेल शोधन कारखाना या किसी अन्य उपक्रम में आसाम सरकार को स्वामित्व में कोई कमी होने के बदले में कोई भागिता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु राज्य सरकार को तेलशोधन कारखाब में कुछ भागिता देने का एक पृथक प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही सरकार का निर्णय उनको बताया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : आसाम सरकार द्वारा मांगे गये स्वामित्व तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पेश किये गये स्वामित्व के बीच कितना अन्तर है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हाल ही में उनकी मांग बढ़ गई है और वे कहते हैं कि इस वृद्धि का कारण यह है कि वे सब आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सके हैं। यदि उनकी नवीनतम मांग को ध्यान में रखा जाये, तो अन्तर लगभग ६ रुपये प्रति टन होगा ।

†**श्री बसुमतारी** : राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच स्वामित्व के बारे में समझौता क्यों नहीं हो सका और उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय का निर्वचन प्राप्त करने के कारण क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारा निश्चित मत हैं कि स्वामित्व की दर भारत सरकार द्वारा नियत की जानी चाहिये । किन्तु उन्होंने कुछ संविधानिक मामले उठा दिये हैं जिनको संभवतः स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । क्योंकि वे हमारे मत से सहमत नहीं हैं, हमारे पास मामला किसी तीसरे पक्ष को सौंपन के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया । वह तीसरा पक्ष कौन है, यह अभी तय करना हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात संयंत्रों के लिये लौह अयस्क

†*१६००. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह हैं बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उड़ीसा के गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा निकाले जाने वाले लौह अयस्क को अपने संयंत्रों द्वारा काम में लाने की क्षमता का कोई मूल्यांकन किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को लोहा अयस्क के संभरण की आयोजना का आधार यह है कि वे अपना सभरण अपनी खानों से उन खानों से लेंगे, जिनमें सरकार के अधिक हित हैं। अतः भिलाई के लिये संभरण हिन्दुस्तान स्टील की डाल्ली राजहारा खानों से आयेगा, रूरकेला के लिये हिन्दुस्तान स्टील की बरसुआ खानों से और दुर्गापुर के लिये बोलानी खानों से, जिन में सरकार का अंश अधिक है । इन खानों से केवल कमी, जो अस्थायी है, बाजार की खानों से पूरी की जायेगी, अतः इन खानों से समाहार उपरोक्त बनाये गये स्रोतों की प्रत्याशित अस्थायी कमी तक सीमित हैं। हिन्दुस्तान स्टील स्वभावतः समय समय पर घाट का अनुमान लगायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया व्यवसाय-कर

†*१६०३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कई सार्वजनिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह हस्तक्षेप करे और पंजाब सरकार से हाल में लगाये गये व्यवसाय-कर को हटाने के लिये कहे ;

(ख) क्या पंजाब में तीव्र आंदोलन चल रहा हैं ;

(ग) इस संबंध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं। किन्तु शिरोमणि अकाली दल की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति, पंजाब अस्थायी करारोपण विधेयक, १९६२ को अपनी अनुमति न दें।

(ख) जी नहीं। सूचना यह मिली है कि कुछ राजनीतिक दलों ने करारोपण विधेयक का विरोध करने के लिये सार्वजनिक सभाएं आयोजित की हैं।

(ग) और (घ). करारोपण विधेयक राज्य सरकार की क्षमता के अन्तर्गत है।

विद्रोही नागाओं का पूर्वी पाकिस्तान भाग जाना

†*१६०२-क. **श्री वारियर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परिस्थितियों की कोई जांच पड़ताल की गई थी जिनमें विद्रोही नागा सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आसाम से पूर्वी पाकिस्तान भाग जाने में कामयाब हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच में उनके भाग जाने के लिये असैनिक या सैनिक प्राधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). १३ जन, १९६२ को सभा पटल पर इस विषय में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

आनरेरी मजिस्ट्रेट

†*१६०६. **श्री अ० व० राघवन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वकील संघ (बार एसोसियेशन) से कोई अभ्यावेदन मिला था जिसमे यह मांग की गई थी कि आनरेरी मजिस्ट्रेटों के स्थान पर वैतनिक मजिस्ट्रेट रखे जायें ;

(ख) क्या कोई और अभ्यावेदन मिला था जिसमें यह मांग की गई थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जा ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्लाइट कालेज इन्दौर

†*१६०७. { श्री भानु प्रताप सिंह :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में फ्लाइट कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो योजना किस व्यवस्था में है ; और

(ख) क्या इन्दौर की महारानी ने इस संस्था को खोलने में सहायता देने के लिये कोई अंशदान किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

दिल्ली में 'खेल गांव'

†*१६०८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'खेल गांव' बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी ब्योरा अखिल भारतीय खेल परिषद् की एक समिति द्वारा, उपयुक्त स्थान प्राप्त हो चुकने के पश्चात् तैयार किया जाना है।

विद्यार्थियों का राजनीति में भाग लेना

†*१६०९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के राजनीति में विशेषकर राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में, भाग लेने के बारे में कोई निश्चय किया है ;

(ख) क्या इस विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का मत मांगा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या सिफारिशें हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये राजनीतिक दलों की कोई बैठक बुलाई थी कि क्या किसी स्वीकृत आधार पर कोई व्यवहार्य सिद्धांत बनाया जा सकता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग). उपकुलपतियों का मत जन १९६० में आयोजित उपकुलपतियों के सम्मेलन मे पूछा गया है, और सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि :

> "एक समझौते को स्वीकार करने के लिये राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाये, कि वे विश्वविद्यालयों के मामलों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से भावी संतानों के हितों की दृष्टि से दूर रहेंगे।"

(घ) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

†*१६१०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या खान और ईंधन मंत्री १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बदल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). यह फैसला किया गया है कि तीसरी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य ९७० लाख टन रहना चाहिये ।

उत्पादन एवं परिवहन दोनों के लिये भौतिक आयोजन, पिछले वर्ष १०१० लाख टन तथा योजना के पिछले तीन महीनों में १०४० लाख टन के आधार पर किया जा रहा है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†*१६१२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने ने प्रविधिक जानकारी, इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के तीन उद्देश्य वाली योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). जबकि कोई ऐसी विशेष योजना आरम्भ नहीं की गई है, कारखाने प्रौद्योगिक कुशलता और इस्पात उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगातार संलग्न हैं ।

सफेद सीमेंट का निर्माण

†*१६१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने सफेद सीमेंट बनाने की नई विधि निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो नई विधि को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) ५० टन प्रति दिन संयंत्र की लागत प्राक्कलनों समेत एक अप्रविधिक टिप्पण दिलचस्पी रखने वाले लोगों में परिचालित किया गया है । राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद् प्राप्त होने वाली पेश कशों पर विचार करेगी और इसे तरीके के अनुसार उत्पादन करने के लिये लाइसेंस देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल शोधक कारखानों में राज्यों का अंश

†*१६१५. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गुजरात, आसाम और बिहार की राज्य सरकारों से इन राज्यों में सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों में १५ प्रतिशत अंश की पेशकश की गई है ; और

(ख) इस पेशकश के संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

डीजल इंजनों के निर्माण के लिये लाइसेंस देना

†*१६१६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के मैसर्स लिंक मशीनरी लि० को डीजल इंजन आदि के निर्माण के लिये हाल ही में ८ लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने विशिष्ट विवरण के अनुसार उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८६]

"टाइम एण्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन एण्ड मानिटरिंग सेंटर"

†*१६१७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रहों का ठीक ठीक पता लगाने के लिये भारत में 'टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन एंड मानिटरिंग सेंटर' स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इसको कहां स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं, किन्तु राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का एक छोटा मानक समय एंववारम्बारता केन्द्र और एक मानीटरिंग केन्द्र है, जिनसे यह निश्चय किया जाता है कि ट्रांसमिशन अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एवरेस्ट अभियान---१९६२

*१६१८. **श्री भक्त दर्शन**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय एवरेस्ट अभियान दल अपनी हाल की असफलता से हतोत्साहित नहीं हुआ है और आगामी जाड़ों में फिर एवरेस्ट पर चढ़ने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है और क्या तैयारियां की जा रही हैं ?

प्रतिरक्षा में राज्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख). एवरेस्ट अभियान दल के सदस्यों को अपनी कृति पर निराश होने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि वह उच्चतम स्तर की रही है। ऐवरेस्ट पर एक और अभियान के प्रश्न पर दल की दिल्ली में वापसी पर विचार किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश के नरसिंहगपुर जिलें में कोयले का उत्पादन

†*१६१९. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या खान और इंधन मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिलें के गोटोटोरिया और मोहपानी क्षेत्रों में कोयला उत्पादन का काम निकट भविष्य में आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). तीसरी योजना में यहां काम करने के लिये अभी तक कोई प्रस्थापना नहीं है ।

चीन की आकाश सीमा का कथित अतिक्रमण

†*१६२०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि साम्यवादी चीन ने भारत से उन अपनी ही आकाश सीमा के कथित अतिक्रमणों के विरुद्ध ३० मई, १९६२ को सरकार को सम्बोधित एक नोट के द्वारा विरोध प्रदर्शित किया है, जिसमें ६ मार्च और ३० अप्रैल, १९६२ के बीच ऐसे अतिक्रमणों की संख्या ६७ बताई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां ।

(ख) आरोपित उड़ानों की जांच भारतीय विमान बल के प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है और जांच पूरी होने के पश्चात् चीनी सरकार को उपयुक्त उत्तर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय सेना संगीत

†३६३७. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सेना संगीत को अधिक लोकप्रिय बनाने की योजना का विचार किया है ;

(ख) क्या अधिक समय तक बजने वाले रिकार्डों का एक ऐलबम निकालने का संगीत को लोक-प्रिय बनाने तथा धन कमाने के उद्देश्य का विचार किया गया है ; और

(ग) क्या इंगलिस्तान में व्हाइट सिटी स्टैडियम में होने वाले टैटूओं के समान सार्वधिक सैनिक टार्च लाइट टैटु आयोजित करने की सरकार की योजना है, जिसके द्वारा असमर्थ सिपाहियों, नाविकों और वैमानिकों के लिये धन भी इकट्ठा किया जाना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). छपे हुए सेना संगीत की प्रतियाँ बिक्री के लिये उपलब्ध हैं। यदि सेवा संगीत की माँग प्रोत्सहावर्धक होगी, तो अतिरिक्त प्रतियाँ छपाई जाएंगी और सार्वजनिक बिक्री के लिये संगीत को रिकार्डों में भरने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं। क्योंकि टैटूओं का आयोजन करने में पर्याप्त व्यय होता है और सेना के साधारण प्रशिक्षणों में बाधा पड़ती है, सामान्य नियम के तौर पर टैटूओं के आयोजन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता ।

नारियल की खली

†३६३८. **श्री रे० क० कुमारन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवीय उपभोग के लिये नारियल की खली के उपयोग के बारे में हो रहा अनुसन्धान का कोई परिणाम निकला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). नारियल में ऊंची किस्म की वनस्पति प्रोटीन हैं, किन्तु रेशे युक्त अवशेष से पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्था, मैसूर में किये गये अनुसन्धान से यह पता लगा है कि उचित परिष्करण हालात के अन्दर रेशा रहित एक अच्छी खाने योग्य किस्म की नारियल की खुराक तेल निकालने के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है। जब बंगाल चने के आटे और मूंगफली के आटे के साथ मिलाया जाए और विटामिन तथा खनिजों के साथ जोड़ा जाए, तो यह प्रोटीन की दृष्टि से घटिया खुराक के अनुपूरक के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। ८ महीनों में प्रोटीन खूराक के दैनिक २ औंस के साथ बच्चों को खिलाने के जो प्रयोग किये गये थे उन से बच्चों की उन्नति तथा पौष्टिक आहार संबंधी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

नवसाक्षरों के लिये साहित्य

†३६३९. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में १९६०–६१ और १९६१–६२ में कम पढ़े लिखे लोगों के

---

†मूल अंग्रेजी में

साहित्य तथा समाज शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में किन२ स्वयं सेठी संगठनों को सहायता दी गई थी ;

(ख) उन में से प्रत्येक को क्या सहायता दी गई है ;

(ग) कितनी प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) मैसर्स हिन्दी विश्वभारतीय लखनऊ।

(ख) १९६०–६१ में ६०,००० रुपये, जो १० जिल्दों में हिन्दी विश्वकोष के प्रकाशन के लिये सरकारी सहायता की चौथी किश्त थी। १९६१–६२ में कोई अनुदान नहीं दिया गया।]

(ग) ८ जिल्दें प्रकाशित हो चुकी हैं। जिल्द ६ और ७, १९६०–६१ में प्रकाशित की गई थीं और जिल्द ८, १९६१–६२ में।

उत्तर प्रदेश में पुस्तकालयों के विकास के लिये अनुदान

†३६४०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश में पुस्तकालयों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से किन स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान दिया गया है ;

(ख) उन में से प्रत्येक को कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ग) किन शर्तों के अधीन राशि मंजूर की गई थी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८७]**

सैनिकों की जीवन-कालिक अवशेष राशियां

†३६४१. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० अप्रैल, १९६२ तक राज्यवार कितने सैनिकों के जीवन-कालिक अवशेष राशियों के मामले लंबित पड़े हैं ;

(ख) उनकी अवशेष राशियों के तय होने और दिये जाने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ;

(ग) इन को दूर करने के लिये क्या उपाय सरकार द्वारा किये गये हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) मृत सैनिक पेंशनरों के उत्तराधिकारियों को पेंशन का भुगतान करने के ११३ दावों ३१ मई, १९६२ तक प्रतिशक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक, इलाहाबाद के पास लंबित थे। उनका राज्य-वार ब्योरा इस प्रकार है :

पंजाब	५९	मद्रास	१
मध्य प्रदेश	२१	हिमाचल प्रदेश	३
महाराष्ट्र	[१	गुजरात	१

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान	१३	त्रिपुरा	१
उत्तर प्रदेश	११	केरल	१
जम्मू और काश्मीर	१		

(३० अप्रैल, १९६२ को कितने मामले अवशिष्ट थे यह बता संभव नहीं है क्योंकि इस काम के लिये पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।)

पेंशन देने वाले अफसर जो डाक व तार विभाग अथवा राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्राधीन होते हैं, उन को भी इस प्रकार के दावों का कुछ सीमाओं तक निपटारा करने की शक्ति दी गई है। अतः ऐसे मामला दफ्तरों में कुछ दावे लम्बित पड़े होंगे, किन्तु क्योंकि बहुतेरे दफ्तरों का मामला है, इसलिये जिन सब दावों संबंधी सूचना एकत्रित करना संभव नहीं था।

(ख) इन मामलों के तय होने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि पूरे कागज़ उपलब्ध नहीं थे, अर्थात् पेंशन प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, वैधानिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जो दावेदारों द्वारा पेंशन बांटने वाले अफसरों के द्वारा भेजे जाने चाहियें। मुख्य कारण विलम्ब का यह है कि पेंशनर अपने उत्तराधिकारी नामित नहीं करते।

(ग) नियमाधीन पेंशन बांटने वाले अधिकारी को पेंशनर से अपना उत्तराधिकारी नामित करने का प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि एक नामित उत्तराधिकारी का अभाव बड़ी बात होती है, प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन), नियंत्रक को पुनः पेंशनरों में अपने उत्तराधिकारी नामित करने की वांछनीयता पर जोर देने के लिये कहा जा रहा है।

प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक, पेंशन बांटने वाले अधिकारियों के पास लंबित दावों के निपटारे ; असाधारण विलंब के मामलों की सूचना संगत प्रशासी पदाधिकारियों को देता है। फिर भी, उसे कहा जा रहा है कि वह अपने दफ्तर में तथा भुगतान करने वाले दफ्तरों में लंबित मामलों को निपटाने के लिये अग्रेतर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे विलंबों को रोकने या घटाने के लिये विचार करे।

पेंशन

†३६४२. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, कितने पेंशनरों को अस्थायी वृद्धि १ अप्रैल, १९५८ से बनाई गई है और जिन को ३० अप्रैल, १९६२ तक भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) राज्यवार कितने लोगों का भुगतान नहीं किया गया ;

(ग) उन को पेंशनों के भुगतान में विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) उन को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). ३१ मई १९६२ को, जिस की सूचना उपलब्ध है, प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक, इलाहाबाद ने १५७७१४ लोगों की पेंशनों में अस्थायी वृद्धि मंजूर की थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पेंशन बांटने वाले अफसरों

†मूल अंग्रेजी में

से मई १९६२ के अन्त तक १३४९५३ पेंशनों का भुगतान किया था । ३१ मई, १९६२ को बढ़ी हुई दर पर अस्थायी वृद्धि का भुगतान लगभग ११८७०० लोगों को नहीं हुआ ।

जैसाकि ८ दिसम्बर १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में बताया जा चुका है, यह सांख्यिकी अखिल भारतीय आधार पर रखी जाती हैं अतः राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) विलंब का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में पेंशनर अन्तर्ग्रस्त हैं।

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता प्रारंभ से ही ध्यान में रखी गई है। प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक ने सब राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से प्रार्थना की हैं कि वे अपने अधीन राजकोषाधिकारियों को उपयुक्त हिदायतें जारी करें। सभी पेंशन देने वाले अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे गये हैं कि वे इस मामले में जागरूक रहें। इस के अतिरिक्त, लगभग ६० जिला मैजिस्ट्रेटों को भी सी डी ए (पी) ने अर्धसरकारी तौर पर प्रार्थना की है कि वे इस काम में निजी दिलचस्पी लें। सी डी ए (पी) और उस के अफसर भी, सतर्क निगरानी रख रहेहैं ताकि जहां आवश्यकता हो उचित सहायता शीघ्र की जाय ताकि प्रत्येक पेंशन बांटने वाले अधिकारी तथा यथाशीघ्र अस्थायी वृद्धि की राशि दी जाय ।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान

†३६४३. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में विविध विश्वविद्यालयों और कालेजों को कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) १९६२-६३ में इन संस्थाओं को कितनी राशि देने के लिये नियत है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २७८३७४७७ रुपये ११ नये पैस ।

(ख) वि० अनु० आयोग द्वारा १९६२-६३ के लिये कोई अनुदान निर्धारित नहीं किया गया ।

स्टीम टर्बाइन जैनरेटरों का निर्माण

†३६४४. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि

(क) क्या मेसर्ज बिड़ला ब्रादर्स ने अमरीका की वैस्टिंग हाउस कार्पोरेशन के सहयोग से स्टीम टर्बाइन जैनरेटर बनाने के लिये सरकार को एक योजना पेश की है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न उस योजना पर विचार कर लिया है ;

(ग) योजना में कुल कितनी अनुमानित पूंजी लगानी होगी और उस में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, ; और

(घ) संयंत्र का प्रस्तावित स्थान कहां है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इस परियोजना पर लगभग ६ करोड़ रुपये खच होने का अनुमान हैं जिसमें ४.५ करोड़ रुपये का खर्च विदेशी मद्रा का होगा । अभी सरकार न योजना का विचार नहीं किया हैं। फैक्टरी के स्थान के बारे में अभी विचार किया जा रहा हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी बिजली उपकरण का निर्माण औद्योगिक नीति संकल्प १९५६ के अधीन सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं। सरकार ने भारी बिजली उपकरण की मांग का अनुमान लगाने के लिये एक तदर्थ प्रविधिक समिति नियुक्त की है। प्रश्न था कि क्या भारी बिजली उपकरण के निर्माण के लिये गैरसरकारी क्षेत्र में अग्रेतर क्षमता स्थापित की जानी चाहिये, फैसला सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में वर्तमान क्षमता तथा सरकारी क्षेत्र में क्षमता विकसित किय जाने और आयोजित किये जाने की दृष्टि से समिति के रिपोर्ट का परीक्षण किये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

केरल में स्टेनलैस स्टील फैक्टरी

†३६४५. **श्री मे० क० कुमारन:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में अहिंगल के एक स्टेनलैस स्टील फक्टरी की स्थापना का मामला किस स्तर पर है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्):** मंत्रालय के समक्ष केरल राज्य में स्टेनलस स्टील के निर्माण के लिये अहिंगल में कोई फटक्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

तथापि अहिंगल में स्टैनलैस स्टील और अल्मोनियम के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण देने के लिये वहां पर एक अल्प उद्योग विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। अहिंगल में स्थायी फैक्टरी की इमारत का निर्माण-कार्य अभी पूरा हुआ है। बिजली की तारें अभी लगानी है। जब तक वह नहीं होता विस्तार केन्द्र अस्थाई तौर पर एतूभानूर में औद्योगिक बस्ती में रखा गया है और वहां २१ मई, १९६२ से उत्पादन आरम्भ हुआ है।

गृहकार्य मंत्री का स्वविवेक सम्बन्धी अनुदान

†३६४६. **श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में १९५७ से अब तक किन-किन गैर-सरकारी संस्थाओं को गृहकार्य मंत्री के स्वविवेक अनुदान मिले हैं ;

(ख) कितने राजनैतिक पीड़ितों को ऐसी सहायता मिली ;

(ग) कितने आवेदन पत्र आये और कितनों को मंजूर किया गया ; और

(घ) कुल कितनी महिला आवेदनकर्ता थीं और कितनी को ऐसी सहायता मिली ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) एक संस्था अर्थात् गण्टूर जिले का "विनयाश्रम"।

(ख) १७६।

(ग) और (घ). राजनैतिक पीड़ितों के आवेदन पत्र आरंभ में राज्य सरकारों के पास भेज दिये जाते हैं ताकि सम्बन्धित राज्य की सहायता योजना के अधीन उन के आवेदन पत्र पर विचार किया जाये। गृहकार्य मंत्री के स्वविवेक संबंधी अनुदान केवल ऐसे निजी मामलों में दिये जाते हैं, जिन के लिये राज्य सरकार ने सिफारिश की हो। अतः मांगी गई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज

†३६४७. **श्री राम हरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उपयुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने केलिये सरकार कोई राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज खोलना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कालेज संस्थापन का ब्योरा क्या है और उसमें कितने विद्यार्थी भरती हो सकते हैं तथा अन्य ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज जुलाई १९५६ से चल रहा है और लोगों को प्रशिक्षण द रहा है।

(ख) डायरेक्टर के अलावा, एक डिप्टी डायरेक्टर, दो असिस्टेंट डायरेक्टर और चार डिप्टी असिस्टेंट डायरक्टर हैं। इसके अलावा प्रदर्शन विभाग, कार्यालय, होस्टल तथा वर्कशाप के कर्मचारी हैं।

कालेज में एक साथ दो पाठ्यक्रम चलते हैं और होस्टल में उपलब्ध स्थानों को देखते हुए इस में ७२ प्रशिक्षार्थियों को भरती किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये विद्वान

†३६४८. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इस मंत्रालय की योजनाओं के अधीन कितने विद्वानों को विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुना गया ; और

(ख) इस प्रकार चुने गये विद्वानों की राज्यवार संख्या क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :

(क) १०४१

(ख)

आन्ध्र प्रदेश . .	८५
आसाम . . .	१०
बिहार . .	५१
दिल्ली .	४४
गुजरात . . .	२६
जम्मू तथा काश्मीर .	७
केरल . . .	३१
मध्य प्रदेश	३२
मद्रास . .	१५०
महाराष्ट्र . . .	१०९
मैसूर . . .	८०

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा	१९
पंजाब .	७४
पांडचेरी .	२
राजस्थान . .	१७
उत्तर प्रदेश . .	१४७
पश्चिमी बंगाल . .	१५७

मद्रास में बाढ़ के दौरान सैनिक सहायता

†३६४९. **श्री धर्म लिंगम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में बाढ़ों की दौरान क्या मद्रास सरकार ने असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए सैनिक सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की सहायता दी गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). १९६०–६१ में बाढ़ के दौरान सशस्त्र सेनाओं की सहायता की कोई मांग मद्रास राज्य ने नहीं की थी।

१९६१–६२ में राज्य सरकार ने सेना तथा वायु सेना की सहायता मांगी थी और यह सहायता उसे दी गयी। तंजौर, दक्षिण अरकाट और त्रिचनापली जिलों में २०० से अधिक व्यक्तियों को बचाने और उन्हें संकट से निकालने में सेना ने असैनिक अधिकारियों की सहायता की। सेना ने ग्रैंड अरकाट में कोलेरून नदी की बांध में ३०० फीट की दरार बन्द करने में भी सहायता दी। वायु सेना ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई दौरा करने के लिए विमान दिये।

पचमढ़ी में सैनिक स्कूल

†३६५०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पचमढ़ी विकास समिति ने सिफारिश की है कि पचमढ़ी में एक सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क), (ख) और (ग). मध्य प्रदेश सरकारने प्रस्ताव रखा कि पचमढ़ी में एक सनिक स्कूल खोला जाना चाहिए और यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

रद्दी लोहे का निर्यात

†३६५१. **श्री नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री तन सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में देश से कुल कितने टन रद्दी लोहे का निर्यात किया गया;

(ख) निर्यात किये गये कुछ लोहे का पत्तन-वार तथा किस्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तैयार इस्पात के आयात के बदले में कितने लोहे के निर्यात की अनुमति दी गयी; और

(घ) १९६१–६२ में रद्दी लोहे के निर्यात के बदले में कितनी मात्रा में तैयार इस्पात का आयात किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रद्दी लोहे का निर्यात

†३६५२. { **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री तन सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैयार इस्पात के बदले में रद्दी लोहे का निर्यात करने की अनुमति देने वाली १९६२–६३ की नीति के अधीन अधिकतम ३,६०,००० टन के निर्यात की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिकतम सीमा का उद्देश्य क्या है और इसका आधार तथा लाभ क्या है; और

(ग) क्या यह मांग की गयी है कि यह अधिकतम सीमा व्यर्थ है और इसे हटा दिया जाना चाहिए और २,००० टन तक रद्दी लोहे के निर्यात की सरल प्रक्रिया रहनी चाहिए।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). इस्पात के आयात के बदले अधिकतम ३,६०,००० टन तक रद्दी लोहे का निर्यात करने की अनुमति दी गयी है। निर्यात पर अर्जित विदेशी मुद्रा के २/३ मूल्य के बराबर आयात की अनुमति दी जाती है। अधिकतम सीमा हटाने के लिए मांग की गई है। देश में उपलब्ध रद्दी लोहे की उपलब्धता को देखते हुए इस सीमा को हटाना उचित नहीं समझा गया है और निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना अधिक अच्छा है बजाय इसके कि निर्यात की सारी आय को इस्पात के आयात पर खर्च कर दिया जाय। रद्दी लोहे की निर्यात सम्बन्धी नीति पर रद्दी लोहे सम्बन्धी जांच समिति की रिपोर्ट को देखते हुए पुनर्विचार किया जायेगा। यह रिपोर्ट अभी सरकार के सामने विचाराधीन है

रद्दी लोहे का निर्यात

†३६५३. { **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री तन सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत जनवरी के बाद देश से रद्दी लोहे का निर्यात निरन्तर कम होता गया है;

†मूल अंग्रजी में

(ख) क्या सरकार ने इस कमी के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) क्या इस कमी को रोकने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई उपाय सोचे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). जी हां। हमारे रद्दी लोहे के निर्यात का सब से बड़ा बाजार जापान है और उसने उस देश में इसके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

(ग) अब घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई कर लगाये बिना रद्दी लोहे के निर्यात की अनुमति दी जाती है जब कि पहले ऐसे निर्यात के बदले घरेलू उपभोक्ताओं पर कर लगाया जाता था।

गलाया जाने वाला भारी रद्दी लोहा

†३६५४. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री तन सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे नं० १ चादर काटने वाले रद्दी लोहे, टर्निंग और बोरिंग का देश के भीतर नियंत्रित मूल्य विश्व मूल्य की तुलना में बहुत कम है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मूल्य देश के भीतर उपलब्धता, लागत, मांग आदि को देखते हुए निर्धारित किये जाते हैं न कि विदेशी बाजारों के मूल्यों को देखते हुए निर्धारित किये जाते हैं। रद्दी लोहे का भारत में मूल्य विश्व मूल्य को देखते हुए कम है।

न्यायालयों में वकील

†३६५५. **श्री हेम राज** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के अन्त में न्यायालयों में कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के वकीलों की संख्या राज्य-वार और उच्च न्यायालय-वार कितनी थी; और

(ख) उन में से कितनों ने एडवोकेट अधिनियम, १९६१ के अधीन अपने नाम एडवोकेट के रूप में लिखाना पसन्द किया है, उनकी संख्या राज्य-वार और उच्च न्यायालय-वार कितनी है ?

†**विधि मंत्रालय में उमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : जैसा कि उनके अतारांकित प्रश्न संख्या २६०० के उत्तर में ५ जून, १९६२ को बताया जा चुका है, यह जानकारी उच्च न्यायालयों और राज्य की बार कौंसिलों से इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में पुरातत्वीय खुदाई

†३६५६. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली और दूसरी योजना की अवधि में उड़ीसा में कोई पुरातत्वीय खुदाई की गई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) इसके परिणाम वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के "भारतीय पुरातत्व—एक समीक्षा" में प्रकाशित कर दिये गये हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उड़ीसा के महालेखापाल का कार्यालय

†३६५७. **श्री उजाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में महालेखापाल के कार्यालय, भुवनेश्वर में और उप महालेखापाल के कार्यालय, पुरी में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी नीचे दी गयी है :

कार्यालय का नाम	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या
उड़ीसा के महालेखापाल का कार्यालय, भुवनेश्वर .	५८	४
उप महालेखापाल का शाखा कार्यालय, पुरी . .	१९	२

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनायें

†३६५८. **श्री उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से १९६२ तक उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास योजनाओं हेतु कितनी राशि मंजूर की गयी; और

(ख) हर वर्ष में कितनी राशि खर्च की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी जाती है :

(लाख रु०)

वर्ष	पिछड़ी जातियों की श्रेणियां			
	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिम जातियां	
	स्वीकृत राशि	खर्च राशि	स्वीकृत राशि	खर्च राशि
१९५८–५९ . . .	३.००	३.००	८.००	८.००
१९५९–६० .	३.००	२.७९	९.००	८.३३
१९६०–६१ . . .	१०.००	९.७६	९.८८	११.८८
१९६१–६२ . . .	२.८६	२.८६*	१.००	१.००*

*[राज्य सरकार द्वारा बताया गया अनुमानित खर्च। वर्ष १९६१–६२ के लिए वास्तविक खर्च के आंकड़े अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।]

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टरेट

†३६५९. **श्री उलाका :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से १९६२ में अब तक उड़ीसा से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से (सर्किल-वार) कितनी राजस्व राशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का एक पृथक् कलेक्टोरेट बनाना राजस्व सम्बन्धी मामले पर ही निर्भर है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का कलेक्टोरेट स्थापित करने के लिये कितना राजस्व होना जरूरी होता है ; और

(घ) क्या उपरोक्त स्थिति के अनुसार उड़ीसा में एक पृथक् कलेक्टोरेट खोला जा सकता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) मांगी गयी जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

सर्किल का नाम	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	हजारों में	हजारों में	हजारों में	हजारों में	हजारों में
१. कटक	६२,८७	६४,००	६८,०६	८४,०३	१,०५,२७
२. रायगाडा	१३,२९	१५,४५	१२,४०	१२,२३	११,७०
३. बरहमपुर	१०,५०	११,४५	१३,२९	१३,३५	१२,५१
४. सम्बलपुर	१,४९,१२	१,९२,५८	१,९७,५४	३,७०,६१	४,७९,७६
योग	२,३५,७८	२,८३,४८	२,९१,२९	४,८०,२२	२,०९,२४

(ख) जी नहीं । इसकी कसौटी कुल काम की मात्रा और अन्य प्रशासकीय बातें हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) काम की वर्तमान मात्रा तथा अन्य प्रशासकीय बातों को देखते हुए उत्तर नकारात्मक है ।

उड़ीसा में पुराने स्मारकों के परिरक्षण के लिये अनुदान

†३६६०. **श्री उलाका :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐतिहासिक महत्व के पुराने स्मारकों के परिरक्षण के लिए क्या वर्ष १९५९–६० से १९६१–६२ के बीच कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी राशि आवंटित की गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्कल विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक समारोहों के लिये अनुदान

†३६६१. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक समारोह करने के लिये १९५७–५८ से अब तक कितनी राशि का अनुदान दिया गया ;

(ख) विश्वविद्यालय ने उसका कैसे इस्तैमाल किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५७ और १९५८ में क्रमश: ३८०७ रु० और ४,००० रु० का अनुदान दिया गया।

(ख) अन्तर्कॉलिज नवयुवक समारोहों पर इस राशि को खर्च किया गया।

उड़ीसा में अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के लिये जल सुविधायें

†३६६२. **श्री उलाका** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पानी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में केन्द्र द्वारा चालू की गयी योजनाओं के अधीन कितने कुओं की मंजूरी दी जा चुकी है ; और

(ख) उनमें कितना धन खर्च हुआ।

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर)** : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी हुई है :

	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिम जातियां	
	मंजूर कुओं की संख्या	वर्ष में हुआ खर्च (लाख रुपयों में)	मंजूर कुओं की संख्या	वर्ष में हुआ खर्च (लाख रुपयों में)
१९५८–५९ .	५३	०.८०	१००	१.५०
१९५९–६० .	५३	०.७९	२६६	३.८९
१९६०–६१ . . .	५४	०.९०	४५७	६.१५

तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम में जल-सम्भरण सम्बन्धी कोई योजना नहीं है। अत: १९६१–६२ के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

उड़ीसा में कृषि बस्तियां

†३६६३. **श्री उलाका** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में केन्द्र द्वारा चलाई गयी योजनाओं के अधीन उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किन-किन स्थानों पर कृषि बस्तियां बसाई गयी हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में इस काम के लिये उपयोग में कितनी राशि लाई गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केन्द्र द्वारा चलाई गयी योजना में उड़ीसा में कोई कृषि बस्ती नहीं बसाई गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मणिपुर में हत्यायें

†३६६४. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९६० से ३१ मई, १९६२ के बीच मनीपुर के घाटी क्षेत्रों में कितनी हत्यायें हुईं ;

(ख) हत्याओं के मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ग) कितनी हत्याओं के मामले में एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है ;

(घ) कितने मामले निबट गये हैं और कितने निलम्बित हैं ; और

(ङ) फरार अपराधियों को पकड़ने और शीघ्रता से मामलों को निबटाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३२

(ख) १५७

(ग) ५

(घ) मामले निबट गये २५
चल रहे मामले ४
छानबीन हो रही है . ३

(ङ) फरारों के छिपने के संभाव्य स्थानों की तलाशी, सुराग लगाने के लिये विशेष दलों को लगाना, अन्य राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करना और अन्तर्राज्यीय अपराधियों के मामले में चुने हुये अधिकारियों को भेजना और आकर्षक इनाम की घोषणा करना आदि उपाय किये गये हैं । मामलों को शीघ्रता से निबटाने के लिये किये गये उपायों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखभाल, अपराध का पता लगाने में सहायक वस्तुओं का विशेषज्ञ द्वारा शीघ्र परीक्षण, समन की ठीक पहुंच तथा वारण्टों का ठीक कार्यान्वयन आदि सम्मिलित हैं । दो महीने से अधिक पुराने मामलों में न्यायिक आयुक्त भी मजिस्ट्रेटों से विलम्ब का कारण पूछता है ।

मनीपुर से इंजीनियरिंग विद्यार्थी

†३६६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे इंजीनियरिंग (टैक्नीकल) कालेजों की संख्या कितनी है जिनमें मनीपुर के विद्यार्थियों के लिये सीटें सुरक्षित की जाती हैं ;

(ख) प्रत्येक कालेज में कितनी सीटें उपलब्ध हैं ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) इन कालेजों में आदिवासी विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये क्या विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, है ; और

(घ) प्रशासन और भारत सरकार द्वारा मनीपुर के विद्यार्थियों को उच्च प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). निम्नलिखित संस्थाओं में दीर्घकालीन आधार पर पांच सीटें सुरक्षित हैं :

विक्टोरिया जुबली टैक्नीकल इंस्टीट्यूट, बम्बई . . .	४
कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता .	१

इसके अतिरिक्त प्रशासन से समय समय पर प्राप्त प्रार्थनाओं के अनुसार अतिरिक्त सीटें प्राप्त की जाती हैं। १९६१–६२ में गौहाटी के आसाम इंजीनियरिंग कालेज में सात अतिरिक्त सीटें सुरक्षित की गई थीं ।

(ग) और (घ). सीटों के आरक्षण के अतिरिक्त आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

नागा उपद्रवियों और सुरक्षा सैनिकों में मुठभेड़

†३६६६. **श्री रिशांग किशिंग**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६२ के मध्य में उखरूल के पास शिरोई गांव में नागा उपद्रवियों और सुरक्षा सैनिकों में टक्कर हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). मई के मध्य में नहीं, जैसाकि प्रश्न में कहा गया है, वरन् ३१ मई, १९६२ को उखरूल के पास सिरूही गांव में नागा उपद्रवियों और सुरक्षा सैनिकों में टक्कर हुई थी । इस टक्कर में ३ नागा उपद्रवी मारे गये और ४ बन्दी किये गये जिनमें ३ घायल थे । हमारी सुरक्षा सेना का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ ।

जम्मू तथा काश्मीर में ब्रिक्वेटिंग प्लाण्ट[1]

†३६६७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर घाटी में 'ब्रिक्वेटिंग प्लांट' स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत कितनी होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Briquetting Plant.

(ग) क्या केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था इस योजना में भाग ले रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (घ). जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा धनबाद की केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था के सहयोग से लगभग १२ लाख रुपये की लागत से १० टन/घंटा क्षमता का एक पायलट ब्रिक्वेटिंग प्लाण्ट स्थापित किया जा रहा है । यह संस्था इस संयंत्र को परीक्षणात्मक आधार पर चलायेगी तथा बाद में वह जम्मू तथा काश्मीर सरकार को सौंप दिया जायेगा जो उसे एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में चलायेगी । केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था इस संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक डिजाइन, प्रविधिक एवं पर्यवेक्षण कर्मचारी प्रदान करेगी । समस्त निर्माण कार्य और स्थल की तैयारी आदि का कार्य जम्मू तथा काश्मीर सरकार करेगी । वास्तविक व्यय की सहभागिता के मामले का निर्णय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा कालान्तर में किया जायेगा ।

आयकर की बकाया राशि

३६६८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या १६ अप्रैल, १९६२ तक आयकर की राशि का बहुत सा अंश बकाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर की बकाया रकमों के आंकड़े ३० जून, ३० सितम्बर, ३१ दिसम्बर और ३१ मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के अन्त में इकट्ठे किये जाते हैं । इसलिये यह बता सकना सम्भव नहीं कि १६ अप्रैल, १९६२ को कितनी रकम बकाया थी । लेकिन ३१ दिसम्बर, १९६१ को १७१·५९ करोड़ रुपये की वसूल की जाने वाली रकम बकाया था । १ अप्रैल, १९६२ को बकाया वसूलियों के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । जितनी जल्दी हो सकेगा, उन्हें सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ख) कर न चुकाने वाले व्यक्तियों से आयकर वसूल करने के लिये, आयकर अधिनियम, १९६१ में निर्दिष्ट निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(एक) समय पर कर अदा न करने पर, धारा २२१(१) के अधीन जुर्माना ;

(दो) धारा २२२(१) के अनुसार, कर वसूल करने वाले अधिकारी के नाम प्रमाणपत्र जारी करना । यह अधिकारी प्रमाणपत्र मिलने पर, कर की बकाया रकम वसूल करने के लिये कार्रवाई करता है ;

(तीन) बड़े बड़े शहरों में कर अदा न करने वाले व्यक्ति की चल-सम्पत्ति की कुर्की के लिये कुर्की के वारण्ट जारी करना, यदि उन शहरों में म्युनिसिपल करों की वसूली के लिए उसी तरह की व्यवस्था है ;

(चार) अधिनियम की धारा २२६(२) के अन्तर्गत लिखित नोटिस जारी कर के भुगतान (डिसबर्सिंग) अफसर से, कर अदा न करने वाले व्यक्ति के वेतन की अदायगी करते समय उस के वेतन से, यदि वह व्यक्ति वेतन भोगी हो, कर की बकाया रकम काटने के लिये कहना ; और

(पांच) धारा २२६ (३) के अन्तर्गत लिखित नोटिस जारी कर के किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिस से कर अदा न करने वाले व्यक्ति को रकम मिलनी है या

†मूल अंग्रेजी में

मिल सकती है, नोटिस में लिखी कर की बकाया रकम आयकर अफसर के पास अदा करने के लिये कहना ।

त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी

३६६९. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा प्रशासन में हिन्दी और अंग्रेजी का कार्य करने वाले पृथक्-पृथक् कितने अधिकारी, सहायक, आशुलिपिक-टीपक अथवा लिपिक आदि हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : हिन्दी और अंग्रेजी में काम करने के लिये अलग अलग अधिकारी, सहायक इत्यादि नहीं रखे गये हैं ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये शिक्षा संहिता

३६७०. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के स्कूलों के लिये शिक्षा संहिता में ऐसा उपबन्ध रखने का विचार है जिस के अनुसार अकारण नौकरी से अलग किये जाने वाले शिक्षकों के मामले न्यायालय में जा सकेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी, नहीं । लेकिन वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, जिन को संहिता में शामिल किया जा रहा है, ऐसे अध्यापकों को अपील-न्यायाधिकरण से अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील-न्यायाधिकरण सरकारी सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूल अध्यापकों (अनुशासन, दंड और अपील) नियमों---गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल टीचर्स (डिसिप्लिन, पनिशमेंट एण्ड अपील) रूल्स, के अन्तर्गत गठित हुआ था, जिन की रचना सरकार ने १९५९ में की थी ।

रेलवे सेवाओं में प्रथम श्रेणी के अप्रविधिक कर्मचारी

†३६७१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की रेलवे सेवाओं के समस्त प्रथम श्रेणी के अप्रविधिक कर्मचारियों के केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पदों में प्रतिनिधित्व संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने पदाधिकारी काम पर आ गये हैं और किस रेलवे से ; और

(ग) उन की प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) वेतन आयोग ने सिफारिश कोई नहीं की थी वरन् केवल यह मत (दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय ११ का पैरा ८) प्रकट किया था कि भारत सरकार द्वारा अपने मुख्यालय संगठन के लिये अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र से कर्मचारी प्राप्त करना वांछनीय होगा और प्रथम श्रेणी की (अप्रविधिक) सेवाओं के अधिकारियों

---

†मूल अंग्रेजी में

की योग्यता और अनुभव की विविधता का अधिक उपयोग किया जाना केन्द्रीय संगठन की कार्यदक्षता के हित में होगा ।

(ख) और (ग). इस समय भारतीय रेलवे एकाउण्ट सेवा के तीन अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय में काम कर रहे हैं । उन की प्रतिनियुक्ति की कोई अवधि नहीं निर्धारित की गई है ।

सर्वे आफ इंडिया के विभागीय छुट्टी पर गये कर्मचारी

†३६७२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वे आफ इंडिया में काम करने वाले तीसरी और चौथी श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी १९६०-६१ और १९६१-६२ में विभागीय छुट्टी पर गये ; और

(ख) तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को भुगतान किये गये छुट्टी के वेतन की दरें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

		तीसरी श्रेणी	चौथी श्रेणी
(क)	१९६०-६१	१४	६७५
	१९६१-६२	१०	७०४
(ख)	१३-१२-६० तक	वेतन का २५ प्रतिशत	१.०० रुपया प्रतिमाह और प्रतिवर्ष सेवा पर ५० नये पैसे की वृद्धि जो अधिक से अधिक ८ रुपये तक जायेगी ।
	१३-१२-६० के बाद	वेतन का ५० प्रतिशत	कम से कम १०.०० रुपये और प्रतिवर्ष सेवा के लिये १ रुपया की वृद्धि जो अधिक से अधिक वेतन के ५० प्रतिशत तक जायेगी ।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

३६७३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में अब तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान में कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों को पकड़ा है और उन के पास कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया है ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा राजस्थान में १९६२ में (अप्रैल १९६२ तक) चोरी-छिपे माल लाने वाले ६ पाकिस्तानी पकड़े गये; और उन के पास १७४० रुपये की कीमत का माल पकड़ा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पकड़ा गया सारा माल जब्त कर लिया गया है और चोरी-छिपे माल लाने वालों पर मुकदमा चलाया गया। उस के बाद सबों को अपराधी करार दे दिया गया।

मनीपुर में नागा उपद्रवी

†३६७४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में मनीपुर के विभिन्न भागों में नागा उपद्रवियों द्वारा कितने असैनिकों का अपहरण किया गया ;

(ख) कितने अपहृत व्यक्ति नागा उपद्रवियों द्वारा मार डाले गये और कितने उन के हाथ से बच निकले ; और

(ग) सरकार ने असैनिकों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में नागा उपद्रवियों द्वारा ३८ व्यक्तियों का अपहरण किये जाने की खबर मिली है। इन में से चार उपद्रवियों द्वारा मार डाले गये और सात उन के हाथ से बच निकले।

(ग) उखरूल, तामेंगलांग सबडिवीजन और माओमरम सर्किल, सशस्त्रबल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, १९५८ की धारा ३ के अन्तर्गत, अशांत क्षेत्र घोषित किये गये हैं। प्रशासन की नागा उपद्रवियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कदम उठाने में सहायता करने के लिये बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० भी मनीपुर में लागू कर दिया गया है। सुरक्षा सेनायें व्यापक गश्त कर रही हैं।

मणिपुर में हत्या के मामले

†३६७५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में हत्या के मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ;

(ख) १९६०, १९६१ और १९६२ में हत्या के कितने मामले दर्ज किये गये ; और

(ग) ऐसी हत्याओं के लिये जिम्मेदार मुख्य कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग).

	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	कारण	
१९६० .	३१	नागा उपद्रवियों की गतिविधियां और आदिवासी झगड़े।	१८
		महिला षड्यन्त्र और व्यक्तिगत शत्रुता।	१३
१९६१ .	२५	नागा उपद्रवियों की गतिविधियां और आदिवासी झगड़े।	१०
		पशुओं की चोरी	४

†मूल अंग्रेजी में

	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	कारण	
		पारिवारिक झगड़े	१
		पारिवारिक षड्यन्त्र और व्यक्तिगत शत्रुता ।	१०
१९६२ . . .	६	नागा उपद्रवियों की गतिविधियां	३
(३०-४-६२ तक)		व्यक्तिगत शत्रुता	३

बर्दवान में तार खींचने के संयंत्र की स्थापना

†३६७६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बर्दवान में एक तार खींचने का संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं;

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) क्या निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है सिवाय इसके कि एक पक्ष ने अपने प्रार्थनापत्र में अपने तार खींचने के एकक के लिये बर्दवान जिले का उल्लेख एक संभावित स्थान के रूप में किया है तथा उसी प्रार्थना-पत्र में बिहार, उड़ीसा अथवा हावड़ा को अन्य संभावित स्थान बताया गया है ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

†३६७७. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में त्रिपुरी सम्प्रदाय के विद्यार्थियों के लिये प्राइमरी स्तर तक त्रिपुरी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये अभी तक कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). त्रिपुरी भाषा के विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और प्रारम्भिक कदम के रूप में प्राईमरी कक्षाओं के लिये एक प्राईमर त्रिपुरी भाषा में प्रकाशित की जा रही है । उसका शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग उपयुक्त पुस्तकों और अध्यापन साहित्य की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा ।

त्रिपुरा में वन सम्पत्तियों में आग लगना

†३६७८. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में त्रिपुरा में हुए ऐसे अग्निकांडों की संख्या कितनी है जिनसे वन सम्पत्ति नष्ट हुई ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन अग्निकांडों से वन सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) इन अग्निकांडों के कारण क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ४५ ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) त्रिपुरा के रक्षित वन में बीच बीच में गैर-सरकारी व्यक्तियों की जमीनें आ गई हैं । इसके अतिरिक्त अतिक्रमण और अप्राधिकृत कार्रवाईयां भी होती हैं और कभी कभी शरारतें भी अग्निकांड के लिये जिम्मेदार होती हैं ।

मेसर्स एस० डी० सेठिया एण्ड कम्पनी द्वारा कोयले की बिक्री

†३६७९. श्री पु० र० पटेल : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के लघु उद्योग संघ और गुजरात तथा महाराष्ट्र की सरकारों ने सरकार से यह शिकायत की थी कि मेसर्स एस० डी० संठिया एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने हार्ड-कोक के उपोत्पाद के लिये अधिसूचित मूल्य से १८.८० रुपया प्रति टन अधिक मूल्य लिया;

(ख) क्या सरकार ने उस संघ तथा अन्य पक्षों को उत्तर में यह सूचित किया था कि सरकार मेसर्स एस० डी० सेठिया एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कारवाई करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने मेसर्स एस० डी० सेठिया एण्ड कम्पनी लिमिटेड से खरीददारों स वसूल किया गया अतिरिक्त धन वापस करने के लिये कहा है; और

(घ) अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य लेने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मेसर्स एस० डी० सेठिया एण्ड कम्पनी लिमिटेड बरारी कोक कम्पनी के सेलिंग एजेण्ट हैं जिन्होंने अधिक मूल्य लिया था और सेलिंग एजेण्ट ने वह उपभोक्ताओं से वसूल किया । मेसर्स बरारी कोक कम्पनी के विरुद्ध कोयला खान नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के लिये कानूनी कार्रवाई की गई है । मेसर्स सेठिया एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जो उनके सेलिंग एजेण्ट हैं, के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

अमान्य मतपत्र

†३६८०. श्री हरि विष्णु कामत : क्या विधि मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के सामान्य निर्वाचन में :

(१) प्रत्येक राज्य के विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में; और (२) प्रत्येक राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग अफसर द्वारा कितने मतपत्रों को अमान्य घोषित किया गया; और

(ख) वे किन आधारों पर अस्वीकृत किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिन में १९६२ के सामान्य निर्वाचन में संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अस्वीकृत मतों की संख्या राज्यवार दिखाई गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ख) मतपत्रों को निम्नलिखित में से किसी न किसी आधार पर अस्वीकृत किया गया था।

(१) मतपत्र पर सामने अथवा पीछे की ओर कोई भी चिह्न नहीं था; अथवा

(२) चिह्न रिक्त स्थान अर्थात् पीछे की ओर था; अथवा

(३) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्न लगे थे; अथवा

(४) कोई ऐसा लेख या चिह्न था जिसस मतदाता को पहचाना जा सकता था; अथवा

(५) मतपत्र इतना खराब हो गया था कि समझ में नहीं आता था; अथवा

(६) मतपत्र खाली था ।

महाराष्ट्र में सीमेंट का कारखाना

†३६८१. **श्री शिवाजीराव सं० देशमुख :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में चूने के पत्थर के निक्षेप को निकालने के लिये एक सीमेंट के कारखाने की स्थापना के लिये लाईसेंस मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना कहां की जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २४३,८१० मीट्रिक टन प्रति वर्ष

(ग) चांदा जिले में घुगुस में ।

आदर्श पुस्तकालय अधिनियम

†३६८२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श पुस्तकालय अधिनियम पर सेन समिति के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

(ग) सरकार ने समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८९]**

(ख) विधि मंत्रालय उस प्रतिवेदन तथा आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की जांच कर रहा है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी इंजीनियरिंग संयंत्र, रांची

†३६८३. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है :

(१) भारी मशीन निर्माण परियोजना;

(२) फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना; और

(३) भारी मशीनी औजार निर्माण संयंत्र; और

(ख) आवश्यक मशीनें सोवियत संघ तथा चेकोस्लोवाकिया से कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९०]

गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी बिजली उपकरण का निर्माण

†**३६८४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री २३ मई, १९६२ तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भारी बिजली उपकरणों के निर्माण के लिये अतिरिक्त क्षमता मंजूर करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

अनुसूचित क्षेत्रों और नेफा में सड़कें

†३६८५. { श्री डे० जी० नायक :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुसूचित क्षेत्रों तथा नेफा में विभिन्न श्रेणियों की कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं ; और

(ख) उन क्षेत्रों को सड़क विकास के सम्बन्ध में अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की बराबरी पर लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार तथा नेफा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है । ब्यौरा प्रदान करने वाला विवरण यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमंडलों के लिये विदेशी मुद्रा

†३६८६. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में कितने सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गय और

(ख) इन में से प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). आवश्यक सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और तयार हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) में ढलाई का कारखाना

३६८७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) में ढलाई का एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी लागत, उत्पादन क्षमता आदि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). सरकार सरकारी क्षेत्र में दूसरा ढलाई का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । अभी तक विस्तृत योजना तैयार नहीं हुई है ।

व्यापार-गृहों में काम करने वाले अवकाश-प्राप्त सरकारी कर्मचारी

†३६८८. **श्री गु० बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१-६२ में प्रथम श्रेणी के कितने सरकारी कर्मचारियों ने सेवा से निवृत्त हो कर व्यापार-गृहों में नौकरी की ;

(ख) क्या ऐसे किसी सरकारी अधिकारी ने किसी ऐसे व्यापार-गृह में नौकरी की है जिसका साथ उसका सरकारी अधिकारी के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था ; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने सरकार से अनुमति ले ली थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में इलैक्ट्रानिक्स

†३६८९. **श्री प्र० के० देव :**
श्री कोहोर :
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उच्चतम न्यायालय से एक न्यायाधीश की सेवायें ऋण पर लेने की प्रार्थना की है जो पिछले निर्वाचन में अपनाई गई अनेक आरोपित कुप्रथाओं के जांच करने वाले उच्चशक्ति प्राप्त आयोग में कार्य करेंगे ;

(ख) इस प्रार्थना पर उच्चतम न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा सरकार को अपने किसी न्यायाधीश की सेवायें ऋण देने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की सेवायें ऋण पर देने की प्रार्थना की थी। मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की है।

(ग) नहीं।

आग सलाहकार समिति

३६९०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक आग सलाहकार समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का कार्य क्या और उसके निर्माण की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) (क) जी, हां।

(ख) भारत में अग्निशमन सेवाओं के सुधार के तरीकों पर विचार करने के लिये समिति का निर्माण किया गया था। इसके मुख्य कार्य अग्निशमन सेवाओं से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं की देखभाल करना तथा भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सिफारिशें देना, और भारतीय मानक संस्थान के द्वारा अग्निशमन उपस्कर का मानकीकरण कराना है।

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनायें

†३६९२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्रीमती सरोजिनी महिषी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये ऋण किन विभिन्न साधनों से प्राप्त हुये हैं ;

(ग) इन ऋणों पर ब्याज की क्या दर है ;

(घ) इन ऋणों में कुल कितना ब्याज बकाया है ; और

(ङ) क्या एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य सम्मान[1]

†३६९३. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष भारत रत्न, पद्म-भूषण, आदि जैसे अनेक राज्य सम्मान देने की संवैधानिक मान्यता तथा औचित्यता की जांच की है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में किसी विधि विशेषज्ञ से परामर्श किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हां । सरकार को सलाह दी गई है कि इन सम्मानों को उपाधियां नहीं माना जा सकता और इस प्रकार इनके दिये जाने से संविधान का उल्लंघन नहीं होगा ।

खनन पट्टों के लिए राज्यों को स्वामिस्व

†३६९४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खनन पट्टों के लिए राज्य सरकारों को स्वामिस्व किस दरपर दिया जाता है ;

(ख) इन दरों को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में दरों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन का क्या ब्यौरा है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) और (ख) विभिन्न खनिजों के स्वामिस्व की दरें खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की अनसूची २ में निश्चित है । ये दरें सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती हैं ।

(ग) ये दरें संविहत हैं इस कारण उन के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तीसरी योजना में नये कालेज

†३६९५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना म वर्ष १९६१-६२ में कितने नये कालिज खुल और वर्ष १९६२-६३ तथा योजना के बाद के तीन वर्षों में कितने कालिज खोले जायेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]State Awards.

(ख) प्रत्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य की आवश्यकता निर्धारित हो गई है; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नये कालेजों के लिये कुल कितने व्यय का पूर्वानुमान और व्यवस्था की गई है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष ७० से ८० नये कालिज खुलेंगे।

(ख) नहीं, श्रीमान्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता सुस्थापित कालेजों को विकास कार्य के लिये दी जाती है।

(ग) और (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना मे नये कालेजों के खुलने के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है।

स्कूल अध्यापकों के प्रतिपाल्यों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

†**३६९६. श्री गो० महन्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१-६२ में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रतिपल्यों को मैट्रिक उपरान्त अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों क लिये उपबन्धित सारी धनराशि व्यय हो गई थी, और

(ख) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में राज्यवार कितने विद्यार्थियों को क्षात्रवृतियां दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) योजना केवल वर्ष १९६१–६२ में आरम्भ हुई थी।

योजना के लिये धन राशि राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दी जाती है। यह काम राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति में पुस्तक समायोजन कर के किया जाता है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिये योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अधीन वर्ष १९६१-६२ के लिये छात्रवृत्तियों के कोटे में से अब तक निम्न छात्रवृत्तियां दी गई हैं :—

राज्य का नाम	छात्रवृत्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	४२
असम	१५
बिहार	३५
गुजरात	२५
महाराष्ट्र	५१

†मूल अंग्रजी में

जम्मू तथा काश्मीर	३
केरल	३३
मध्य प्रदेश	३१
मद्रास	४७
मैसूर	३२
उड़ीसा	१६
पंजाब	२३
राजस्थान	१२
उत्तर प्रदेश	५६
पश्चिम बंगाल	४४
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	१
दिल्ली	५
लक्कादीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह	—
हिमाचल प्रदेश	५
मनीपुर	२
त्रिपुरा	—
पांडिचेरी	४
	४८२

स्त्रियों का अनैतिक पण्य

३६९७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मई, १९६२ को भारतीय नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य संस्था की मद्रास शाखा द्वारा आयोजित सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि स्त्रियों से अनैतिक कार्य करवाना स्वतन्त्र भारत के माथे पर एक कलंक है और इस बुराई का शीघ्रातिशीघ्र अन्त किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस कलंक को मिटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां ।

(ख) और (ग). जो लोग स्त्रियों तथा लड़कियों से व्यभिचार कराने के पेशे में लगे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये स्त्रियों तथा लड़कियों में व्यभिचार निरोधक अधिनियम, १९५६ पारित किया गया है । १-५-१९५८ से यह अधिनियम सारे देश में लागू किया गया । इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों ने बहुत से सुरक्षा-गृह उन स्त्रियों तथा लड़कियों को रखने और समाज में पुनः बसाने की दृष्टि से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये स्थापित

किये हैं जिनके बारे में अदालतों ने निरोध के आदेश जारी किये हों। इस प्रकार सरकार स्त्रियों तथा लड़कियों में व्यभिचार के कलंक को मिटाने के लिये सभी सम्भव उपाय कर रही है।

त्रिपुरा में अस्पृश्यता

†३६९८. **श्री बीरेन्द्र दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में त्रिपुरा में अस्पृश्यता निवारण के लिये किसी संगठन को कोई धनराशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और किस किस संगठन को दी गई है ;

(ग) क्या उस ढंग के बारे में कोई जांच हुई है जिस ढंग से यह राशियां व्यय की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†३६९९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के सर्वेक्षण होने के दिनों में विस्थापित व्यक्तियों को पर्चे नहीं दिये जाते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नियमानुकूल "प्रमाणीकरण" के पहिले पर्चा दिया जायेगा ; और

(घ) कुछ क्षेत्रों में "प्रमाणीकरण" का काम आरम्भ होने वाला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को जमीनें दी गई हैं। पुनर्वास विभाग के खातियों में उनके ब्यौरे लिखे जाते हैं। जो लोग दिये गये ऋणों के लिये बाण्ड देते हैं, उन्हें सर्वेक्षण तथा बसाने के रिकार्डों में रैयत लिखा जाता है और पर्चे दिये जाते हैं।

(घ) कमलपुर, खोवाई और सोनामुरा सब-डिवीजनों में सितम्बर, १९६२ से प्रमाणीकरण का कार्य आरम्भ होगा।

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

†३७००. **श्री राम सेवक** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय विदेश सेवा में कुल कितने उम्मीदवार चुने गये और उनमें कितने उम्मीदवार अनुसूचित जातियों के हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित कोटा को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९१)**

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा आदि में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रिक्त पदों पर वे रखे जाते हैं, भारत सरकार ऐसे उम्मीदवारों के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है। इलाहाबाद केन्द्र के आधार पर एक अन्य केन्द्र दक्षिण में भी खोलने का विचार है और सम्भव है कि यह अक्टूबर, १९६२ से कार्य करने लगेगा।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†३७०१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में वर्ष १९६०-६१ में हिन्दुस्तान स्टील लि० का कच्चे सामान का स्टाक तथा अन्य वस्तुऐं खोई गई जिनका मूल्य एक करोड़ रु० से अधिक था ; और

(ख) इन हानियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) नहीं, श्रीमान्। कच्चे सामान के अभाव में रूरकेला इस्पात कारखाने को वर्ष १९६०–६१ में कुल १५,६८,४०३ रु० की हानि हुई और अन्य बातों के कारण ७,०८,३३० रु० की हानि हुई। यह हानि उपलब्धि तथा प्राप्ति के समय रिकार्ड किये गये सामान की तोल से हुआ।

(ख) ऐसी हानियों को रोकने के लिये की गई कार्यवाही में कच्चा सामान यार्ड में कच्चे सामान की नियमित नाप करना तथा अधिकतम वैगनों की तोल करना शामिल है।

इस्पात कारखानों में मजदूरों को सुविधायें

†३७०२. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री दुर्गापुर और भिलाई में सरकारी इस्पात कारखानों में मजदूरों को उपलब्ध लाभ तथा अन्य सुविधायें दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९२]**

शिक्षा के लिये विदेश भेजी गई स्त्रियां

†३७०३. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ से उच्च शिक्षा के लिये कुल कितनी स्त्रियां विदेश भेजी गई है ; और

(ख) उनमें से कुल कितनी स्त्रियों ने विदेशियों से विवाह कर लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) शिक्षा मन्त्रालय द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं के अन्तर्गत इकतालीस स्त्रियां विदेश भेजी गईं ।

(ख) सरकारी सूचना के अनुसार किसी ने भी विदेशी से विवाह नहीं किया है ।

सीमेन्ट-निर्माण के लिये लाइसेन्स

†३७०४. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में सीमेंट कारखाने खोलने के लिये कितने लाइसेन्स दिये गये ;

(ख) कितने लोगों ने प्रारम्भिक कार्य आरम्भ नहीं किया है ; और

(ग) यदि गैर-सरकारी उपक्रम लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तो सरकार ने इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) सात ।

(ख) शून्य ।

(ग) अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि लक्ष्य प्राप्त होता है, आवश्यक कार्यवाही कर रही है । आशा है कि ऐसा हो जायेगा ।

लखनऊ में अन्तर्विश्वविद्यालय खेल

३७०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्विश्वविद्यालय खेल-कूद के जो कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय में किये जाने निश्चित हुए थे, वे अब वहां नहीं होंगे ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा किया गया ; और

(ग) उस कार्यक्रम को लखनऊ या किसी अन्य विश्वविद्यालय में करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). आवश्यक सूचना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आजाद हिन्द फौज का स्मारक

†३७०६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल के पास उस स्थान पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज का स्मारक बनाने का है जहां उसने वर्ष १९४४ में अधिकारी सेना को खदेड़ कर स्वतन्त्र भारत का झण्डा फहराया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मनीपुर प्रशासन के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । मनीपुर कांग्रेस समिति ने एक स्मारक समिति बनाई थी और वह इस मामले पर विचार कर रही है, ऐसा कहा जाता है ।

उड़ीसा में भुसुन्डपुर में हाई स्कूल

†३७०७. **श्री मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में भुसुन्डपुर मे विशेषकर विस्थापित विद्यार्थियों के लिए एक नया हाई स्कूल खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य के कब आरम्भ होने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् । राज्य सरकार ने ऐसा करने का निश्चय किया है ।

(ख) अक्टूबर, १९६२ में ।

"मानवी" भाषा लिपि

†३७०८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "मानवी" नामक भाषा लिपि की ओर, जिसका आधार अंक है और जिसे श्री मोती लाल गुरटू ने बनाया है, आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने लिपि तथा भाषा विशेषज्ञों को भेजी है;

(ग) यदि हां, विशेषज्ञों का क्या मत है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) शिक्षा मंत्रालय के भाषा शास्त्र के विशेषज्ञों ने स्वयं श्री मोती लाल गुरटू के परामर्श से "मानवी" भाषा लिपि पर अगस्त, १९५९ में विचार किया था । उनका मत था कि वह लिपि संसार भर के वक्ताओं पर कभी लागू नहीं हो सकती ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना फार्मों में दूध का उत्पादन

†३७०९. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में सेना फार्मों मे दूध का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उसे कैसे बेचा गया; और

(ग) शुद्ध लाभ कितना हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). सेना फार्मों में वर्ष १९६१–६२ के दूध अर्जित लाभ, आदि के उत्पादन के परीक्षित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। अनुमान किया गया है कि वर्ष में लगभग १२६ लाख लिटर दूध का उत्पादन हुआ। यह दूध मुख्यकर सनिकों को उनके आंशिक राशन के रूप में दिया गया और इसकी थोड़ी मात्रा भुगतान पर दी गई। सेना फार्मों में कुछ दूध बछड़ों को भी पिलाया गया। शेष दूध को क्रीम तथा मक्खन बनाकर बेचा गया। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष में लगभग १५ लाख रु० का लाभ हुआ।

दिल्ली में अनधिकृत भवन निर्माण

†३७१०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर पालिका निगम की भवन निर्माण समिति ने अनधिकृत रूप से बनी इमारतों, आदि के बारे मे क्या उपबन्ध किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हाल का इमारत गिराने का आदेश कुछ समय से लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में अनधिकृत निर्माण रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). समूचा मामला दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत समुचित अधिकारियों के विचाराधीन है।

त्रिपुरा नगर आउट एजेंसी द्वारा नये ट्रकों की खरीद

†३७११. **श्री सरकार मुरमू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा नगर आउट एजेंसी अगरतला को उचित दामों पर नये टाटा मरसरीडेज बैंज ट्रकों की खरीद के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है और लाइसेंस कब दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रकों के लिये लाइसेंस दिये गये थे तथा उन में से बास्तव में कितने ट्रक खरीदे गये; और

(ग) क्या एजेंसी ने इस बीच इन में से कोई ट्रक बेचा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). टाटा मरसरीडेज बैंज ट्रकों की खरीद के लिये किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और उन की खरीद सब के लिये खुली है।

(ग) त्रिपुरा आउट एजेंसी से प्रशासन द्वारा कुछ टाटा मरसरीडेज बैंज ट्रकों के संभरण के लिये सिफारिश की गई थी। हाल ही में एक शिकायत की गई है कि इस प्रकार किये गये ट्रकों में से कुछ ट्रक उक्त एजेंसी द्वारा बेच दिये गये हैं।

पश्चिम बंगाल में आदिम जातियों के उत्थान के लिये अनुदान

†३७१२. **श्री सरकार मुरमू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में आदिम जाति लोगों के उत्थान के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कोई राशि दी गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) किन बड़े बड़े मदों के लिये राशि दी गई थी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। अनुसूचित आदिम जातियों की योजनाओं के लिये अनुदान दिये गये थे।

(ख) राज्य आयोजना योजनाओं के सम्बन्ध में १४.६० लाख रुपये और केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के लिये ७.७५ लाख रुपये।

(ग) १. शिक्षा—

१. शुल्क देने, पुस्तक अनुदान, छात्रवृत्ति और आवास अनुदान

२. होस्टलों और प्राथमिक स्कूलों का निर्माण

२. आर्थिक उत्थान—

१ कृषि

२. पशुपालन

३. सहकारिता

४. वाणिज्य तथा उद्योग

३. स्वास्थ्य आवास तथा अन्य योजनाएं

१. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

२. सिंचाई

३. सड़कें

४. वन

५. अनुसंधान, आयोजना, मूल्यांकन तथा सांस्कृतिक विभाग की संस्था

६. समाज सेवकों की प्रशिक्षण संस्था।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बिजली लग जाने से मृत्यु

†३७१४. श्री बीनेन भट्टाचार्य : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ मई, १९६२ को दुर्गापुर परियोजना में बिजली लग जाने से एक श्रमिक की मृत्यु हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि पिछले तीन महीनों में इसी परियोजना में, बहुत से श्रमिक बिजली लग जाने से मर गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दहेज निषेध अधिनियम के अधीन मामले

३७१५. श्री राम सेवक यादव : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ के लागू होने से अब तक विभिन्न राज्यों में कितने मामले उसके अधीन दर्ज किये गये;

(ख) उनमें से कितनों का फैसला हो गया और उन पर क्या फैसले दिये गये; और

(ग) कितने मामले अभी विचाराधीन हैं और उन पर अब तक निर्णय न लिये जाने के क्या कारण है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). समवर्ती क्षेत्र में होन के कारण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, १९६१ का प्रशासन राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों के अधीन है। इनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे इन मामलों इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़े केन्द्रीय सरकार को भेज। आंध्र प्रदेश, आसाम, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकोरों तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्का दीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों एवं मनिपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि क्रमश: इन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों मे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, १९६१ के अधीन कोई मामला नहीं चलाया गया है।

जहां तक कि बिहार राज्य का सम्बन्ध है, चम्पारन जिले की सदर तहसील में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस राज्य के अन्य भागों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गुजरात के विषय में, राजकोट जिले में सम्भवत: कई एक मामले दर्ज किये गये हैं किन्तु उनको कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। इस राज्य के अन्य भागों में कोई मामला दर्ज नहीं लिया गया है।

मद्रास में भी रामनाथपुरम जिले को छोड़कर जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

बिहार राज्य और गुजरात के राजकोट जिले तथा मद्रास के रामनाथपुरम जिले के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

जनता से ऋण और बचत

†**३७१६. श्रीमती सरोजिनी महिषी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में जनता से प्राप्त ऋण और बचत का विस्तृत लेखा क्या है, जिसमें छोटी बचतों से प्राप्त राशि भी शामिल है ; और

(ख) इस प्रकार प्राप्त ऋण में से कितनी राशि का उपयोग उन आस्तियों को बनाने के लिये किया गया है, जो सतत आधार पर लाभ देंगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार के बाजार ऋण, जिनमें छोटी बचतें शामिल हैं, किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं को चलाने के लिये नहीं लिये जाते, किन्तु वे सरकार की अवशिष्ट राशि में मिल जाते हैं और इसको समूची आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में लाये जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 'चंडीगढ़ भत्ता'

†३७१७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चंडीगढ़ भत्ता के तौर पर कोई विशेष भत्ता मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या इस भत्ते को घटा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितना ;

(ङ) क्या विविध कार्मिक सघों ने इसका विरोध किया है ;

(च) क्या चडीगढ़ की निर्वहन लागत के कारण यह कमी उचित नहीं हैं ; और

(छ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ) भत्ते में १ जनवरी ६२ से कमी की गई है। कमी से पहले और बाद में मिलने वाले भत्ते की दरें संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

शोधित वेतन क्रम में वेतन	भत्ता दर	
	१-८-६१ से ३१-१२-६१ तक	१-१-६२ से ३१-७-६२ तक
३७० रुपये तक . . .	वेतन का १२ प्रतिशत	वेतन का ८ %
३७० रुपये से ऊपर . . .	४१६ रुपये २५ नये पैसे से वेतन जितना कम हो।	वेतन ३९९.६० रुपये से जितना कम हो।

(ङ) जी हां।

(च) चण्डीगढ़ में भत्ता राजधानी नगर में परियोजना भत्ते के तौर पर दिया जाता था, जब वह निर्माणाधीन था। यह शहर की ऊंची निर्वहन लागत को पूरा करने के लिये भत्ते के तौर पर नहीं दिया जाता या जो कि विविध 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणियों के नगरों में दिया जाता है।

(छ) उपरोक्त (च) के उत्तर की दृष्टि से सरकार ने भत्ता कमी सम्बन्धी अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता अनुभव नहीं की, जो परियोजना भत्ता सम्बन्धी अपनाई जाने वाली सामान्य नीति के अनुसार था।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

†३७१८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वित होने से पूर्व शिमला भत्ता संहिता के अनुसार प्रतिकर भत्ता मिलता था;

(ख) क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वित होने के पश्चात् उनको वित्तीय हानि हुई है,

(ग) यदि हां तो कितनी,

(घ) क्या विविध कार्मिक सघों तथा कर्मचारी परिषदों ने इस भेदभाव का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वेतन आयोग १९५७ की सिफारिशों पर, १ नवम्बर, १९६० से शिमला में ग्राह्य प्रतिकर भत्ते की शोधित दरों के निर्धारित किये जाने से पहले, केन्द्रीय सरकार के कुछ कमचारियों को शिमला भत्ता संहिता के अधीन भत्ते मिलने थे और कुछ को तदर्थ आधार पर सब-समेत भत्ते मिलते थे ।

(ख) और (ग). १ नवम्बर, १९६० को शिमला भत्तों संहिता, तदर्थ आधार तथा शोधित आदेशों के अधीन ग्राह्य भत्तों की दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ९३]** । १ नवम्बर, १९६० को शिमला में काम करने वाले कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे चाहें तो शोधित दरों पर भत्ते ले सकते हैं या उनको शोधित वेतन मानों से पूर्व के मानों तथा महंगाई वेतन के आधार पर १ नवम्बर, १९६० को ग्राह्य भत्तों के समान नियत राशि रख सकते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त मकान का किराया

†३७१९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान के किराये के तौर पर २२ रुपये देने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां तो किन नियमों के अधीन;

(ग) क्या कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). सामग्री एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह[1]

†३७२०. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह बनाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, कब और कहां ;

(ग) क्या मद्रास में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह बनाने की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (घ). मद्रास में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह बनाने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी, किन्तु जांच करने पर यह अनुभव हुआ कि इसकी मांग इस समय उपयुक्त नहीं है। यदि हालात में परिवर्तन हो गया तो, मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

रिनाल्ट कार का निर्माण

†३७२१. **श्री वारियर :**
श्री मे० के० कुमारन :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिनाल्ट कार के निर्माण के लिये सहयोग की फ्रांसीसी पेशकश जून, १९६२ के अन्त में व्यपगत हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस अवधि के बढ़ाये जाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) और (ख). फ्रांसीसी फर्म, रेज़ो रिनाल्ट ने सरकारी क्षेत्र में एक कम लागत की कार परियोजना की स्थापना के लिये सहयोग का अपना प्रस्ताव कायम रखना जून १९६२ के अन्त तक मान्य रखना मान लिया है। सरकार उस समय तक इस परियोजना को कार्यान्विति करने के सम्बन्ध में निर्णय करने का प्रयत्न करेगी । यदि जून के अन्त तक कोई स्पष्ट निर्णय न हो पाया, तो सरकार उस समय तक के लिये जब तक कि निर्णय किया जा सके, रेज़ी रिनाल्ट की पेशकश की अवधि के थोड़ा बढ़ाये जाने का प्रयत्न करेगी ।

उत्तर प्रदेश में भारी विद्युत उपकरण फैक्टरी

†३७२२. **श्री रामसेवक यादव :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने माता टीला के समीप भारी विद्युत् उपकरण फैक्टरी लगाने का विचार किया था, जो अब उत्तर प्रदेश में रानीपुर में लगाई गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]International Students House.

(ख) क्या सरकार उस क्षेत्र में कोई दूसरी भारी फैक्टरी लगाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां तो कब तक ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

महाराष्ट्र के लिये नालीदार लोहे की चादरें

†३७२३. **श्री कजरोलकर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र राज्य को इसकी आवश्यकताओं के मुकाबले में बालीपुर लोहा चादरों का कम आवंटन मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** (क) जी हां । यह अन्य राज्यों के बारे में भी है ।

(ख) अपर्याप्त उत्पादन । उपलब्ध मात्रा का समान तौर पर वितरण किया जाता है । उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा तथा वस्तुविनिमय के अन्तर्गत नालीदार चादरों का आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों के दावे

†३७२५. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों के दावों पर सरकार को सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या उस को भुगतान हो चुका है ; और

(ग) उन पीड़ितों में कुल कितनी राशि बांटे जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). कुछ राजनीतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने के लिये सिफारिशें हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मार्च १९६२ में प्राप्त हुई थीं । वे कुछ बातों के स्पष्टीकरण तथा सिफारिश किये गये लोगों के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा देने के लिये प्रशासन को लौटा दी गई थीं । उन के उतर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश में कुछ सरकारी दफ्तरों में आग लगना

†३७२६. **श्री प्रतापसिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मई १९६२ के मध्य में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में आग लगने से पी० डब्ल्यू० डी० का गोदाम और अन्य सरकारी दफ्तर नष्ट हो गये थे ;

(ख) क्या आग के कारणों की जांच की गई थी ; और

(ग) अनुमानित हानि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) आग के कारणों की जांच की जा रही है ।

(ग) अनुमानित हानि १७२७०० रुपये की है ।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विश्वविद्यालय

†३७२७. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को शिक्षा उपमंत्री द्वारा उस राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालय आरम्भ करने के लिये कोई सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या इस प्रश्न के बारे में उपमंत्री और राज्य सरकार के बीच कोई बातचीत हुई थी जब वह इस वर्ष आंध्र प्रदेश गई थीं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकार को क्या सहायता दे सकती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने उपमंत्री से पूछा था कि क्या गैरसरकारी क्षेत्र में एक ग्राम्य संस्था स्थापित करना संभव होगा । उसको बताया गया कि केवल चौथी योजना अवधि में ऐसा करना संभव होगा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार अनुमोदित व्यय की ७५ प्रतिशत अनावर्त्तक तथा ५० प्रतिशत आवर्त्तक व्यय देती है और शेष राज्य सरकार या जनक निकाय द्वारा दिया जाता है ।

विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश (आंध्र प्रदेश) का संशोधन

†३७२८. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र आदेश (आंध्र प्रदेश) में संशोधन करने वाले १९६१ के आदेशों को जारी किये जाने से पहले राज्य विधानमंडल और मुख्यतः राज्य विधान परिषद् की राय मांगी थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से सलाह की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उन की राय क्या है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) से (घ). यद्यपि लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० की धाराओं १२ और १३ के अधीन, निर्वाचन आयोग को, परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी किसी आदेश में संशोधन करने के लिये राष्ट्रपति को अपने प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य विधान मण्डल या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकारी की राय लेने की आवश्यकता नहीं, निर्वाचन ने १९६१ में, राज्य सरकार के परामर्श से परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश) परिसीमन आदेश के संशोधन के अपने प्रस्ताव बनाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में किरायेदारों की बेदखली

†३७२९. **श्री उपाध्याय :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १, १९६२ को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन किरायेदारों के निष्कासन के लिये, किराया नियंत्रक दिल्ली के पास कितनी अर्जियां लंबित पड़ी थीं ;

(ख) किराया न देने के आधार पर कितनी अर्जियां थीं ;

(ग) सम्पत्ति के दुरुपयोग तथा उसको हानि पहुंचाने के आधार पर अर्जियां कितनी थीं ;

(घ) मरम्मतों के आधार पर कितनी थीं ;

(ङ) जोड़-बदल करने के कारणों पर कितनी थीं ; और

(च) दिल्ली में कुल कितने मकान और वाणिज्यिक एकांश हैं जो किराया नियंत्रण अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २५३४ ।

(ख) १७२१ ।

(ग) २०१ ।

(घ) ८५ ।

(ङ) १९५ ।

(च) सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे प्राप्त करने में जितना श्रम और धन खर्च होगा वह प्राप्त परिणाम से कहीं अधिक होगा ।

गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल, मालवीयनगर, नई दिल्ली

३७३०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मालवीयनगर, नई दिल्ली की इमारत जो वर्ष १९५१ में बनाई गई थी, उसमें केवल दसवीं और ग्यारहवीं कक्षायें (५ सेक्शन) ही बैठते हैं और बाकी २५ सैक्शन तम्बुओं में बठते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्कूल में पानी और बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो तम्बुओं में बैठने के बजाय कमरों में बैठाने के लिये और दैनिक आवश्यकताओं जैसे बिजली और पानी की असुविधा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ; और

(घ) जब स्कूल की इमारत बनने के लिये स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी, तो स्कूल के निर्माण कार्य में क्यों विलम्ब हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वर्जीनिया तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क

†३७३१. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितनी प्रकार की और कितनी वर्जीनिया तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क वसूल किया गया और यह राशि कुल कितनी है ;

(ख) उपरोक्त शुल्क विभिन्न वर्षों में किन व्यक्तियों से अथवा व्यापार संस्थाओं से वसूल किया गया ; और

(ग) यह शुल्क किन अभिकरणों द्वारा वसूल किया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

वर्ष	वर्जीनिया तम्बाकू की कुल मात्रा (सभी प्रकार की) जिस पर शुल्क वसूल किया जा चुका है	वसूल किया गया (बुनियादी और अतिरिक्त) उत्पादन-शुल्क
	(००० किलोग्राम)	(लाख रुपये)
१९५९–६०	२०५४०	५०२.१७
१९६०–६१ .	२३०८८	५७०.५०
१९६१–६२	२४२१५	५९९.४९

(ख) शुल्क का प्रत्येक भुगतान डी० डी० १ फार्म या ए० आर० १ फार्म पर किया जाता है और किसी व्यक्ति अथवा व्यापार संस्था द्वारा किसी विशेष वर्ष में किये गये कुल भुगतान का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग ।

राजस्थान और महाराष्ट्र में बनियादी शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल

†३७३२. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में लड़कों और लड़कियों के लिये बुनियादी शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल कहां कहां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है ;

(ग) दिल्ली में प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ; और

(घ) प्रशिक्षण अवधि में अन्तर के कोई कारण हों तो वे क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक राज्यवार सूची संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दो वर्ष ।

(घ) प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष हो इस बात को सभी राज्यों ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । किन्तू कुछ राज्य धन के अभाव तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के कारण उसे कार्यान्वित नहीं कर सके हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक

†३७३३. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातकों और स्नातकोत्तर शिक्षकों को उन के लिये निहित श्रेणियों से निम्न श्रेणियों में नियुक्त किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक स्कूल में ऐसे कितने शिक्षक काम कर रहे हैं; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ग). जी, हां । शिक्षकों को उन पदों के वेतन क्रम दिये जाते हैं जिन पर वे काम करते हैं । सरकार ने विभिन्न श्रेणी के पदों के लिये कुछ न्यूनतम अर्हतायें विहित कर दी हैं । यदि कोई व्यक्ति, जिस के पास अधिक अर्हतायें हों, किसी ऐसे पद पर काम करने के लिये तैयार है जिस की विहित न्यूनतम योग्यतायें कम हैं और यदि उसे नियुक्त कर दिया जाता हैं, तो उसे उस पद का वेतन मिलेगा ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक

†३७३४. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कई स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक दस वर्ष से अधिक समय से उच्च कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्कूल में ऐसे कितने शिक्षक हैं;

(ग) क्या इन में से किसी शिक्षक को हाल में वाहय श्रेणी शिक्षक घोषित किया गया है;

(घ) क्या मान्यताप्राप्त स्कूलों में दस वर्ष स अधिक काल तक पढ़ाने का अनुभव उन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों के समकक्ष लाने के लिये पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नकरात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) स (ङ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक

†३७३५. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कई सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अप्रशिक्षित कला के स्नातकों को शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्कूल में १-१-६१ से ३०-५-६२ तक ऐसे कितने शिक्षक भर्ती किये गये और इस भर्ती के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार सहायता-प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियों द्वारा ऐसे शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने का इरादा रखती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस प्रकार की भर्ती के कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रतिबन्ध पहले ही लगा हुआ है । सहायता-प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियों को उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ता हैं जो सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की समकक्ष श्रेणियों के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों । जो शिक्षक विहित अर्हताओं को पूरा नहीं करते उन के वेतन के लिये कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जा सकता ।

बैंकों में सन्तान भत्ता

†३७३६. **श्री जेधे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रिजर्व बैंक को छोड़ कोई अन्य भारतीय या विदेशी बैंक या अन्य संविहित निकाय 'सन्तान भत्ता" नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो यह भत्ता विशेष रूप से रिजर्व बैंक में देते रहने के क्या कारण है;

(ग) क्या भारत सरकार स्टेट बैंक आफइंडिया के कर्मचारियों को यह भत्ता देने का इरादा रखती हैं; और

(घ) यदि हां, तो वह किस तारीख से दिया जायेगा । और यदि नहीं तो इस के क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत में कार्य कर रहे किसी विदेशी अथवा भारतीय बैंक अथवा जहां तक केन्द्रीय सरकार को ज्ञात है, किसी संविहित निकाय द्वारा यह भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक के मूल्य और निर्वाह-व्यय की वृद्धि के प्रतिकर के रूप में बैंक के चौथी, तीसरी और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को परिवार भत्ता मंजूर किया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के कर्मचारियों के भत्ते

†३७३७. **श्री जेधे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो यह अन्तर क्या है और अन्तर क्यों है ; और

(ग) क्या सरकार इस असंगति को दूर करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) मंहगाई भत्ता, स्थानीय मकान किराया, ओवर टाइम और अन्य भत्ता की दरों में अन्तर है । ये अन्तर इसलिये है कि इन दो बैंकों में विभिन्न पदों के कर्तव्य और मूल वेतन तथा अन्य दशायें समान नहीं हैं ।

(ग) चूंकि वर्तमान स्थिति असंगत नहीं समझी जाती और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरन के पंचाट के अनुसार दोनों बैंकों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित किये जाने हैं, इसलिये सरकार की ओर से कोई कार्यवाही अवश्यक प्रतीत नहीं होती ।

इकन्नी का सिक्का

†३७३८. **श्री जेधे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी इकन्नी अब भी विधिमान्य है, और चलन में है;

(ख) यदि हां, तो इस पुराने सिक्के को चलन में रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस इकन्नी को नये पैसे में बदलने के बारे में गंभीर विवाद हुए है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बाजार इकन्नी के चलन को तुरन्त बन्द कर देने का इरादा रखती है; और

(ङ) यदि प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ताम्बे की इकन्नी अब भी विधिमान्य है और चलन में है, किन्तु दशमिक सिक्कों का वर्तमान स्टाक पर्याप्त न होने से इस इकन्नी का चलन तुरन्त बन्द कर देना संभव नहीं हैं ।

(ग) से (ङ). आनों को नये पैसों में बदलने के बारे में कोई गंभीर विवाद तो सरकार के ध्यान में नहीं आये है किन्तु उसे इन सिक्कों का चलन जारी रखने से हो रही असुविधा की जानकारी हैं। दशमिक सिक्कों का पर्याप्त स्टाक हो जाने पर इन सिक्कों को वापस लेना आरम्भ कर दिया जायेगा। किन्तु अभी निश्चित रुप से यह बताना संभव नहीं है कि ये सिक्के कब तक पूर्ण रूप से वापस ले लिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिघलाया जाने वाला भारी रद्दी लोहा आदि

†३७३९. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देब :
श्री कपूर सिंह :
श्री तनसिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९, १९६० और १९६१ में से प्रत्येक वर्ष में देश में कितना भारी रद्दी लोहा आदि पिघलाया गया;

(ख) १९५९ और १९६० में पिघलाया जाने वाला कितना भारी रद्दी लोहा निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि १९५९ और १९६० के निर्यात की तुलना में १९६१ का निर्यात बहुत कम रहा; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). देश में भट्टियों के मालिकों द्वारा पिघलाये गये भारी रद्दी लोहे आदि के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु १९५९ से १९६१ तक किये गये निर्यात के आंकड़े इस प्रकार है:—

१९५९	४७,९६० टन
१९६०	४३,४५० टन
१९६१	२२,०५० टन

(घ) १९६१ में पिघलाये जाने वाले भारी रद्दी लोहा आदि का निर्यात पहले दो वर्षों की अपेक्षा कम रहा क्योंकि १९६१ के उत्तरार्द्ध में इस वस्तु के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

रद्दी लोहे आदि का निर्यात

†३७४०. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री तन सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नं० १ शीट कटिंग स्क्रैप (रद्दी लोहा) का वार्षिक उत्पन्न और खपत कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नं० १ शीट कटिंग स्क्रैप के निर्यात पर इस समय जो प्रतिबन्ध है उस के कारण उस का निर्यात जंग लगी हालत में नं० २ शीट कटिंग स्क्रैप के रूप में किया जाता है जिस स देश को विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस स्थिति से बचने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) चूंकि देश में नं० १ शीट कटिंग स्क्रैप की बहुत मांग है इसलिये उन्हें जंग लगी हालत में नं० शीट कटिंग के रूप में निर्यात किया जाता है यह संभव नहीं प्रतीत होता ।

मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना

†३७४१. **श्री बीरेन्द्र बहादुर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री, ५ जून, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये कोई अन्य व्यवस्था की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय संभवतः कब तक ले लिया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) अन्य व्यवस्था विचाराधीन है ।

(ख) निकट भविष्य में ?

सार्वजनिक समवायों के अंश

†३७४२. **श्री मोरारका :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९ अप्रैल, १९५९ के बाद कौन कौन से सार्वजनिक समवायों को और सामान्य अंश जारी कर के अपनी पूंजी बढ़ाने दी गई;

(ख) इन सार्वजनिक समवायों में से प्रत्येक के बारे में :—

(१) भारतीय अंशधारियों को और अंश जारी करने के लिये अंश के समान मूल्य में कितना अधिक प्रीमियम (अधिमूल्य) वसूल करने दिया गया;

(२) अंश के अभिहित मूल्य के अनुपात में प्रीमियम कितना था; और

(३) इन समवायों ने जिस वर्ष में और अंश जारी किये उस से पहले तीन वर्षों में सामान्य अंशों पर कितने लाभांश की घोषणा की थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६२ तक जिन सार्वजनिक समवायों को और सामान्य अंश जारी कर के अपनी पूंजी बढ़ाने दी गई उन के नामों का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९४]** ।

(ख) (१) और (२) जिन सार्वजनिक समवायों को प्रीमीयम पर अंश जारी करने दिये गये उन के नाम अभिहित मूल्य से अधिक वसूल की जाने वाली प्रीमियम की राशि और सम मूल्य के अनुपात में प्रीमियम की राशि की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९५]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (३) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्रश्न के भाग (ख) (१) और (२) में उल्लिखित समवायों द्वारा और अंश जारी किये जाने से पहले तीन वर्षों में सामान्य अंशों पर घोषित लाभांश का प्रतिशत बताने वाला एक विवरण तैयार होते ही सभा पटल पर रखा जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में कालपा बस्ती की भूमि का अधिग्रहण

†३७४४. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कालपा नामक नयी बस्ती के निर्माण के लिये चिन गांव (जिला किन्नौर) के किसानों से खेती की भूमि अधिग्रहण करने का इरादा है ; और

(ख) क्या इस बस्ती का निर्माण किसानों की खेती की भूमि पर न करके कहीं और नहीं किया जा सकता ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रधान कार्यालय के लिये उचित स्थान के चुनाव का प्रश्न विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने में कुछ समय लगेगा ।

पंजाब के सीमावर्ती जिले

†३७४५. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब के सीमावर्ती जिलों अर्थात् लाहौल और स्पिति में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये १९६१–६२, १९६२–६३ में कितने धन की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) कितना धन केवल सड़कों के निर्माण के लिये है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). लाहौल के सीमावर्ती जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये अब तक स्वीकृत राशि की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९६**] ।

सीमावर्ती जिलों आदि का विकास

†३७४६. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के सीमावर्ती जिलों और अनुसूचित तथा आदिम जाति क्षेत्रों में तीसरी योजना में संचार, सड़कों और पुलों के सुधार के लिये कितना धन रखा गया है ; और

(ख) यह धन किस अभिकरण के जरिये खर्च किया जाता है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** :(क) और (ख). राज्यों से जानकारी मांगी गई है और उपलब्ध होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों आदि के लिये धन

†३७४७. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कितना धन मंजूर किया गया था और १९६२–६३ में कितना खर्चा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। पुस्तकालय में रखे गये । **[देखिये एल० टी० संख्या—२२२/६२ ।]**

राज्य विधिजीवी परिषदें

†३७४८. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के क्या नाम हैं जहां अधिवक्ता अधिनियम के अधीन विधिजीवी परिषदें बनायी गयी हैं ;

(ख) क्या उन्होंने अपने नियम बना लिये हैं और हां, तो उनमें से किसने नियम बनाये हैं ; और

(ग) क्या उनके मार्ग-दर्शन के लिये सर्वोच्च न्यायालय विधिजीवी परिषद् द्वारा कोई प्रारूप नियम बनाये गये हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुन्द्र मिश्र)** : (क) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन सभी राज्यों में विधिजीवी परिषदें बनायी गयी हैं ।

(ख) अधिनियम की धारा १५ और २८ में राज्य विधिजीवी परिषदों द्वारा नियम बनाये जाने की व्यवस्था है। इन धाराओं के अधीन किसी राज्य विधिजीवी परिषद् द्वारा नियम बनाये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को पता नहीं है ।

(ग) अधिवक्ता अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय विधिजीवी परिषद् के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। सम्भवतः यह निर्देश भारत की विधिजीजी परिषद् जी ओर है जो अभी बनायी नहीं गयी है। अतः इस समय उस परिषद द्वारा नियम बनाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सांस्कृतिक अनुदान

†३७४८. **श्री राम सेवक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और संगठनों के क्या नाम हैं जिन को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिये अनुदान दिये गये हैं और प्रत्येक को वर्ष १९६१–६२ में कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) टैगोर के नाटकों के लिये वर्ष १९६१–६२ में स्वीकृत अनुदान किन थियेटर दलों को मिले हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) वर्ष १९६१–६२ में १५० से अधिक संस्थाओं को अनुदान दिये गये और इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) १. टी० के० एस० नाटक सभा, मद्रास ।

२. लिटिल थियेटर ग्रुप, कलकत्ता ।

३. हिमाचल थियेटर्स, शिमला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. रूप-वश्वार, कलकत्ता ।

५. शौवाणिक, कलकत्ता ।

६. रूपकार, कलकत्ता ।

७. श्री विजयलक्ष्मी नाट्य मण्डली (रजि०) अंकापल्ली ।

८. कालाविहारम, थाईकौड, त्रिवेन्द्रम ।

९. श्री उदय शंकर, कलकत्ता ।

१०. अवैतनिक सचिव, रबीन्द्र शतवार्षिकी उत्सव समिति, दक्षिण मयी दिल्ली ।

उरई (उत्तर प्रदेश) में माहिल की बुर्ज

†३७५०. **श्री राम सेवक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उरई (उत्तर प्रदेश) में बारहवीं शताब्दी में दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के समकालिक उरई के बादशाह, एक बड़े राजनीतिज्ञ माहिल से सम्बन्धित ऐतिहासिक महत्व का एक स्मारक "माहिल की बुर्ज" और महोबा को जाने वाली एक सुरंग है ;

(ख) क्या सरकार का इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्मारक के संरक्षण के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

†३७५१. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि विशेष पुलिस संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन के भाग ख (सरकारी कर्मचारियों के मामले) में दिया गया है विभिन्न श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने मामलों की जांच की गयी अथवा स्पष्टीकरण किया गया ;

(ग) (श्रेणी-वार) इस जांच अथवा स्पष्टीकरण का क्या परिणाम निकला ; और

(घ) उन पर (श्रेणी-वार) क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) **से (घ)**. जानकारी एकत्र की जा रही है । पूरी जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण **रखा जायेगा** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

†३७५२. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन अनधिकृत बस्तियों और क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिनके नक्शे (१) अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं, (२) अस्वीकार कर दिये गये हैं; और (३) अभी तक विचाराधीन हैं ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट बस्तियों के क्षेत्रों को नियमित न किये जाने के परिणामस्वरूप कितने परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है ;

(ग) बस्तियों और क्षेत्रों के नियमित न किये जाने के परिणामस्वरूप कितने प्लाट होल्डरों के प्लाट छिन जायेंगे ; और

(घ) परिवारों को पुनर्वासित करने और वैकल्पिक प्लाट देने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री दातार)** : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

(१) १. बसन्त पुरी
२. गौरीशंकर स्कीम
३. बर्जिस पार्क
४. हरलाल स्कीम
५. शंकर बस्ती
६ महेश नगर
७. सन्त नगर (भूटेश्वर मन्दिर के पास)
८. गौतम नगर
९. मस्जिद मोठ
१०. गढ़ी झरिया मार्ग
११. तिहाड़ गांव
१२. गुप्ता कालोनी
१३. मलकपुर छावनी
१४. रामपुरा गांव (लारेंस रोड के पश्चिम में बना भाग)

(२) १. पांडव नगर
२. प्रेम नगर डी० एल० एफ०
३. आर० आर० ब्लाक
४. मानसरोवर पार्क

†मूल अंग्रेजी में

५. सूरज भान ब्लाक

६. अमृत पार्क

७. प्रेम नगर

८. आचार्य निकेतन

९. न्यू लायलपुर

१०. गोबिन्दपुरी

११. श्रीनगर

१२. चावला पार्क

१३. नेताजी पार्क

१४. शाद नगर

१५. जय हिन्द कालोनी

१६. प्रीतनगर और निरंकारी वाटिका

१७. खजान बस्ती

१८. सुभाष पार्क

१९. माडर्न शाहदरा

२०. एम० एस० और एम० एस० ए० ब्लाक

२१. इन्द्रपुरी एक्सटेन्शन

२२. लक्ष्मी गार्डन

२३. अर्जुन नगर

(३) १. शिबपुरा

२. पृथ्वी पार्क

३. गुरु नानक नगर

४. सन्त गढ़

५. द्वारका पुरी

६. जगत पुरी

७. कृष्ण नगर (तिलक नगर के पास)

८. दिलशाद गार्डन

९. रामेश्वर नगर एक्सटेंशन

१०. शारदापुरी

११. बलजीत नगर

१२. अर्जुन नगर

१३. कृष्ण नगर

(ख) इस बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अभी तक अनधिकृत बस्तियों के नियमित न किये जाने से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या की जनगणना नहीं की गयी है ।

(ग) और (घ). उन प्लाट होल्डरों की, जिनके अनधिकृत बस्तियों और क्षेत्रों के नियमित किये जाने के फलस्वरूप प्लाट छिन जायेंगे, ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु उन अनधिकृत बस्तियों में, जिनके नक्शे नामंजूर कर दिये गये हैं और जो 'दिल्ली मे भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और विक्रय' की मुख्य योजना में आते हैं, प्लाट होल्डरों को, यदि उनमे से किसी के पास दिल्ली में अपने नाम मे या अपनी पत्नी के नाम में अथवा आश्रित बच्चों के नाम में कोई रिहायशी प्लाट अथवा मकान नहीं है, पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विकसित वैकल्पित प्लाट आवंटित किये जायेंगे ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें

†३७५४. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तकें जल्दी जल्दी बदल दी जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ स्कूलों में किताबें हरेक वर्ष अथवा हर दूसरे वर्ष बदल दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कम से कम निम्न आय-वर्ग के बच्चों के, जो पुरानी किताबें खरीदते हैं, हितों की रक्षा के लिये ऐसे परिवर्तन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंडो-कर्मशियल बैंक

†३७५५. **श्री मुथिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलीन हुए इंडो-कर्मशियल बैंक के मामले में खातेदारों को पूर्ण भुगतान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इंडो-कर्मशियल बैंक के खातेदार को अब तक जमा राशि में से कितने प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) इंडो कर्मशियल बैंक के डायरेक्टर के विरुद्ध सरकार, उस बड़ी रकम को वसूल करने के लिये जो उन्होंने अपनी जमानत पर उधार दी है और जिसके लिये कथित बैंक के डायरेक्टर उत्तरदायी हैं, क्या कदम उठायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) इंडो-कर्मशियल बैंक के खातेदार को फरवरी, १९६१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत विलय की योजना के उपबन्धों के अनुसरण में भुगतान किया जाता है ।

(ख) खातेदारों को देय राशि का लगभग ५३ प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है और जैसे ही पंजाब नेशनल बैंक को इंडो-कर्मशियल बैंक की मरी हुई आस्तियां वसूल हो जायेंगी, और भुगतान किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि क्या इंडो-कमर्शियल बैंक के डायरेक्टर के विरुद्ध कोई अधिकार के अनुचित प्रयोग सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है ।

भूतपूर्व राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे

†३७५६. **श्री सरकार मुरमू :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को कोई सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन भूतपूर्व राजनीतिक पीड़ितों, जो इस समय बेरोजगार हैं, के बच्चों को भी सहायता दी जाती है; और

(ग) पात्र उम्मीदवारों की क्या कसौटी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देना और उनके पुनर्वास का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है जिन्होंने इस प्रयोजन के लिये अपने नियम बनाये हैं । कठिनाई के व्यक्तिगत मामलों में, राजनीतिक पीड़ितों को गृह मंत्री की ऐच्छिक अनुदान से भी सहायता दी जाती है । राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को पृथक रूप से प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान देने की कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि, भारत सरकार ने राज्यों में और संघ राज्य-क्षेत्रों में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने की एक योजना बनाई है । उस योजना के अनुसार, केन्द्र संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूरा और राज्यों के मामले में आधा व्यय वहन करेगा । इस योजना में वे सभी राजनीतिक पीड़ित आते हैं जिनकी आय ३०० रुपये मासिक से कम है ।

कर्मचारी कल्याण पुनर्विलोकन समिति

†३७५७. **श्री वी० च० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी कल्याण पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इन सिफारिशों पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा;

(ग) क्या यह सच है कि समिति ने अधिक कनिष्ठ कल्याण पदाधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो ऐसे कितने पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे; और

(घ) ये कनिष्ठ कल्याण पदाधिकारी कहां से लिये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). कर्मचारी कल्याण पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में हैं । ये सिफारिशें परीक्षणाधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में चोरियां

†३७५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में सरोजिनी नगर में मकानों में कितनी चोरियां हुई;

(ख) दिन के समय कितनी चोरियां हुई;

(ग) उन में से कितनी चोरियों का पता लगा लिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि पुलिस सुरक्षा या तो अपर्याप्त हैं या असहाय है क्योंकि समय पर सहायता नहीं की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में, जहां अधिक चोरियां होती हैं और जहां मकानों के चारों ओर अन्य इमारतें नहीं हैं, जैसे रेलवे लाइन के समीप रिंग रोड पर मकानों में, सुरक्षा उपाय अधिक करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) सात (अप्रैल—मई, १९६२) ।

(ख) तीन ।

(ग) पता लगाये गये	३
जिनकी छानबीन की जा रही है	३
जिसका पता नहीं लगाया जा सका	१

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) पृथक क्षेत्रों और नयी विकसित बस्तियों मे पुलिस अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है और जहां आवश्यक होता है, आवश्यक उपाय किये जाते हैं ।

आय-कर निरीक्षकों के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

†३७५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर निरीक्षकों के रिक्त पद पूरा करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है अथवा की जायेगी ;

(ख) कितने रिक्त पद भरे जायेंगे ;

(ग) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है जबकि इंटरमीजियेटों को यह अनुमति दी गई है ;

(ङ) क्या भारतीय प्रशासन सेवा मे भर्त्ती के लिये भी कोई ऐसे ही प्रतिबन्ध हैं ;

(च) यदि नहीं, तो आय-कर निरीक्षकों के मामलों में यह प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ; और

(छ) क्या उन उम्मीदवारों को, जिन के आवेदन-पत्र परीक्षा के लिये स्वीकार नहीं किये गये हैं, प्रवेश-शुल्क वापस किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग आय-कर निरीक्षकों की भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित नहीं करता । तथापि, निरीक्षण निदेशालय (आय-कर) में आय-कर इन्सपेक्टरों के पदों को भरने के लिये फरवरी, १९६२ मे खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था ।

(ख) लगभग १०० ।

(ग) १३,४७९ ।

(घ) कम से कम उच्च द्वितीय श्रेणी के इंटरमीजियेट परीक्षा में बैठ सकते थे । तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण उन स्नातकों को जिन्होंने इंटरमिजियेट/हायर सेकेन्डरी/सीनियर कैम्ब्रिज अथवा समान परीक्षाओं में उच्च द्वितीय श्रेणी प्राप्त नहीं की, परीक्षा मे नहीं बैठने दिया गया ।

(ङ) भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा के लिये इंटरमिजियेट पात्र नहीं हैं ।

(च) न्यूनतम योग्यता मान निर्धारित करने के लिये ।

(घ) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश में छावनी बोर्डों की स्थापना

†३७६०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक या दो छावनी बोर्ड और स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग)मध्य प्रदेश में इस समय कितनी छावनियाँ हैं ; और

(घ) उनकी जनसंख्या कितनी है और श्रेणी क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मत्री (श्री रघरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पाँच ।

(घ) तीन प्रथम श्रेणी की छावनियाँ हैं जिनकी जनसंख्या १०,००० से अधिक है और दो द्वितीय श्रेणी की छावनियाँ हैं जिनकी जनसंख्या २,५०० और १०,००० के बीच है।

मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर तस्कर व्यापार का रोकना

†३७६१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मादक द्रव्यों के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ एक पाँच मील लम्बी "प्रतिबन्ध पट्टी" बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना किसलिये बनाई जा रही है और इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार की अनुमति ले ली गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री दातार)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की सीमा के साथ साथ एक तीन मील लम्बी पट्टी बनाई है । अर्थात्, इस क्षेत्र में १ अप्रैल, १९६२ से शराब की कोई दुकान नहीं है ।

(ख) से (घ).यह केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की सिफारिश पर किया गया है जो यह चाहती है कि अन्य राज्यों के मद्यनिषेध वाले क्षेत्रों के साथ एक १० मील लम्बी मद्यनिषेध पट्टी बनाई जाये ।

अफीम का तस्कर व्यापार

†३७६२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अफीम का तस्कर व्यापार वृद्धि पर है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) किस राज्य में यह व्यापार वृद्धि पर है ?

†**वित्त मंत्री(श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पकड़े गये मामलों की संख्या और पकड़ी गई अफीम की मात्रा में वृद्धि हुई है परन्तु इससे तस्कर व्यापार में वृद्धि का पता नहीं चलता है ।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ ये तस्कर-विरोधी उपाय किये गये हैं । पारम्परिक अफीम उत्पादक क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अफीम की खेती को सीमित करना, लाइसेंस देने के लिये उत्पादकों की पात्रता निर्धारित करने के लिये उत्पादन का स्तर निर्धारित करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर निरोधात्मक नियंत्रण, राज्य उत्पादन-शुल्क, मद्य-निषेध, पुलिस और मादक द्रव्य विभाग आदि के पदाधिकारियों की कार्यवाहियों का समन्वय । अधिक मात्रा में अफीम पकड़े जाने से संभवतः इन उपायों का बढ़ता हुआ प्रभाव है ।

(ग) पकड़ी गई मात्रा में मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है ।

चुराई गई कारें

†३७६३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में ऐसा एक संगठित गिरोह है जो चूराई गयी कारों को रात भर में ही टक्सी में बदल देता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस गिरोह की कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) इस कार्य में कौन और कितने व्यक्ति लगे हैं ; और

(घ) पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल में अध्यापक

†३७६४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिनियम में राष्ट्रीय छात्र सेना दल में पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे कालिजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को 'रैंक वेतन' देने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन अध्यापकों को भारत में सभी राज्यों में 'रैंक वेतन' दिया जाता है :

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और किन राज्यों में अध्यापकों को 'रैंक वेतन' नहीं दिया जाता ; और

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय छात्रसेना दल के उन पदाधिकारियों को, जिन को राष्ट्रीय छात्रसेना दल अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों को गलत समझने के फलस्वरूप 'रैंक वेतन' से कम भुगतान किया गया है, बकाया भुगतान के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघरामैया)**: (क) राष्ट्रीय छात्रसेना दल में पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे कालिजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक राष्ट्रीय छात्रसेना दल नियमों के अन्तर्गत रैंक का न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं जैसाकि सशस्त्र बलों के रैंकों के लिये है जबकि वे शिविरों में हों अथवा प्रशिक्षण के अधिकृत पाठ्यक्रम पर हों । इस में राष्ट्रीय छात्रसेना दल, पारानधार में छः/नौ महीनों का पाठ्यक्रम शामिल नहीं है ।

(ख) इन अध्यापकों को, जहाँ ग्राह्य होता है, उनका रैंक वेतन दिया जाता है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पिछड़े वर्गों के लिये अखिल भारत बोर्ड

†३७६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिये एक अखिल भारत बोर्ड स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इस में कौन कौन सदस्य होंगे और इस का क्या कृत्य होगा ; और

(ग) ये कार्य अब तक कैसे किये जाते थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) भारत में पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्द्धन के लिये एक अखिल भारत बोर्ड बनाने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, हाल में एक गूजर कल्याण केन्द्र स्थापित किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डेनमार्क से ऋण

†३७६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेन्मार्क ने भारत को १०० लाख रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इस को किन विशिष्ट परियोजना पर विनियोजित किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग)। भारत को ऋण देने के बारे में डेन्मार्क के अधिकारियों से आरम्भिक बातचीत हुई है तथा आशा है कि निकट भविष्य में ही ऋण का प्रस्ताव मिल जायेगा। ऋण की शर्तों तथा जिन परियोजनाओं पर यह व्यय होगा; पर विचार ऋण मिल जाने के बाद होगा ।

दिल्ली में ईंटों की चोरबाजारी

†३७६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ईंटों की चोरबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, लखनऊ

†३७६७क. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था लखनऊ ने लता कस्तूरी (सोरैलिया कोरिलिफोलिया)[1] के बीजों से निकाले गये रस की जांच की है ;

(ख) क्या संस्था ने रस से दवाई बनाई है जो श्वेत कुष्ठ के रोगों में मुंह से खाये जाने पर लाभदायक है;

(ग) क्या यह दवाई जनता के लिये उपलब्ध कर दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी, हां। शोधनशाला में ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं। ऐसा करने से पहले बड़े पैमाने पर परीक्षण किये जायें, तथा दवाई के मिश्रण का प्रभाव पूरी तरह से देखा जायेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पद

†३७६७ख. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में उपयुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न मंत्रालयों में श्रेणीवार कितने रक्षित पद अरक्षित पद कर दिये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Psoralia Corylifolia

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

एयर बुकिंग

†३७६७-ग. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १० जून, १९६२ को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि रिजर्व बैंक के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों को लागू होने से पहले ही बाहर जाने के प्रयास में ९ जून १९६२ शनिवार को इंटरनेशनल एयर लाइनों की बुकिंग में बहुत भीड़-भाड़ हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच हो रही है।

दिनांक २८ मई, १९६२ में अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): "पूर्व जर्मनी : फ्री यूनिवर्सिटी, बर्लिन", की जगह पर "पश्चिम जर्मनी : फ्री यूनिवर्सिटी, बर्लिन", पढ़िये।

अतिरिक्त जानकारी

पश्चिम जर्मनी में हैम्बर्ग, मैम्बर्ग, बौन, म्यूनिक, ट्यूबिंगेन और गौटिंगेन के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने का इन्तजाम है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ युरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत

†**श्री यलमंदा रेड्डी** (मारकापुर) : मैं यूरोपीय साझा बाजार के सम्बन्ध में ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ हाल में हुई बातचीत की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मेरे सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने १२ जून, १९६२ को लोक सभा में इस बात चीत के बारे में एक वक्तव्य दिया था, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि श्री राज्य सचिव के दौरे का क्या महत्व और प्रयोजन था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री डंकन सैंड्ज की भारत यात्रा का प्रयोजन ब्रसल्स में चल रही वार्ता के नवीनतम रुख के बारे में हमारे साथ चर्चा करने और हम से यह परामर्श लेना था कि हमारे दृष्टिकोण से उन्हें क्या करना चाहिये। श्री सैंड्ज ने जो हमें बताया और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में हमारे अपने राजदूत ने जो कुछ हमें बताया है उस से यह मालूम होता है कि उस समुदाय में अब भारत की विशेष समस्याओं को स्वीकार किया गया है और समुदाय तथा हमारे बीच एक विशेष करार की संभावना पर विचार किया जा रहा है जिस का मुख्य उद्देश्य हमारे निर्यात की संभावनाओं और अवसरों को बढ़ाना है।

चूंकि मैं समुदाय की सदस्य सरकारों को भारत का पक्ष पेश करने के लिये तुरन्त यूरोप नहीं जा सकता जैसा कि ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव ने सुझाव दिया है, इसलिये हमने अपने निर्यात व्यापार की मुख्य बातें और चीजें जिन्हें हम विशेष महत्व देते हैं, श्री सैंड्ज को बता दी हैं। जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं, उन का ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं होगा।

मेरा जुलाई के आरम्भ में यूरोप जाने का इरादा है। उस समय मैं लन्दन तथा यूरोप के अन्य देशों की राजधानियों में भी जाऊंगा और सम्बन्धित सरकारों को इस बात से अवगत करा दूंगा कि विदेशी व्यापार में अन्तर कम करने के लिये हम विशेषकर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बैठक होने तक अन्तिम निर्णय नहीं किया जायेगा। इस विषय पर आगामी सितम्बर में होने वाले राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा होने की संभावना है। हमारा यह विचार है कि ब्रिटेन उक्त सम्मेलन के पहले किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय नहीं करेगा।

हमारे मामले को यथासंभव जोरदार शब्दों में प्रस्तुत किया जायेगा यह ब्रिटेन के साथ सामान्य रूप से तय हो चुका है।

यदि ब्रिटेन हमें कोई संरक्षण दिये बिना ही इस में सम्मिलित हो गया, तो युरोप के साझा बाजार का विपरीत प्रभाव पता लगेगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या मिग विमानों के क्रय का बातचीत पर असर पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कहना कठिन है, क्योंकि इस विषय पर बातचीत नहीं हुई।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : युरोपीय साझा बाजार के बनने से उस के ६ देशों के साथ हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ।

त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों म भारी बाढ़

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा पूर्व) : मैं गृह मंत्री का ध्यान त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों में हाल की भारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : चालू महीने के मध्य में भारी वर्षा से बाढ़ के कारण त्रिपुरा में यातायात में बाधा पड़ गई है और सड़कें टूट गई हैं, किन्तु अब संचार व्यवस्था पुनः ठीक कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

खोवई नदी के किनारे स्थित खोवई नगर और दो गाँव जलमग्न हो गये थे। कैलाशहर में ६ गाँव इस से प्रभावित हुए हैं और कुमारघाट पुल बह गया है। अमरपुर में सात गाँव पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है तथा कुछ मकान बह गये हैं। पाँच बच्चों के मरने की सूचना मिली है।

तुरन्त सहायता देने की व्यवस्था की गई है। दान के रूप में सहायता के लिये राजस्व अधिकारियों को ८०९० रुपये की राशि दे दी गई है। बाढ़ से पीड़ित लोगों को अनाज बाँटा जा रहा है और बेघरबार लोगों को आश्रय देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

†**श्री दशरथ देव** : क्या प्रभावित लोगों को ऋण देने के लिये कुछ राशि देने का विचार है?

†**श्री दातार** : यदि हमारे पास प्रस्ताव आये, तो उन पर विचार किया जायेगा।

जानकारी प्राप्त करने के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : पिछले सप्ताह मैंने मनीपुर में बाढ़ के बारे में 'ध्यान दिलाने की सूचना' दी थी। किन्तु इस की अनुमति नहीं दी गई किन्तु त्रिपुरा के बारे में ऐसी अनुमति दे दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। उन्हें मेरे पास आना चाहिये था। पत्र मंगवा कर देखता कि किन कारणों से अनुमति नहीं दी गई। अब भी मैं उन्हें मिलने के लिये तैयार हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं सभा पटल पर निम्न पत्रों को रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनाँक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५७।

(ख) दिनाँक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३२७।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिनाँक १८ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६७ ।

(घ) दिनाँक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९२ ।

(ङ) दिनाँक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९३ ।

(च) दिनाँक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९४ ।

(छ) दिनाँक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९५ ।

(ज) दिनाँक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १६२३ ।

(झ) दिनाँक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५३ द्वारा संशोधित दिनाँक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२४ ।

(ञ) दिनाँक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२ ।

(ट) दिनाँक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३ ।

(ठ) दिनाँक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २४ ।

(ड) दिनाँक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९ ।

(ढ) दिनाँक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३७ ।

(ण) दिनाँक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६८ ।

(त) दिनाँक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६९ ।

(थ) दिनाँक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८७ ।

(द) दिनाँक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८८ ।

(ध) दिनाँक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०---२१५/६२]

(२) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनाँक २५ नवम्बर, १९६१ की जी०एस०आर० संख्या १३९४ जिसमें दिनाँक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९५ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(ख) दिनाँक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८५ जिसमें दिनाँक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९४ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(ग) दिनाँक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८८ जिसमें दिनाँक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०---२१६/६२]

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनाँक २३ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११५० ।

[श्री ब० रा० भगत]

(ख) दिनाँक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५८ ।

(ग) दिनाँक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३२८ ।

(घ) दिनाँक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२१ ।

(ङ) दिनाँक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४४५ ।

(च) दिनाँक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३२ ।

(छ) दिनाँक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६६ ।

(ज) दिनाँक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८६ ।

(झ) दिनाँक २ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७३२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--२१७/६२]

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनाँक १२ सितम्बर, १९६१ को जी० एस० आर० संख्या ११२३ ।

(ख) दिनाँक १ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३१९ ।

(ग) दिनाँक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० सख्या १४३४ ।

(घ) दिनाँक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३५ ।

(ङ) दिनाँक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३६ ।

(च) दिनाँक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३७ ।

(छ) दिनाँक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--२१८/६२]

(५) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनाँक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १३९८ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) चौथा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--२१९/६२]**

खान और खनिज (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२

खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस): मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनाँक २६ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१८ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या २२०/६२]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की पहले अधिवेशन में हुई बैठकों (एक से तीन) के कार्यवाही-सारांश पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की पहले अधिवेशन में हुई पहली बैठक के कार्यवाही-सारांश पटल पर रखता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मुझे खेद है कि श्री अंसार हरवानी के अनपूरक प्रश्न के उत्तर से यह धारणा पैदा होती थी कि पुलिस ने सैंट्रल जुट मिल्ज कम्पनी लि० से सम्बद्ध कुछ इमारतों की तलाशी ली थी । सही स्थिति यह है कि केवल कम्पनी की इमारतों की तलाशी ली गई थी, सम्बद्ध संस्थाओं की इमारतों की नहीं ।

सोलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: मुझे खेद है कि मैं १३ जून, १९६२ को लोक सभा में प्रश्न° का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि मैं दिल्ली पहुंचने में असमर्थ था ।

२. तारांकित प्रश्न संख्या १४४० के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सेठी ने कहा था कि सोलवीन प्रतिनिधिमंडल का औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । अध्यक्ष ने कहा है कि मैं एक वक्तव्य दूं क्योंकि एक अग्रिम प्रति अब प्राप्त हो गई है । इस प्रकार के प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण चीज़ सिफ़ारिशों का प्रकार और उन पर की गई कार्यवाही होती है । इसलिए सरकार ने अग्रिम प्रति के आधार पर उस में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

औपचारिक प्रति १५ जून, १९६२ को प्राप्त हो गई है और इसे सभा पटल पर रखने का प्रबन्ध किया जायेगा । आशा है यह अगले सत्र में रख दी जायेगी ।

†**श्री दाजी** (इंदौर): क्या वह बतायेंगे कि प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : तीनों धमन भट्टियों को चलाने के लिए आवश्यक पुर्जे और कुछ और आवश्यक उपकरण मंगवाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम

†**श्री हरिश्चन्द्र माथर** (जालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अनुसरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन करने वाली दिनाँक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१ में जो २६ अप्रैल, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित संशोधन किया जाये; अर्थात्

३०० के स्थान पर २०० रखा जाये ।

यह सभा राज्य सभा से भी सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा उपरोक्त संकल्प से सहमत हो ।"

मैंने अपने संशोधन में कहा है कि रकम २५० रुपये से ३०० रुपये तक बढ़ाये जाने के स्थान पर २०० रुपये कर दी जाये ।

मंत्री महोदय जो कदम उठा रहे हैं, वह गलत है और उस से सेवाओं की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ेगा । मेरे विचार में राशि को २५० रुपये से ३०० रुपये तक बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है । मूलभूत नियमों के अन्तर्गत जिन हालतों में विशेष वेतन दिया जाता हैं, उन में से कोई भी लागू नहीं होती ।

मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि अब विशेष वेतन बिलकुल बदले हुए हालतों में दिया जा रहा है और अब उसका जमाना नहीं है । पुराने आई० सी० एस० अधिकारियों को ज़िलों से मुख्यालय में लाने के लिए आकर्षण दिया जाता था किन्तु अब ऐसे अधिकारी नहीं हैं ।

विशेष वेतन का सेवाओं की इमानदारी पर बूरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वही काम प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जहाँ विशेष वेतन मिल सके । कोई पदाधिकारी ज़िलों में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ज़िलों में विशेष वेतन वाले पद नहीं होते । इस का एक और बुरा प्रभाव यह है कि इस से भ्रष्टाचार बढ़ता है । यह बिलकुल उचित नहीं है कि ९० प्रतिशत पदों के लिए विशेष वेतन हो । मैं यह नहीं कहता कि विशेष वेतन किसी पद के लिए होना ही नहीं चाहिये । कुछ पदों के लिए यह उपयुक्त हो सकता है, किन्तु प्रत्येक आइ० ए० एस० पदाधिकारी को, जो यहाँ अवर सचिव या उपसचिव नियुक्त किया जाये, विशेष वेतन देना उचित नहीं है । अब आई० ए० एस० के विशेष ग्रेड का अधिक प्रयोग किया जायेगा । किसी पदाधिकारी को उच्च श्रेणी में जाने पर एकदम जो वेतन वृद्धि मिलती है सरकार उसे उसके अतिरिक्त ३०० रुपये और देना चाहती है ।

मेरे विचार में उन पदाधिकारियों को जो १,८०० से २,००० के ग्रेड में हैं, कोई विशेष वेतन नहीं मिलना चाहिये । यदि उन्हें आरम्भ में ३५० या ४०० के स्थान पर ६०० रुपये दे दिये जायें, तो कोई हर्ज नहीं है । किन्तु जब वह ८५० रुपये पाने लगते हैं, तो आप उन्हें ३०० रुपये और देना चाहते हैं ।

सरकार को यह समझना चाहिये कि असैनिक सेवाओं के कर्मचारियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनसे प्रविधिक कर्मचारी बहुत असंतुष्ट हैं । असैनिक सेवाओं के कर्मचारी केवल अपने संकीर्ण हित-साधन में लगे रहते हैं और अधीनस्थ सेवाओं के हितों का ध्यान नहीं रखते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिए मैं गृह मंत्री से सिफ़ारिश करूंगा कि विशेष वेतन के सारे प्रश्न की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की जाये, जो कि असैनिक सेवाओं की नहीं होनी चाहिये । वह समिति सारे प्रश्न का पुनर्विलोकन करे और योजना को वैज्ञानिक बनाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुझा): मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

अभी कुछ समय पहले सरकार ने अधिसूचना निकालकर भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किया है । सरकार ने उसके लिये औचित्य यह बताया है कि देश के सर्वोत्तम और सुयोग्य व्यक्तियों को इन सेवाओं में लाने के लिये हमें इन अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि करते जाना चाहिये । समाजवादी ढंग के समाज के उद्देश्य से यह दृष्टिकोण मेल नहीं खाता । निचली श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में सरकार ऐसा दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाती ?

अन्दमान द्वीपसमूह में तो लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने वेतनों में ५ रुपये की वृद्धि की माँग करने पर इतना हंगामा खड़ा हो गया था । सरकार निचली श्रेणी के कर्मचारियों से तो त्याग करने की बात कहती है, लेकिन २ हज़ार रुपये पाने वाले अधिकारियों के वेतनों में ५०० रुपये की वृद्धि कर देती है ।

क्या सरकार अधिक वेतन देकर ही इन सेवाओं में सर्वोत्तम व्यक्तियों को लाना चाहती है ? उन से भी तो देश के हित के लिये त्याग करने को कहा जा सकता है ।

भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के नये और पुराने अधिकारियों के बीच सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिये कि पुराने अधिकारियों की उपलब्धियाँ कम हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस चर्चा में सामान्य प्रश्न को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ चर्चा का विषय केवल यह है कि विशेष भत्ता ३०० रुपये हो या २०० रुपये ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर की बात से सहमत हूं कि २,००० और २,५०० रुपये पाने वालों को विशेष भत्ते के रूप में अधिक वेतन देना अनुचित होगा । इसलिये इस पूरे प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं इस संकल्प का तो समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का समर्थन अवश्य करूंगा कि विशेष वेतन के प्रश्न की पूरी छानबीन की जानी चाहिए ।

विशेष वेतन को एक प्रतिकर के रूप में लिया जाता है । लेकिन प्रतिकर किस बात का ? विशेष वेतन देने का प्रयोजन क्या है, और क्या वह पूरा हो रहा है ?

इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रश्न की छानबीन की जाये । मैं जानना चाहूंगा कि कितने अधिकारियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और उस पर कितना व्यय होगा । इसकी छानबीन के लिये एक गैर-सरकारी समिति नियुक्त की जानी चाहिए ।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : मैं श्री माथुर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

देश स्वतंत्र होने से पहले सचिवगण सचिवालय से बाहर जाने के लिये लालायित रहते थे, इसलिये कि शहरों में आने तर उनका खर्च बढ़ जाता था ।

इसीलिये उनको २०० या ३०० रुपये अधिक देकर सचिवालय की सेवा की ओर आकर्षित किया जाता था ।

विशेष भत्ते के रूप में इतना पाने के बाद उनको शहरों में रहना सुविधाजनक लगने लगा ।

अब उसे विशेष वेतन का रूप देकर स्थायी बनाया जा रहा है ।

लेकिन इस व्यवस्था के कारण ज़िलों में रहने वाले अधिकारियों के दिलों में गलत किस्म की भावनायें पदा हो रही हैं ।

अब ज़िलों में भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें बढ़ती जा रही हैं, इसलिये इस विशेष वेतन की व्यवस्था अनावश्यक हो गई है ।

इस पूरे प्रश्न की जाँच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : केवल मकानों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में शहरी जीवन पहले से अधिक कम-खर्चीला बन गया है । गाँवों की अपेक्षा शहरी जीवन कम-खर्चीला हो गया है । इसलिये, पहले की भांति, विशेष भत्ता देने की बात ठीक नहीं मालूम पड़ती ।

दिल्ली को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने से वैसे भी उपलब्धियों में वृद्धि हुई है । फिर विशेष वेतन देना अनावश्यक ही है । और यह विशेष वेतन दिया भी उन लोगों को जा रहा है जिनको पहले ही ऊंचे वेतन मिलते हैं । इसलिये इसकी जाँच के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिए ।

इन अधिकारियों को हर जगह ऊंचे-ऊंचे वेतन दिये जा रहे हैं । हमें इस तरह रुपया नहीं बहाना चाहिये । सरकार को देश की गरीबी का ध्यान रखना चाहिये ।

इसलिये मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं । सरकार कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के वेतन क्यों नहीं बढ़ाती ?

सरकार को श्री माथुर का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री डी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : संसद्-सदस्यों के पास क्लर्कों और असिस्टेण्टों के प्रतिनिधि अवसर आते रहते हैं । द्वितीय वेतन आयोग ने भी ऊंचे वेतन पाने वाले अधिकारियों के प्रति ही उदारता दिखाई है । निचली श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तो पहले से भी कम हो गये हैं ।

द्वितीय वेतन आयोग ने इस तरह वेतन-क्रमों और उपलब्धियों की असमानता और बढ़ा दी हैं ।

लेकिन सरकार उतने से भी संतुष्ट नहीं हुई । वह उच्चाधिकारियों को और अधिक वेतन देना चाह रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार इस प्रकार अधिकारियों के लिये दिल्ली को और अधिक आकर्षक बना देना चाहती हैं। वे सभी दिल्ली आना चाहते है, क्योंकि यहां वेतन अधिक मिलता हैं। यहां सामाजिक जीवन भी हैं।

क्या सरकार चाहती हैं कि राज्य सरकारों में सुयोग्य और कार्यक्षम अधिकारी रह ही न जाय, सभी दिल्ली आजाय ?

यदि सरकार उदार बनना चाहती हैं, तो निचली श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति उदारता दिखाये। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने इस समस्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करके बड़ा अच्छा किया हैं।

अच्छा होता यदि गृह-कार्य मंत्री भी इस समय सभा में होते और हमारे विचार सुन लेते।

सामाजिक न्याय और प्रशासकीय सेवा की कार्य क्षमता के हित में, इस नियम को वापस लिया जाना चाहिये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर)**: श्री दी० चं० शर्मा ने इस नियम को वापस लेने के लिये कहा हैं। पर उनका ऐसा कोई संशोधन नहीं हैं।

विभिन्न अधिनियमों में इस बात को व्यवस्था हैं कि नियम सभा पटल पर रखे जाने चाहिये। प्राय: देखने में यह आये हैं कि लोग इनकी ओर ध्यान नहीं देते। जब इन नियमों को गज़ट में प्रकाशित कर दिया जाता है तो गज़ट की प्रतिया संसद् सदस्यों को समय पर नहीं मिलती अत: हम उनको देख भी नहीं पाते। और यही कारण है कि सभा में उनकी चर्चा भी नहीं हो पाती। कभी कभी कुछ सदस्यों को गज़ट की प्रतियां भी नहीं मिलती है। कभी कभी ये नियम सरकार को काफ़ी महंगे पड़ते है। उच्च पदाधिकारियों को छोटे पदाधिकारियों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन उच्चाधिकारियों का वेतन वैसे ही इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे कि इन दोनों में काफ़ी अन्तर उत्पन्न हो जाये। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार इस संशोधन पर विचार करे।

जो नियम पहले से ही मौजूद है उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिये। अत: सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या वे नियम देश के हित में है अथवा नहीं। सभी लोगों की राय हैं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये। मेरा अंत में यही निवेदन हैं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा हैं उसकी सीमाओं को ध्यान में रखकर उसके अध्ययन करने की आवश्यकता हैं। इस अधिसूचना में केवल यह उपबन्ध किया गया है कि २५० रुपये के स्थान ३०० रुपये शब्द रखे जायें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं है कि इसे स्वीकार किया जाये। माननीय सदस्य ने संशोधन पर भाषण करते हुए कहा है कि लोगों में इस बात से बड़ा असंतोष है कि उन्हीं पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाया जा रहा हैं जिनका कि वेतन अभी बढ़ाया गया है।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ में पारित किया गया था। इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वे नियम बना सकती है उसका परिचालन कर सकती है और उन्हें सभा पटल पर रख सकती है। इसके अनुसार सन् १९५४ में कुछ नियम बनाये गये

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दातार]

और सभा पटल पर रखे गय । उसके बाद से इन नियमों में जब कभी भी कोई परिवर्तन हुआ है उनको हमेशा सभा पटल पर रखा गया है । अतः यह कहना कि इन नियमों को केवल गजट में ही प्रकाशित किया जाता है ग़लत है । मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों सदनों पर उन नियमों के बारे में अच्छी चर्चा हुई है । अतः यह कहना अनुचित है कि इन नियमों के बनाने के बाद ये संसद् के ध्यान में नहीं लाए जाते हैं ।

जहां तक किसी समिति अथवा आयोग के नियुक्त करने की बात है, अभी कुछ वर्ष पूर्व एक वेतन आयोग की स्थापना की गई थी जिसने अन्य बातों के साथ साथ "सुपर टाइम स्केल" तथा विशेष वेतन के प्रश्न पर भी विचार किया था । इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि "सुपर टाइम स्केल" तथा विशेष वेतनों का देना आवश्यक है । उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के उन वर्गों का भी उल्लेख किया है जिनको विशेष वेतन दिया गया है । इससे इस बात का पता चल जाता है कि सरकार ने किसी वर्ग विशेष के साथ कोई रियायत नहीं की है । यह विशेष वेतन इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार का कार्य करते हैं तथा उनका दायित्व कितना है । छोटी श्रेणी के कर्मचारियों को भी विशेष वेतन दिया गया है । प्रथम श्रेणी में १०,३९१ स्थान है जिसमें से वेतन केवल ८८८ को विशेष वेतन दिया गया है । द्वितीय श्रेणी के १९,२७० पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों में स केवल ७२१ व्यक्तियों को विशेष वेतन दिया गया । तृतीय श्रेणी में ५,५३,१९३ में से १२,२१७ व्यक्तियों को, तथा चतुर्थ श्रेणी के ६,९३,३१८ पदों में से ७३० व्यक्तियों को विशेष वेतन दिया गया । अतः ऐसी स्थिति में यह कहना कि सरकार केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को सुपर टाइम स्केल तथा विशेष वेतन देती है जिन्हें कि पहले से ही काफ़ी वेतन मिल रहा है, ग़लत है ।

विशेष वेतन के प्रश्न की जांच द्वितीय वेतन आयोग ने अच्छी तरह की है । और जांच करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उन व्यक्तियों को विशेष वेतन दिया जाये जो सामान्य कार्य के अतिरिक्त और भी कार्य करते हैं अथवा जिनके पास उत्तरदायित्व का काम है । अतः इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

जहां तक इस प्रश्न की बात है यह मामला तो थोड़ी सी राशि का है अर्थात् २५० रुपये से बढ़ा कर ३०० रुपये करने का है । सन् १९५४ में जब भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये नियम बनाये गये थे तो उन्हें सभा पटल पर रखा गया था । अब सवाल यह है कि क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिये किसी विशेष समिति अथवा आयोग के बनाने की आवश्यकता है । चूंकि यह मामला थोड़ी सी राशि का है और सामान्य सिद्धान्त का प्रश्न द्वितीय वेतन आयोग जैसा आयोग तै कर ही चुका है अतः इसके लिये किसी विशेष समिति अथवा आयोग के बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

भारतीय प्रशासनीय सेवा के नियमों की अनुसूची ३ की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं । उस अनुसूची में विशेष वेतन तथा वर्तमान स्थिति का हवाला दिया गया है । द्वितीय वेतन आयोग में भी असैनिक उड्डयन निदेशालय के प्रशासन निदेशक तथा डी० जी० एस० डी० के प्रशासन निदेशक के लिये विशेष व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि इनका विशेष वेतन २५० रुपये से बढ़ा कर ३०० रुपये कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं यदि इन पदों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कार्य करेंगे तो उन्हें १३००—१६०० तक वेतनक्रम मिलेगा और यदि कोई व्यक्ति भारतीय प्रशासन सेवा से आयेंगे तो उन्हें ९००—१८०० का वेतनक्रम दिया

आयेगा। इस तरह आप देखेंगे कि भारतीय प्रशासक सेवा वाले आदमी का "सीनियर टाइम स्केल ६०० रुपये से शुरू होता है जब कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का १३०० रुपये से शुरू होता है। इसलिये इन पदों पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है जो भारतीय प्रशासन सेवा का है तो उसे विशेष वेतन २५० रुपये के बजाय ३०० रुपये दिये जाने चाहिये।

सभा को इस सम्बन्ध में भी मैं कई बार जानकारी दे चुका हूं कि राज्य सरकारों से जो पदाधिकारी यहां काम करने के लिये आते है उन्हें काफ़ी संख्या में वापस किया जा रहा हैं। पहले ऐसी बात नहीं होती थी। केन्द्र के लिये हम भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के व्यक्तियों की श्रेणी अलग से नहीं बनाते। राज्यों में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हीं से हम भी काम लेते हैं। और यहा काम करने के लिये जब तक हम उन्हें कोई आकर्षण नहीं दिखायेंगे तब तक कैसे आशा की जा सकती है कि वे यहां काम करने आयेंगे। अब तो यह कठिनाई भी सामने आती है कि राज्यों से ये लोग दिल्ली आना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि यहा उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं।

कठिनाई यह है कि दिल्ली आने के लिए अधिकारी नहीं मिल रहे। भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम की अनुसूची ३ केवल दो पदों, अर्थात् असैनिक उड्डयन निदेशालय में प्रशासन संचालन के पद और संभरण तथा निपटान महानिदेशालय में प्रशासन संचालन के पद के विशेष वेतन से सम्बन्धित है केवल इन दो मामलों में विशेष वेतन को २५० रुपये से बढ़ा कर ३०० रुपये करने का विचार किया जा रहा है। २५० से ३०० रुपये के इस अन्तर से कई प्रकार की गड़बड़ हो जाती थी। सामूहिक रूपसे इस मामले के अन्तर्गत वेतन बढ़ाने अथवा विशेष वेतन बढ़ाने का प्रश्न नहीं आता। इस सम्बन्ध मे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अवधि के आधार पर राज्य सरकारों को प्रत्यावर्तनों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री महोदय ने भूलभूत नियमों का उल्लेख नहीं किया जिसका कि मैं संकेत कर रहा था। मेरा निवेदन यह है कि २५० अथवा ३०० रुपये तो क्या, वे एक पाई के भी हकदार नहीं। विशेष वेतन की स्वीकृति ९(२५) मूल भूत नियम के अन्तगत की जा सकती है। वहां एक–दो–तीन शर्तें हैं। ये दो पद इन शर्तों को बिलकुल पूरा नहीं करते। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि यह प्रश्न एक अथवा दो पदों का नहीं, सिद्धान्त का है। सिद्धान्त का प्रश्न यह है कि क्या विशेष वेतन दिया भी जाना चाहिए अथवा नहीं। इस बात का मंत्री महोदय द्वारा परीक्षण नहीं किया गया, यद्यपि वह कहते हैं कि उन्होंने परोक्षण किया है।

माननीय मित्र ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन से भी कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। मेरा निवेदन है कि दूसरे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि विशेष वेतन के प्रश्न पर समय समय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। परन्तु जिन पदों के लिए विशेष वेतन दिया जा रहा हैं उनके लिए उसका कोई औचित्य नहीं है।

†**श्री दातार** : एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह कि माननीय सदस्य ने आधारभूत नियमों का उल्लेख किया है, पर ये नियम आई० ए० एस० अधिकारियों पर उसी रूप में लागू नहीं होते। इनके लिए अलग नियम हैं जिसके अन्तर्गत इनका प्रशासन चलता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अनुसरण में, प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम,

---

†मूल अंग्रजी में

[अध्यक्ष महोदय]

१९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन करने वाली दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१ में, जो २६ अप्रैल, १९६२ को टेबल पर रखी गई थी, निम्नलिखित संशोधन किया जाये ; अर्थात् :—

३०० के स्थान पर २०० रखा जाय ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपरोक्त संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

भेषज (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम भेषज (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे ।

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : श्रीमान जी, मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि भेषज अधिनियम १९४० में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

विधेयक का उद्देश्य यह है कि सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के प्रयोग, विक्रय एवं निर्माण को मूल अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये । सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री उद्योग बहुत तीव्र प्रगति कर रहा है, विदेशी मुद्रा की कठिनाई से इस उद्योग को और प्रोत्साहन मिला है । विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं के निर्माण में कुछ विषाक्त भेषजों और कुछ कोलतार से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है । इन वस्तुओं के प्रयोग से ओठों पर फोड़े निकलने तथा अन्य रोगों के मामले देखने में आये हैं । इस प्रश्न को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् को निर्दिष्ट किये जाने पर यह निर्णय किया गया कि सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री को भी भेषज नियंत्रण अधिनियम के क्षेत्र में लाया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या राज्य सभा ने विधेयक में कुछ परिवर्तन की थीं ? अब हमारे पास वह विधेयक है जो कि राज्य सभा ने पारित किया है । माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि वहां क्या हुआ ।

†**डा० द० स० राजू** : सब धाराओं में "भेषज" (drugs) के बाद "सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री" (cosmetics) शब्द लगाने के लिए संशोधन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : राज्य सभा ने कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

†**डा० द० स० राजू** : जी हां, कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किसी सदस्य को कोई जानकारी है कि क्या राज्य सभा ने खण्डों में कोई परिवर्तन किया है ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जब राज्य सभा से विधेयक आते हैं और कुछ संशोधन राज्य सभा ने स्वीकार किये हों, तो आपका सचिवालय उन शब्दों को जो जोड़ दिए गए हों या निकाल दिए गए हों को नीचे रेखा डाल दे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** तब भी मूल का पता नहीं लगेगा ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : विधेयक जैसे राज्य सभा मे पुरस्थापित किया गया था के साथ जो उद्देश्यों और कारणों का विवरण है उस मे जयपुर में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के संकल्प का उल्लेख है वह राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक में नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जयपुर संकल्प बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । में तो विधेयक जैसे सदन के सामने आया है उस पर विचार करना है ।

माननीय सदस्यों को कुछ समय चाहिए, क्योंकि कल सभा स्थगित होगी । कल के लिए कार्य-सूची नियत है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं इसे तीन बजे आरम्भ करूंगा । उतने समय में माननीय सदस्य जो चाहे विधेयक जैसे पुरःस्थापित किया गया था, प्रतियां ले ले और उसे देख लें ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मेरा सुझाव है कि हम जारी रखें । हम पांच बजे तक बैठें और इतने समय मे विधेयक को भी देख लें ।

†**अध्यक्ष महादय :** ऐसा ही सही ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भेषज अधिनियम, १९४० मे अग्रेतर संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विधेयक को ११ सदस्यों अर्थात् डा० रा० बनर्जी, श्री प्रिय गुप्त, श्री जयपाल सिंह, श्री हरि विष्णु कामत, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री नी० श्रीकान्तन नायर, डा० सारादीश राय, पंडित कृ० चं० शर्मा, श्री सिंहासन सिंह, श्री वारियर तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाए ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

मूल प्रस्ताव और यह संशोधन सदन के सामने हैं । मैं माननीय सदस्य को बाद में बुलाऊंगा । श्री प्रभात कार ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : जहां तक भेषज अधिनियम के संशोधन का सम्बन्ध है, इस संशोधन विधेयक में प्रत्येक खण्ड मे भेषजों के साथ सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री को भी रखा है । इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री को मूल अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहता है ।

मुझे आश्चर्य है कि केवल इस अधिनियम का संशोधन करके सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री में मिलावट को रोका जा सकता है ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

क्रीम, स्नो इत्यादि के प्रयोग का क्या निष्कर्ष होता है? एक प्रकाशन में लिखा था कि इनके प्रयोग से चमड़े में खराबी आ जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

बहुत सी वस्तुओं में मिलावट होती है। भेषजों मे भी काफी मिलावट होती है। मिलावट वाले भेषजों के प्रयोग से मृत्युएं हुई हैं। जब तक इस विधेयक में इस के लिए उचित और प्रभावशाली संगठन और कड़ी सजा की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक मिलावट को रोकने का ध्येय पूरा नहीं होगा।

†**डा० द० स० राजू** : भेषज अधिनियम की 'मशिनरी' है।

†**श्री प्रभात कार** : वह मशिनरी असफल रही है। बहुत सी औषधियों में मिलावट हो रही है। सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री गलियों और रेलवे के डिब्बों में बेची जाती हैं। साधारण व्यक्ति इसे खरीदते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इसे कैसे रोका जा सकता है ? जब तक उचित संगठन न हो, इस संशोधन का ध्येय पूरा नहीं होगा।

सजा को बड़ा बनाने के लिए विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है। मिलावट वाले भेषजों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है। अतः दण्ड को और कठोर बनाना चाहिए। सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए था ताकि जो त्रुटियां इस समय मौजूद हैं वे दूर हो जातीं और दण्ड के उपबन्ध वाले खण्ड को और कठोर बनाया जा सकता। जो लोग नकली दवाइयां और हानिकारक सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तैयार करते है उनको सख्त सजा की व्यवस्था इस विधेयक में की जानी चाहिए थी।

मंत्री महोदय कहते हैं कि विधेयक का संशोधन किया जा रहा है। भेषजों मे मिलावट की सजा तीन वर्ष है। सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री में मिलावट के लिए दण्ड एक वर्ष है। आप भेषजों के साथ 'कौसमेटिक्स' को लाना चाहते हैं ताकि दोषी व्यक्ति को ५०० रुपये जुर्माना किया जाए।

†**डा० द० स० राजू** : एक वर्ष के लिये कैद और/या ५०० रुपये जुर्माना।

†**श्री प्रभात कार** : जो व्यक्ति इतना धन कमाता है उस के लिये यह दण्ड कुछ भी नहीं है।

मिलावट को रोकने के लिये यह जरूरी है कि संगठन को और दृढ़ बनाया जाना चाहिये और अपराधियों को पकड़ने के लिये अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहियें। अपराधियों को पकड़ कर उन्हें कड़ा दण्ड देना चाहिये। दण्ड सम्बन्धी खण्ड का भी संशोधन किया जाना चाहियें।

†**श्री त्रिदिवकुमार चौधरी** (बरहामपुर) : हमारे पास विधेयक जिस रूप में आया है उस के साथ कारणों और उद्देश्यों का विवरण नहीं है। जो उद्देश्य विधेयक के थे, वे जिस प्रकार विधेयक बनाया गया है उस से पूरे नहीं होंगे।

इस विधेयक का सारा उद्देश्य कुछ प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में मिलावट या ऐसी प्रसिद्ध सामग्रियों के नाम से मिलावट वाली सामग्रियों के विक्रय को रोकना। विधेयक में ऐसी कोई यवस्था नहीं है कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में कोई ऐसी वस्तु न मिलाई जाय जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। चूंकि "कौसमैटिक्स" की परिभाषा संयुक्त राज्य अमरीका के अधिनियम से ली गई है, अतः उस अधिनियम की भांति इस विधेयक में भी ऐसा उपबन्ध होना चाहिये था।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशी और विदेशी सौंदर्य प्रसाधन निर्माताओं ने सरकार को 'मिसब्रेंडिंग' (गलत नाम देने) की परिभाषा करने में किसी रूप में प्रभाव डाला है ताकि विधेयक केवल उन वस्तुओं की नकल करने को रोकने तक ही सीमित रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माता रद्दी वालों या कबाड़ियों से इन सामग्रियों के प्रसिद्ध निर्माताओं के नाम वाली पुरानी बोतलें इत्यादि ले लेते हैं और उन में घटिया किस्म की सामग्री डाल कर बेच देते हैं। विधेयक का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिये कि ऐसी बातों को रोका जाय।

यह विधेयक प्रवर समिति को यह देखने के लिये सौंपा जाना चाहिये कि इस में जो उपबंध हैं उन से इस के कारण और उद्देश्य की भी पूर्ति होती है या नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि कई ऐसे एकक हैं जहां कच्चे सामान के परीक्षण के लिये प्रारंभिक सावधानी नहीं बरती जाती और उस के निर्माण में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता तब यह समझ में नहीं आता कि सरकार कठोर दण्ड क्यों नहीं देती। आश्चर्य है कि निर्धारित दण्ड में भी कमी करने का मूल अधिनियम में प्रयत्न किया जा रहा है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

स्वतंत्रता को १५ वर्ष हो गये हैं, परन्तु खेद है कि हम अभी तक ब्रिटिश औषधि शास्त्र का ही उल्लेख करते हैं।

विधेयक प्रस्तुत करते समय सरकार को मूल अधिनियम की अनुसूची तथा अन्य भाग की ओर भी ध्यान देना चाहिये था जिन में संशोधन की आवश्यकता है। ब्रिटिश औषधि शास्त्र में अभी भी मान दण्ड स्वीकार करते रहना युक्तियुक्त नहीं है। एक अधिक व्यापक विधेयक इस विषय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

स्वास्थ्य मंत्री को यह भी बताना चाहिये कि मूल अधिनियम के कतिपय उपबन्ध जिन में केवल भेषजों की ओर निर्देश किया गया है, सौन्दर्य प्रसाधन शब्द जोड़ कर उन्हें संशोधित करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, मूल अधिनियम के खण्ड १० के परन्तुक में इस प्रकार का संशोधन क्यों नहीं किया गया है।

दवाओं और खाने की चीजों में मिलावट करने वाले जनता के भावी हत्यारे हैं और उन के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये।

मूल अधिनियम में कई संशोधनों की आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु में मिलावट हो रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ी सजा की व्यवस्था करनी चाहिये।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : इन संशोधनों के लिये मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई देती हूं। आज के युग में प्रसाधन सामग्री भी खाद्यान्नों जितनी ही महत्वपूर्ण बन गई है।

आज स्वास्थ्य और सौंदर्य के बारे में बड़ी गलत धारणायें प्रचलित हैं। स्वास्थ्य की कीमत पर सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये। सस्ती प्रसाधन सामग्री से यही होता है। कुछ स्त्रियां पाउडर और लिपस्टिक इतना प्रयोग करती हैं कि त्वचा का वास्तविक वर्ण दिखाई नहीं पड़ता। श्री चौधरी ने कहा है कि खंड ६ और १३ में सरकार ने इस संबंध में कुछ सावधानी रखने

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

की व्यवस्था की है। सरकार ने इस की ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रसाधन सामग्री किन चीजों से तैयार की जाती है।

मैं यह नहीं मानती कि सरकार ने कुछ फर्मों के कहने पर यह कदम उठाया है।

कोई भी सरकार औषध और दवाओं में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यदि होता है, तो कहीं कोई चूक अवश्य हो रही है सरकारी व्यवस्था में।

सरसों के तेल की मिलावट के कारण एक विचित्र सा रोग फैलने लगा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे स्वीकार किया है।

और, केवल यह विधान बना देने से कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। वह तो तभी होगा जब उत्पादन केन्द्रों पर नियंत्रण किया जायेगा।

खाद्य और प्रसाधन सामग्री की मिलावट करने वाले अपराधियों को ५०० रुपये जुर्माना करना मखौल होगा। इतने बड़े सामाजिक अपराधियों को कड़ी सजा देनी चाहिये, उन को सपरिश्रम कारावास दिया जाना चाहिये। जुर्माना नहीं होना चाहिये।

मैं इस विधान का स्वागत करती हूं।

†**श्री खाडिलकर** (खेड): यह संशोधन विधेयक बड़ा सीमित सा है। देश के वास्तविक स्वास्थ्य के हित में यही था कि एक अधिक व्यापक विधेयक रखा जाता। एक ऐसा व्यापक विधेयक होना चाहिये जो खाद्यान्नों और प्रसाधन सामग्री दोनों की मिलावट पर लागू हो।

प्रसाधन सामग्रियों का प्रचार सिनेमा के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों द्वारा अधिक किया जा रहा है।

आज रूस में भी पाश्चात्य जगत की प्रसाधन सामग्रियों का प्रचलन बढ़ रहा है। यह पाश्चात्य देशों की सस्ती नकल है।

इस विधेयक में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं तथा सामग्रियों को भी सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि वे भी कई नकली दवायें तैयार करने लगे हैं।

अभी कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि सरसों के तेल में कुछ रासायनिक तेल मिलाने से फालिज हो जाता है। केवल खुदरा विक्रेताओं पर कुछ जुर्माना कर देने भर से समस्या हल नहीं होगी। होना यह चाहिये कि दवाओं और प्रसाधन सामग्री की किस्म की जांच के लिये एक संगठन बनाया जाये। और इस के बाद प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र अथवा कारखाना केन्द्र में भी उन वस्तुओं के वितरण और बिक्री का पर्यवेक्षण करने के लिये भी ऐसा ही एक संगठन आवश्यक है। गत वर्ष माननीय मंत्री ने इस का आश्वासन दिया था, पर अभी भी दवाओं में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। मरीजों को दवाओं से कोई फायदा ही नहीं होता।

इस का नियंत्रण वास्तव में तभी हो सकेगा जब इस के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाये। फिर नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करने से क्या लाभ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

देश को स्वस्थ बनाने के लिये सब से पहली चीज यह जरूरी है कि हानिकारक वस्तुओं का प्रचलन रोका जाये। जरूरी यह है कि वस्तुओं की किस्म सुधारने का प्रयास किया जाये। उन के विक्रय और वितरण पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिये।

स्वास्थ्य मंत्रालय इस की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाया है। आज के डाक्टर भी व्यवसायी बन गये हैं। इसलिये इतने सीमित से विधान से समस्या हल नहीं की जा सकेगी।

इस सीमित से विधेयक में प्रवर समिति भी कोई बड़ा संशोधन नहीं कर सकती। इसलिये श्री चौधरी का यह सुझाव मुझे मान्य नहीं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

सरकार सभी विदेशी प्रसाधन सामग्री और औषधियों के आयात पर कड़ा प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देती ?

अन्त में मुझे यही कहना है कि प्रसाधन सामग्री और खाद्यान्नों में मिलावट करने वालों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मूल अधिनियम की धारा २७ में व्यवस्था है कि खाद्य सामग्री और दवाओं में मिलावट करने वालों को एक से तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। मेरा ख्याल है कि इस से अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था करना अनावश्यक है।

मैं प्रसाधन-सामग्रियों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं हूं। वह अत्यावश्यक वस्तुओं में शुमार नहीं की जा सकतीं। गांवों में प्रसाधन-सामग्रियों का प्रयोग नहीं के बराबर है। साबुन को प्रसाधन-सामग्री में शामिल नहीं किया गया है। इसलिये मेरी तो राय है कि ५०० रुपये से अधिक का जुर्माना भी इन की मिलावट के लिये नहीं होना चाहिये।

यदि सभी जनता प्रसाधन-सामग्री का प्रयोग करती और वह एक अत्यावश्यक वस्तु होती, तो मैं अधिक कड़े दण्ड की बात मान् सकता था। जो लोग जान बूझ कर प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करना चाहते हों, वे करें।

इस विधेयक का प्रारूप ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया है। शब्दों की व्याख्या स्पष्ट नहीं है। संशोधन विधेयक तैयार करते समय मंत्रालय को परिभाषाओं की अस्पष्टता दूर करने का प्रयास करना चाहिये था।

इस अस्पष्टता का परिणाम यह है कि पता ही नहीं चलता कि उचित नियम हैं क्या। तब फिर किस आधार पर मिलावट करने वालों को दण्डित करेगी ?

इस का परिणाम यह भी हो सकता है कि निर्दोष व्यक्तियों को दण्ड मिल जाये।

श्री कामत ने बिलकुल सही कहा है कि मूल अधिनियम की धारा १० में एक परन्तुक जोड़ा जाना चाहिये कि इस की व्यवस्था आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। यह परन्तुक जोड़ना अत्यावश्यक है।

हम प्रसाधन-सामग्री का प्रयोग रोक नहीं सकते। इसलिये परन्तुक को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

धारा १५ में व्यवस्था है कि केवल प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट ही धारा १३ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की सुनवाई कर सकेगा। धारा १३ के अन्तर्गत एक वर्ष का कारावास या पांच सौ रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है। इससे प्रक्रिया लम्बी हो जाती है। यह अनावश्यक है।

वैसे मेरा तो ख्याल है कि इस प्रकार की विधि की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी विधि संविधि पुस्तक में नहीं होनी चाहिये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : यह कहना ग़लत है कि प्रसाधन सामग्री के प्रयोग से केवल एक-दो महिलाओं को ही हानि हुई है। मैं ने बड़े प्रसिद्ध कलाकारों को भी चर्मरोगों से पीड़ित होते देखा है। प्रसाधन सामग्री को तैयार करने और उसके विक्रय पर कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिये।

यह कहना भी सही नहीं है कि गांवों में स्त्रियां प्रसाधन सामग्री का उपयोग नहीं करतीं। मैं ने तो नागा पहाड़ियों तक में उनका उपयोग होते देखा है।

आयात की जाने वाली प्रसाधन सामग्री के सम्बन्ध में जितनी कठिनाइयां सामने आती हैं, वे तभी दूर की जा सकती हैं जब हम भारतीय परम्पराओं के अनुसार प्रसाधन सामग्री तैयार करें और उनका प्रयोग प्रचलित करें।

भारतीय प्रसाधन सामग्री में मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमारे यहां 'लोध्र पुष्प के पराग' से मुख का सौन्दर्य बढ़ाया जाता था। स्नो और क्रीम की जगह 'काश्मीर-कर्पूर-विलिप्त देहा' का प्रयोग था। स्त्रियां चन्दन-अगरट और कुमकुम से शृंगार करती थीं।

हमारे यहां के सौंदर्य प्रसाधन का मूल तत्व मानसिक स्वास्थ्य था। हमें उसी को अपनाना चाहिए।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का नाम तो ड्रग्ज़ एमेंडमेंट बिल रखा गया है लेकिन इस की जो धारायें हैं, वे कासमैटिक्स को ही एफैक्ट करती हैं और इस वजह से इस पर यहां आपत्ति की जा रही है। कास्मैटिक्स शृंगार का साधन शुरू से हो रहा है। हमारे यहां जो आदिवासी हैं जो प्रिमिटिव क्लासिस हैं, उन से ले कर बड़े से बड़े लोग कासमैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रिमिटिव क्लासिस में घोड़ा छाप बंडी के लाल कवर को लेकर और उसको हाथ से मसल कर तथा उसमें पानी मिला कर उसे मुंह तथा बदन पर लगाया जाता रहा है। जो कासमेटिक्स हैं, ये अपर क्लासिस की शृंगार की वस्तुयें हैं। नीचे की क्लास से ले कर ऊंच, से ऊंची क्लास तक में किसी न किसी रूप में शृंगार साधनों का उपयोग चलता रहा है और आज भी चल रहा है। इनको न केवल स्त्रियां ही बल्कि आदमी भी इस्तेमाल करते रहे हैं और करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कासमैटिक्स को ही रेग्युलेट करने के लिए यह बिल शासन की तरफ से क्यों लाया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। साथ ही साथ इतनी देरी से लाने की क्या वजह है यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई है। आपने इस में लिखा हुआ है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में प्रसाधन-सामग्री के निर्माण के विनियमन के विषय पर चर्चा की गई थी।

१९६० में जयपुर में जो एक कान्फ्रेंस हुई थी सैंट्रल काउंसिल आफ हैल्थ की, उसने जो सजैशन दिया था, जो रेजोल्यूशन पास किया था, उसको अमल में लाने के लिए आप यह बिल ला रहे हैं, ऐसा कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने रेजोल्यूशन नम्बर १० को देखा है जोकि इस प्रकार है कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये प्रसाधन सामग्री की किस्म का नियंत्रण करना चाहिये—यह परिषद् की राय है।

हमारे श्री कामथ साहब ने कहा है कि इसके पहले का जो रेजोल्यूशन नम्बर ९ है, उसको अमल में लाने का शासन ने आज तक प्रयत्न नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। यह रेजोल्यूशन इस प्रकार है कि औषधियों के निर्माण के पूर्ण विनियमन के लिये आवश्यक है कि औषध अधिनियम, १९४० में उपयुक्त संशोधन किया जाये।

ड्रग्ज एक्ट के एमेंडमेंट को न ला करके केवल कासमैटिक्स के ऊपर जो छोटा सा रेजोल्यूशन है, ध्यान दे कर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने कहा है कि प्रसाधन-सामग्री की किस्म की जांच के लिये कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और ये वस्तुएं उत्तम ही बाजार में बिकनी चाहिएं। इसको ही क्यों इस बिल में लाया गया है और इसका क्या कारण है, यह मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करें। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें बड़े बड़े कारखानेदारों की रक्षा करने की बात निहित है। क्योंकि उनको छोटे छोटे कारखानेदारों से कम्पीटीशन का सामना करना पड़ रहा था, इस वास्ते उनको इस कम्पीटीशन से बचाने के लिए, यह एमेंडमेंट लाया गया है। चूंकि छोटे कारखानेदार अपने माल को सस्ता बेच लिया करते थे, और उनके सामने बड़े कारखानेदार टिक नहीं सकते थे, इस वास्ते बड़े बड़े व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए इसको यहां लाया गया है, ऐसी शंका होती है। यह बिल ड्रग्ज एमेंडमेंट का जो प्रिएम्बल है, उसके विरुद्ध जाता है। वह प्रिएम्बल इस प्रकार है कि औषध के आयात, निर्माण, वितरण और विक्रय को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम।

अब ड्रग्ज का जो मीनिंग (अर्थ) चैम्बर्स डिक्शनरी में दिया हुआ है इसमें कासमैटिक्स नहीं आते हैं। जब इसमें कासमैटिक्स नहीं आते हैं, तो यह चीज जुरिस्प्रुडेंस के भी विरुद्ध जाती है। कासमैटिक्स का मीनिंग इस तरह से दिया गया है कि सौंदर्य बृद्धि के लिये हो। ब्यूटी को इन्क्रीज करने के जो एप्लायेंसिस हैं उनमें और ड्रग्ज में बड़ा फर्क है। जो कुछ ड्रग्ज एक्ट के प्रिएम्बल में कहा गया है, उसके विरुद्ध जा कर कासमैटिक्स को इस एक्ट के अन्तर्गत लाना मैं कहता हूं जुरिस्प्रुडेंस की हत्या करना है। जैसा कासमैटिक्स का डेफीनीशन दिया हुआ है, इसमें नहीं आता है। इसमें से सोप एक्सक्ल्यूडिड है। टायलेट्स को जब आप इसमें रखते हैं तो सोप को क्यों एक्सक्ल्यूड करते हैं। सोप को एक्सक्ल्यूड करके बाकी जितना कासमैटिक्स का सामान है, लिपस्टिक है, पोमेड है, स्नो है, सभी को आपने इसमें शामिल कर दिया है। जो ड्रग्ज एक्ट का प्रिएम्बल है, उसको यदि पढ़ा जाये तो उसमें कासमैटिक्स आते नहीं हैं। जिस तरह से हार्स (अश्व) का अगर कोई डेफीनीशन करता है और उसको वह इस तरह से कर देता है कि अश्व के अर्थ में हाथी, बन्दर, इत्यादि भी सम्मिलित हैं। उसी तरह से आप इसका डेफीनीशन कर रहे हैं। यह लूज डेफीनीशन है और इस तरह के कानून का फायदा कोर्ट में लोगों को मिलता है। कुमकुम जो है, उसको हिन्दुओं में सौभाग्य की निशानी माना गया है। आपने इसको इसमें इन्क्ल्यूड किया है। जिस तरह से आपने सोप को एक्सक्ल्यूड किया है, उसी तरह से आपको चाहिये था कि आप इसको भी एक्सक्ल्यूड करते। इसके साथ भस्म है, जो भस्म लगाई जाती है वह भी इसमें से एक्सक्ल्यूड होनी चाहिये, क्योंकि वह भी लगाई जाती है। साधु लोग रहते हैं, हमारे यहां ५ लाख लोगों का साधु समाज है, वे भी अच्छे दिखने के वास्ते भस्म लगाते हैं, गोपी चन्दन को। वह भी इसमें आ जायेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी जो डेफिनीशन बड़ी हास्यास्पद है।

पनिशमेंट के बारे में आप का कहना है कि चूंकि कास्मैटिक्स जो हैं उन में बहुत अडल्टरेशन रहा है इसलिये उस के लिये ड्रास्टिक पनिशमेंट होना चाहिये। लेकिन ड्रग्ज के अडल्टरेशन

[श्री बड़े]

के वास्ते जो पनिशमेंट का सेक्शन है वह यह है कि वह एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यानी बाध्य किया गया है कि यदि ड्रग्ज़ का अडल्टरेशन हो तो एक साल की सजा देनी ही पड़ेगी। यह सेक्शन २७ में है। लेकिन अब जो कास्मैटिक्स के बारे में अमेंडमेंट लाया गया है उस में "लैस देन वन इअर" जैसा कोई प्राविजन नहीं है। उस में है कि उसे एक वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। ड्रग्ज़ ऐक्ट में जो ड्रास्टिक प्राविजन मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रेशन देने का था, उसे इस में कम किया गया है।

साथ साथ इस में इन्स्पेक्टर को पावर दी गई है कि वही इस मामले में काग्निज़ेन्स ले सकता है। इन्स्पेक्टर ही काग्निज़ेन्स लेगा और वही कोर्ट में दाखिल करेगा तब मुकदमा चलेगा। इस में पुलिस के काग्निज़ेन्स लेने की बात नहीं कही गई है। अगर शासन का उद्देश्य अच्छा होता, कास्मैटिक्स पर कुछ नियंत्रण लगाने की इच्छा होती, तो इस में पुलिस काग्निज़ेन्स की बात होती। इस में रखा गया है कि इन्स्पेक्टर काग्निज़ेन्स ले कर कोर्ट में मुकदमा चलायेगा तब वह चलेगा। इस तरह से इन्स्पेक्टर करप्ट हो जाते हैं। ऐसी हालत में आप जितने कानून बनायेंगे और जितने रेस्ट्रिक्शन्स लगायेंगे उतना ही नीचे के स्तर पर करप्शन बढ़ जायेगा। इन्स्पेक्टर के काग्निज़ेन्स की बात लिख कर बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। यदि वह एक दिन भी गैर हाजिर रहे तो मुकदमा खारिज हो जायेगा।

इस के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ड्रग्ज़ ऐक्ट है उस के साथ यहां पर दूसरा प्राविजन अडल्टरेशन ऐक्ट का लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यह जो कानून बनाया गया है वह बहुत लूज है और **आर्डिनरी प्रिंसिपल आफ जूरिज्प्रुडेन्स** के खिलाफ है। यह बहुत हेस्टिली कंसीव्ड बिल है जो कि यहां प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : पता नहीं इसे औषध (संशोधन) विधेयक क्यों कहा गया है। मूल औषध अधिनियम में तो कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। केवल कुछ स्थानों पर प्रसाधन-सामग्री शब्द जोड़ा गया है। सरकार की आदत है कि वह अपने उद्देश्यों का ढिंढोरा पीट देती है, पर वास्तव में कुछ करती नहीं है। प्रसाधन-सामग्री के बारे में सरकार को अलग से विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिये था।

आजकल तो मिलावट एक फैशन हो गया है। प्रसाधन-सामग्री और औषध में ही नहीं, दूध और खाद्य-पदार्थों में भी मिलावट की जाती है।

श्री कामत ने भयोत्पादक दण्ड की व्यवस्था के लिये कहा है, पर मिलावट की रोकथाम के लिये कोई सरकारी व्यवस्था तक भी नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि जिले के स्तर पर मिलावट को रोकने के लिये उचित व्यवस्था की जाये।

इस में सफलता तभी मिल सकेगी, जब इसके लिये एक व्यापक विधेयक सभा के सामने लाया जाये। वर्तमान व्यवस्था के द्वारा स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकेगा।

वर्तमान विधेयक बड़ा प्रभावहीन सा है। इसलिये इसे वापस लिया जाना चाहिए।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : शृंगार करने में कोई ग़लत बात नहीं है। हमारे देश में भी अत्यन्त प्राचीन काल से शृंगार की परम्परायें बनी हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल महिलाओं पर ही प्रसाधन प्रिय होने का दोष लगाना ग़लत है। प्रसाधन की वस्तुओं का प्रयोग पुरुष और स्त्रियां समान रूप से करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी।

प्रसाधन-सामग्री की वस्तुओं का व्यापार लीवर ब्रादर्स, टाटा, इत्यादि कुछ बड़े उद्योगपति-परिवारों के हाथों में केन्द्रित है। वे अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न हैं। सरकार उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

अनिवार्य रूप से सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है। उस से भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। छोटे-छोटे निर्माताओं पर ही सारा भार पड़ेगा। बड़े-बड़े एकाधिकारियों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उन को तो और संरक्षण मिल जायेगा।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : मैं इस विषय पर केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, वह सर्वथा ठीक है। कोटि पर नियंत्रण हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये किसी भी प्रयत्न का सदन स्वागत करेगा। परन्तु अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं ने जो कुछ देखा है और जिसे स्वयं अधिकारी वर्ग भी स्वयं स्पष्ट रूप से कहते हैं वह यह है कि कार्यान्वित करने वाली मशीनरी बहुत कमजोर है। उस का संगठन इस कार्य को करने में अपर्याप्त है।

मेरा निवेदन है कि सरकारी दृष्टि से तो यह ठीक है कि आखिर इस दिशा में सरकार कुछ कर रही है और संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यदि अधिनियम समुचित रूप से कार्यान्वित न हो सका तो क्या बात बनी, तीसरी बात जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं वह यह कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या इस विधेयक से भारत में बनाई जाने वाली सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुयें भी प्रभावित होंगी, जो बहुत समय से प्रयोग में लाई जा रही है। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि रसायनों से तैयार की जाने वाली सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं का विश्लेषण किस प्रकार किया जायेगा। यदि इस बात का आश्वासन प्राप्त हो जाय कि इस विधेयक को पर्याप्त ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा तो इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिये।

†**डा० द० स० राजू** : मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर काफी रुचि प्रकट की है और सभी दिशाओं में सौन्दर्य प्रसाधन की आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। यह हमारी संस्कृति और जीवन का अंग बन गया है। इस से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे मिलावट से बचाना चाहिये ताकि स्वास्थ्य को हानि न पहुंचने पाये। इस में कोई सन्देह नहीं इन में मिलावट की जाती है परन्तु यह मिलावट इतनी भयंकर नहीं होती जितनी कि खाद्य पदार्थों की मिलावट। भेषज अथवा खाद्य पदार्थ के विषाक्त होने से स्वास्थ्य को बहुत अधिक हानि पहुंचने का भय होता है। अतः इस के लिये बहुत कड़े दंड की व्यवस्था नहीं की गई। यह दंड एक वर्ष के कारावास अथवा ५०० रुपये के जुर्माने तक सीमित रखा गया है। यह भी बात है कि सौन्दर्य प्रसाधनों को प्रथम बार इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

इस विधेयक के पारित होते ही निर्माताओं को लाइसेन्स लेने होंगे। तकनीकी लोगों से परामर्श लेना होगा। इस से स्वयं ही कोटि में भी सुधार होगा और स्वस्थ परिस्थितियों का निर्माण भी हो जायेंगे। साथ ही अच्छे उपकरण भी दिखने लगेंगे। यदि इससे अपेक्षित लाभ न होगा और मिलावट कम नहीं होगी तो फिर हम इस से कड़ी सजा की व्यवस्था कर देंगे। अभी तक जो कुछ किया गया है वह काफी है।

कुछ माननीय सदस्यों का मत है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने और अपराधों को रोकने के लिये हमारे पास अपेक्षित मशीनरी का अभाव है। परन्तु मेरा निवेदन है भेषज नियंत्रण

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० द० स० राजू]

अधिनियम के अन्तर्गत सारे भारत में हमारे पास १०८ भेषज नियंत्रक हैं। वे किसी भी समय किसी भी निर्माता के पास जा कर नमूना मांग सकते हैं। प्रयोगशालाओं की भी व्यवस्था है जिन में भेषजों और सौन्दर्य प्रसाधनों की वस्तुओं का परीक्षण किया जा सकता है। एक भेषज प्रयोगशाला कलकत्ते में है और एक लखनऊ में है। इसी तरह की एक प्रयोगशाला महाराष्ट्र में स्थापित की जा ही है। इसी तरह और भी छोटी मोटी प्रयोगशालायें हैं। सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं के लिये किसी अतिरिक्त संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

यह विधेयक एक छोटा सा संशोधन है, अतः इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस के अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि चूंकि कुछ कुमकुम और काजल में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिये उन को प्रसाधन की वस्तुओं की व्याख्या से निकाल देना सम्भव नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिये प्रस्तुत संशोधन मतदान के लिये रखा गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ३१; विपक्ष में १३९।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भेषज अधिनियम, १९४० में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जावे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ४ (धारा ३ में संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ और ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बड़े** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में "कास्मेटिक" की यह डेफिनीशन दी गई है :—वह सब चीजें जो शरीर पर मलने, शरीर को साफ करने, सुन्दर लगने और आकर्षक बनाने के लिये प्रयोग में लाई जाती हैं और उस के आखिर मे यह कहा गया है :—परन्तु इस में साबुन सम्मिलित नहीं।'

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं ने यह अमेंडमेंट दिया है कि इस के आगे यह एंड कर दिया जाये :—

"कुमकुम, एश, मेंहदी, काजल और अन्य सभी चीजें जिन्हें धार्मिक तथा सामाजिक समारोहों पर प्रयोग किया जाता है ।"

इस का कारणयह है कि मैरिज आदि सोशल तथा रिलिजस फंक्शन्ज के अवसर पर **मेंहदी इज आलवेज एप्लाइड, काजल इज आलवेज एप्लाइड एंड कुमकुम इज स्मीयड आनदि हेयर** । इस में सोप को **इन्क्लूड** नहीं किया गया है । सोप एक **कास्मेटिक** है, लेकिन उस को **एक्सक्लूड** किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस के साथ ही साथ हिन्दू शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य के लिये स्त्रियां जो चीजें लगाती हैं, उन को भी **एक्सक्लूड** कर देना चाहिये । **रिलिजस अकेशन्ज** पर जो **आयंटमेंट** प्रयोग में लाये जाते हैं, वे आज-कल बाज़ार में तैयार मिलते हैं । घर की औरतों के लिये उन को कूट कर तैयार करना मुश्किल होता है इसलिये बम्बई और इन्दौर में वे बाज़ार में तैयार मिलते हैं । **दैट इज ऐन आयर्वेदिक प्रेपेरशन** । वह एक **होमली प्रेपेरेशन है** । दीवाली के रोज़ एक **प्रेपरशन** तैयार होता है, जिस को मराठी में "उबटना" कहते हैं । इसी प्रकार एक तरह का सुगंधित पाउडर भी लगाया जाता है । उन सब वस्तुओं को **एक्सक्लूड** कर देना चाहिये । "**कास्मेटिक**" की डेफ़िनीशन इतनी **वाइड** कर दी गई है कि उस में उन चीज़ों को **इन्क्लूड** कर लिया गया है, जोरब, **पोर, स्प्रिकल या स्प्रे** की जा जाती हैं । मैं चाहता हूं कि कुमकुम, मेहंदी और काजल आदि को भी **एक्सक्लूड** करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ५ को अलग से प्रस्तुत करता हूं । श्री कामत तथा एक मननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया है कि वह यह कि यदि एक धारा के संशोधन के लिये विधेयक प्रस्तुत हो तो उस में उस सम्बद्ध खंड की सभी धाराओं के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अतः यह संशोधन कानूनी तौर पर भी नियम बाह्य है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५, ६ और ७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ८ (धारा १० में संशोधन)

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ से २२ तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३ (नया खंड)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**डा० उ० स० राजू** : धारा ३३ की उपधारा (३) में इस की व्यवस्था है अतः इस की कोई आवश्यकता नहीं

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ऐसा है तो मैं इस पर जोर नहीं देता ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या ९ वापिस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० द० स० राजू** : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम) : ऐसा न हो कि माननीय मंत्री महोदय तथा उन के किसी उत्तराधिकारी को इस संशोधन विधेयक को, जो अब अधिनियम बन् रहा है, रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़े । और भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधनों के लिये अलग अलग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ ।

'केरमिन' शब्द अंग्रेजी का नहीं है । मूल अधिनियम में यह शब्द सन् १९५५ में जोड़ा गया था ।

†**अध्यक्ष महादय** : मेरा विचार था कि यह भषज अधिनियम १९४० में भी था । इस का मतलब तो यह हुआ कि यह बाद में रखा गया है ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नम्बियार** : तो क्या भविष्य में इस अधिनियम का जो प्रकाशन होगा उस में इसे ठीक किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । पारित हो जाने के बाद इस प्रकार की भूलें अध्यक्ष द्वारा ठीक की जा सकती हैं । यदि यह आज पारित किया गया होता तो मैं इसे ठीक कर देता । चूंकि यह बहुत दिनों से चला आ रहा है अतः यह एक संशोधन विधेयक द्वारा ही ठीक किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों का दिया जाना

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : सन् १९५५ में जब अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम पारित हुआ था तो जनसाधारण को धारणा हो गई थी कि अब सभी नियंत्रित वस्तुएं सभी लोगों को नियंत्रित मूल्य पर मिलने लगेंगी तथा उन वस्तुओं का विभाजन सभी लोगों को समान रूप से होने लगेगा। इस अधिनियम की धारा ३ में भी यही कहा गया हैं कि इसका उद्देश्य समान वितरण तथा वस्तुओं का उचित मूल्य पर उपलब्ध करना हैं। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं हुई। प्रशासकों का ध्येय कभी भी समान रूप से वितरण करने का नहीं रहा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन चादरों के बंटने के बारे में मैं ने एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में १४ मई १९६२ को जो बताया गया उससे यह प्रकट होता हैं कि विभिन्न राज्यों के साथ पक्षपात किया गया हैं। कुछ राज्यों को जो आवंटन किया गया हैं वह कभी भी पूरा परा नहीं दिया गया। दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे भी है जिनके लिये आवंटन तो कम किया गया हैं किन्तु माल अधिक दिया गया है। इन बातों को विस्तृत चर्चा न करते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि गुजरात राज्य और विशेष रूप से गुजरात में मेरे ज़िले के सम्बन्ध में पक्षपात किया गया हैं। मेरे ज़िले के लिये सन् १९६० और १९६१ में क्रमश: १४०१ और ४०४१ टन चादरों का आवंटन किया गया किन्तु संभरण बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि यह मामला निरा पक्षपात अकुशलता अथवा भ्रष्टाचार का हैं। बंगाल और दिल्ली को निर्धारित कोटा से भी अधिक चादरें दी गई है और यह देखने में आया हैं कि जो चादरें अधिक दी गई है उनको चोर-बाज़ारों से बेचा गया हैं। इस प्रकार धनी लोगों ने और भी अधिक धन कमाया हैं। इस प्रकार हम देखते है कि उच्च पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार अधिक हैं और बदनाम किया जाता हैं छोटे वर्ग के लोगों को। आज देश में भ्रष्टाचार उच्च वर्ग के अधिकारियों में बहुत है। यदि ये लोग ठीक हों तो छोटे वर्ग के लोग अपने आप ठीक हो जायेंगे। यहां यह मामला मैं सरकार के सामने प्रस्तुत करता हूं जहां कि वह नियंत्रक के विरुद्ध भ्रष्टाचार करने के लिये कार्यवाही कर सकती हैं।

इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश १९५६ जारी किया गया। इस आदेश के अधीन सरकार ने १२ मई १९५६ तथा २ मई १९५७ को दो अधिसूचनाएं जारी की गईं। इसके बाद २० जनवरी १९६२ को भी एक अधिसूचना जारी की गई। इनको देखने से यह प्रकट हो जाता हैं कि बेईमानी तथा भ्रष्टाचार करने के लिये किस प्रकार छूट दी गई हैं। इन अधिसूचनाओं के अधीन यह होता हैं कि ज़िला अधिकारी जाली नाम से परमिट बांट देता हैं और वे लोग कभी चादरें लेने नहीं आते अत: चादर बेचने वाला व्यक्ति ९० दिन पूरे हो जाने के बाद उन चादरों को चोर बाज़ार में बेच देता हैं। इस प्रकार व्यापारी ज़िला अधिकारी को लाभ पहुंचाता हैं और ज़िला अधिकारी व्यापारी को। चूंकि अधिसूचना में लिखा गया हैं कि व्यापारी ९० दिनों बाद अपने कोटा को बेच सकता हैं अपनी मर्जी के अनुसार। आवश्यकता इस बात की हैं कि इस अधिसूचना में यह संशोधन किया जाये कि व्यापारी तब तक नया कोटा नहीं ले सकता जब तक कि उसका पहला कोटा समाप्त नहीं हो जाता तो यह होने वाला भ्रष्टाचार एक दम समाप्त हो जायेगा। बड़े आश्चर्य

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा

[श्री पु० र० पटेल]

की तो बात यह है कि पुलिस तथा सभी अधिकारी चुपचाप यह तमाशा देख रहे हैं और कोई भी इस प्रकार के होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा हैं। ये पुलिस वाले भी तो इस प्रकार के सौदों में अपना भाग लेते है। वे भी रिश्वत लेते है।

इस लोकतंत्र के दो शत्रु है। एक हैं भ्रष्टाचार और दूसरा है चोरबाज़ारी। हमारे देश को स्वतंत्र हुए इतने दिन हो गये किन्तु अभी तक हम इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते है। आज सरकार के प्रति जो असंतोष की भावना मिलती हैं उसका कारण ये बड़े पदाधिकारी ही हैं जो भ्रष्टाचार तथा चोर बाज़ारी में सहायता करते है।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल** (मेहसाना) : मेरा प्रश्न यह हैं कि दो राज्यों को [अतिरिक्त कोटा दिया गया हैं। अब मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि निधारित कोटा का ठीक समय पर संभरण करने के लिये सरकार की योजना क्या है? तथा इन चादरों का निर्माण बढ़ाने के लिये सरकार क्या करगी ताकि हम उस स्थिति में पहंच सकें जिससे कि ये चादरे बिना कंट्रोल के ही मिलने लगें।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : क्योंकि यह प्रश्न तथ्य एवं आंकड़ों से पूर्ण हैं मैं ने इसकी सावधानी से जांच नहीं की हैं। अगर इस मामले में और जांच करने की आवश्यकता होगी तो इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं अवश्य ही इसकी जांच कराऊंगा।

इन आंकड़ों को जो कोई भी देखेगा उसके दिमाग में वही संदेह उत्पन्न होगा जो कि माननीय सदस्य को हुआ हैं। १९६०–६१ में गुजरात को २२,६७४ टन भेजा गया था जिसमें से भेजा गया केवल १,८४४ टन। १९६१–६२ में ३७,७१० टन में से २२,२१ टन भेजा गया। १९६०–६१ में जब कि बंगाल को २१,१७१ टन की अपेक्षा ३३,५३३ टन भेजा गया और १९६१–६२ में २१ हज़ार टन की अपेक्षा ३१ हज़ार टन भेजा गया था। अतः हर कोई यह अनुमान लगायेगा कि कहीं न कहीं अवश्य ही कोई मूल भूल हैं। यही कारण हैं कि यह आधे घंटे की चर्चा उठाई गई और मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया गया।

मैं ने इस प्रश्न की अच्छी तरह छानबीन की और मैं कलकत्ता भी गया वहां भी पदाधिकारियों से स्वयं जानकारी प्राप्त की कि यह किस प्रकार हुआ। और मैं अब इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि तथ्यों का सही निरूपण नहीं हुआ हैं।

इस बात से यही परिणाम निकलता है कि कुछ राज्यों को दूसरों का हक छीनकर अधिक कोटा दिया गया हैं। वास्तविक स्थिति का वर्णन करने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि किस तरह आवंटन किया जाता है और किस प्रकार उनका संभरण होता है। इनका आवंटन मंत्रालय की स्वीकृति के साथ लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा किया जाता हैं। आवंटन करते समय यह बात ध्यान में रखी जाती हैं कि पहले तो केन्द्रीय मंत्रालय जैसे प्रतिरक्षा मंत्रालय रलवे बोर्ड विकास शाखा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को आवंटन किया जाता हैं। राज्यों को जो कोटा दिया जाता हैं वह राज्य इस्पात अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। चादरों का कोटा आ जाने पर केन्द्रीय कोटा देने वाले पदाधिकारी कोटा खर्च करने वाले व्यक्तियों अथवा ठेकेदारों को अनुज्ञप्तियां

---

†मूल अंग्रेजी में

*जारी करते है। राज्यों के मामले राज्य के पदाधिकारी सरकारी विभागों, व्यक्तियों अथवा ठेकेदारों और पंजीकृत व्यापारियों के नाम अनुज्ञप्तियां देते है। कोटा सर्टीफिकेट मिल जाने के बाद ये लोग या तो सीधे उत्पादकों को अथवा देश भर के पंजीकृत विक्रेताओं के पास अपनी मांग भेजते है। इनकी मांग आ जाने पर ये पंजीकृत विक्रेता तथा उत्पादक लोहा और इस्पात नियंत्रक के द्वारा अपनी मांग चादरें प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करते है। यह नियंत्रक इन मांगों की अच्छी तरह जांच करने के बाद उत्पादकों को आदेश देते हैं। आदेश देते समय यह बात ध्यान में रखी जाती हैं कि कोटा लेने वाले के पास ही कोटा देने वाला उत्पादक अथवा विक्रेता हो। उत्पादक को आदेश मिल जाने के बाद वह उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध स्थापित करके वित्त आदि की व्यवस्था करने के लिये कहता हैं। यह सब कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद चादर तैयार करने के लिये उत्पादक आदेश देते है। इस प्रकार इन चादरों का आवंटन किया जाता है।

आप देखेंगे कि जब तक आवंटन निर्धारित नहीं हो जाता तब तक संभरण का काम शुरू नहीं हो सकता। प्रतिरक्षा मंत्रालय रलवे, सिंचाई तथा विद्युत् योजना, निर्यात वृद्धि खदान आदि की मांगों को सब से पहली प्राथमिकता दी जाती हैं। इन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद फिर उन लोगों को कोटा दिया जाता हैं जिनकी मांग काफी दिनों से पड़ी है।

जो विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है उसमें संभरण के जो आंकड़े दिखाये गये हैं उनमें वे संभरण भी शामिल है जिनकी मांग पहले की थी और जो संभरण अभी हाल में किया है। यदि केन्द्रीय कोटा के संभरण को निकाल दिया जाये तो संभरण के आंकड़े भिन्न हो जायेंगे। जैसे कि गुजरात के मामले में २२,६७४ टन की अपेक्षा १४२२ टन और ३७,७१० टन की अपेक्षा १२५२ टन का संभरण किया गया। और बंगाल के लिये २१,१७१ टन की अपेक्षा केवल ६,२५० टन का संभरण किया गया। यह कोटा पूरे राज्य का है। केन्द्र के कोटा तथा राज्य के कोटा में मैंने अन्तर कर दिया है।

चूंकि बंगाल में चादर निर्माण करने वाले कारखाने कई हैं इसलिये यह स्वभाविक है कि केन्द्रीय कोटा वहीं से अधिक आयेगा। यही कारण है कि पश्चिमी बंगाल का कोटा अधिक दिखाया जायेगा। अतः आप देखेंगे कि १९६०–६१ में बंगाल का कोटा ३३,५३३ टन था जब कि संभरण केवल ६,२५० टन का ही किया गया था। इसमें से २७ हजार टन कोटा केन्द्रीय कोटा था। इसलिये माननीय सदस्य को इस भ्रान्ति में नहीं पड़ना चाहिये कि यह सारा कोटा पश्चिम बंगाल के लिये ही था इसमें केन्द्रीय कोटा भी सम्मिलित है।

अतः सही स्थिति जानने के लिये आवश्यक है कि यह मालूम किया जाये कि केन्द्रीय कोटा कितना है तथा राज्यों का कोटा कितना है। हां इतना है कि गुजरात को २२,००० टन की अपेक्षा १४०० टन कोटा दिया गया हो और बंगाल को २१,००० टन की अपेक्षा ६,२५० टन का कोटा दिया गया। यह ठीक है कि पश्चिमी बंगाल को अपेक्षाकृत अधिक कोटा दिया गया है। इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इन कारणों में पहिला कारण तो केन्द्र तथा राज्य के कोटा हैं तथा इसके अलावा प्रत्येक राज्य की अपनी स्थिति एवं उसके लिये किये जाने वाले संभरण की भी बात है। इसके अलावा आवंटन तथा संभरण के बीच होने वाले समय की अवधि का भी प्रश्न है। १९६०–६१ और १९६१–६२ में जो संभरण किया गया है उसमें से बहुत सा संभरण तो ऑर्डर के बारे में र जो १९५८–५९ और १९५९–६० में किया गया था। कुछ राज्य सर्टीफिकेट जारी करने और धन आदि की व्यवस्था करने में काफी समय लगा देती है। तीसरे कुछ राज्यों में कोटा पाने वाले व्यक्ति नियंत्रण

[श्री वि० सुब्रह्मण्यम]

के अधीन माल रखने वाले विक्रेताओं को पर्याप्त आदेश देते हैं। चौथे कोटे का आदेश उन विक्रताओं की मार्फत दिया जाता है तो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। कुछ लोग कलकत्ता से कोटा लेना पसन्द करते हैं क्योंकि वहां चादर बनाने वाले कारखानों की संख्या अधिक है। इस प्रकार कलकत्ता को न केवल उस राज्य का, केन्द्रीय मंत्रालयों का बल्कि दूसरे राज्यों का भी कोटा मिलता है। इस सम्बन्ध में भी मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं।

सारी स्थिति का पर्यावलोकन करने के बाद में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने उपस्थित की है। जहां तक पश्चिमी तथा दक्षिणी राज्यों की बात है वहां रेलवे यातायात के अवरोध का भी प्रश्न है। हालांकि सामान होने पर भी अवरोध के कारण सामान समय पर नहीं पहुंच पाता। और उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को इनकी अपेक्षा माल जल्दी एवं सरलता से पहुंच जाता है। अतः यह कहना गलत है कि लोहा इस्पात नियंत्रक भ्रष्टाचारी है अथवा वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं अथवा आवंटन करते समय राज्यों के साथ वे भेदभाव करते हैं। हां इतना में स्वीकार करता हूं कि संभरण के मामले में और भी अच्छा काम हो सकता था और समान क मामले मे तीव्रता से काम लिया जा सकता था अब हमने यह निश्चित कर दिया हैकि प्रत्येक महीने में कितना कितना माल भेजा जाये। हमने एक राष्ट्रीय सूत्र बना लिया है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को कितना कोटा दिया जायेगा यह निश्चित किया गया है। और इस सूत्र का कठोरता के साथ पालन किया जायेगा। लेकिन फिर भी पश्चिनी बंगाल की स्थिति अच्छी रहेगी। इसे १५००टन मिलेगा, उत्तर प्रदेश को ६०० टन और दिल्ली को १२० टन मिलेगा। जब कि गुजरात को २०० टन ही मिल सकेगा। हमारे सामने बात केवल आवंटन की ही नहीं है बल्कि उसके संभरण की भी है। हमें संभरण के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में संभरण की स्थिति अच्छी रहेगी।

इसके अलावा अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो उसकी जांच की जायेगी।

मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि नियंत्रण के साथ साथ भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है और यदि उच्च पदाधिकारी ठीक हों तो नीचे के पदाधिकारी अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसलिये हम सदैव ही यह प्रयत्न करते है कि ये नियंत्रण समाप्त हो जाय और नियंत्रण तभी समाप्त हो सकते हैं जब कि हमारे यहां उत्पादन अधिक हो।

रूरकेला में चौरस चादर बनाने का काम सौंपा गया था। लेकिन वहां कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आईं और हम उन कठिनाइयों को हल करने की प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वहां अधिक चादरें बनाने लगगी। वहां की स्थिति में शीघ्र ही सुधार होने की आशा है। हो सकता है कि वहां एक दो वर्ष भी लग जाय। लेकिन इस दौरान में भी इस्पात मंत्रालय का यह प्रयत्न रहेगा कि सभी को समान रूप से संभरण किया जायेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे दो या तीन सदस्यों की एक समिति बनालें और वे इन कारखानों तथा लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में समस्त तथ्यों और आंकड़ों की जांच कर लें और यदि उन्हें वहां कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो मैं निश्चय ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। और जहां तक चोर बाजारी की बात है यदि माननीय सदस्य मुझे कोई निश्चित मामला बनायें तो मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि मैं निश्चय ही उनकी जांच करूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २१ जून, १९६२

३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

१५९१	केरल में बिजली के ट्रांसफार्मरों का कारखाना	५५६५–६६
१५९२	औद्योगिक इंजीनियरी शिक्षण की राष्ट्रीय संस्था	५५६६—६८
१५९३	खानों के लिये प्रविधिक कर्मचारी	५५६८—७०
१५९४	भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा काम में लायी गयी पी० एल० ४८० निधियाँ	५५७०–७१
१५९५	डाक द्वारा शिक्षा और सायंकालीन कालेज	५५७१–७४
१५९६	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद	५५७४—७७
१५९७	उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखाना	५५७७–७८
१५९८	चिकित्सा स्नातक	५५७८—८०
१५९९	कुछ छावनी बोर्डों का विघटन	५५८०–८१
१६०१	'चाइना टु-डे'	५५८१
१६१४	'चाइना टु-डे	५५८१—८३
१६०२	विदेशी पर्यटक	५५८३—८५
१६०४	बैंक आफ चाइना	५५८५—८७
१६०५	तेल की रायल्टी	५५८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या

१६००	इस्पात संयंत्रों के लिये लौह अयस्क	५५८८
१६०३	पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया व्यवसाय कर	५५८९
१६०२-क	विद्रोही नागाओं का पूर्वी पाकिस्तान भाग जाना	५५८९
१६०६	आनरेरी मजिस्ट्रेट	५५८९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६०७	फ्लाइट कालेज, इन्दौर	५५९०
१६०८	दिल्ली में 'खेल गांव'	५५९०
१६०९	विद्यार्थियों का राजनीति में भाग लेना	५५९०
१६१०	कोयला उत्पादन का लक्ष्य	५५९१
१६१२	भिलाई इस्पात कारखाना	५५९१
१६१३	सफेद सीमेंट का निर्माण	५५९१
१६१५	तेल शोधक कारखानों में राज्यों का अंश	५५९२
१६१६	डीज़ल इंजनों के निर्माण के लिये लाइसेंस देना	५५९२
१६१७	टाइम एण्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन एण्ड मानिटरिंग सेंटर	५५९२
१६१८	एवरेस्ट अभियान—१९६२	५५९३
१६१९	मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कोयले का उत्पादन	५५९३
१६२०	चीन की आकाश सीमा का कथित अतिक्रमण	५५९३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३६३७	भारतीय सेना संगीत	५५९४
३६३८	नारियल की खली	५५९४
३६३९	नवसाक्षरों के लिये साहित्य	५५९४–९५
३६४०	उत्तर प्रदेश में विकास के लिये अनुदान	५५९५
३६४१	सैनिकों की जीवन कालिक अवशेष राशियां	५५९५–९६
३६४२	पेंशनर	५५९६–९७
३६४३	उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान	५५९७
३६४४	स्टीम टर्बाइन जनेरटरों का निर्माण	५५९७–९८
३६४५	केरल में स्टेनलैस स्टील फैक्टरी	५५९८
३६४६	गृह-कार्य मन्त्री का स्वविवेक सम्बन्धी अनुदान	५५९८
३६४७	राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज	५५९९
३६४८	प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये विद्वान	५५९९–५६००
३६४९	मद्रास में बाढ़ के दौरान सैनिक सहायता	५६००
३६५०	पचमढ़ी में सैनिक स्कूल	५६००
३६५१	रद्दी लोहे का निर्यात	५६००–०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६५२ रद्दी लोहे का निर्यात ५६०१
३६५३ रद्दी लोहे का निर्यात ५६०१–०२
३६५४ गलाया जाने वाला भारी रद्दी लोहा . . . ५६०२
३६५५ न्यायालयों में वकील ५६०२
३६५६ उड़ीसा में पुरातत्वीय खुदाइ ५६०२–०३
३६५७ उड़ीसा के महालेखापाल का कार्यालय . . ५६०३
३६५८ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनायें . . . ५६०३
३६५९ उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टरेट . . . ५६०४
३६६० उड़ीसा में पुराने स्मारकों के परिरक्षण के लिये अनुदान . . ५६०४
३६६१ उत्कल विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक समारोहों के लिये अनुदान . ५६०५
३६६२ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जल सुविधायें ५६०५
३६६३ उड़ीसा में कृषि बस्तियां . . ५६०५–०६
३६६४ मनीपुर में हत्यायें ५६०६
३६६५ मनीपुर से इंजीनियरिंग विद्यार्थी . . . ५६०६–०७
३६६६ नागा उपद्रवियों और सुरक्षा सैनिकों में मुठभेड़ ५६०७
३६६७ जम्मु तथा काश्मीर में 'ब्रिक्वेटिंग प्लान्ट' . . ५६०७–०८
३६६८ आयकर की बकाया राशि . . ५६०८–०९
३६६९ त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी . ५६०९
३६७० दिल्ली के स्कूलों के लिये शिक्षा संहिता . ५६०९
३६७१ रेलवे सेवाओं में प्रथम श्रेणी के अप्रविधिक कर्मचारी . . ५६०९–१०
३६७२ सर्वे आफ इण्डिया के विभागीय छुट्टी पर गये कर्मचारी . ५६१०
३६७३ पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी ५६१०–११
३६७४ मनीपुर में नागा उपद्रवी . . ५६११
३६७५ मनीपुर में हत्या के मामले . . ५६११–१२
३६७६ बर्दवान में तार खींचने के संयंत्र की स्थापना . . ५६१२
३६७७ त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा के शिक्षा का माध्यम बनाना ५६१२
३६७८ त्रिपुरा में वन सम्पत्तियों में आग लगना ५६१२–१३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३६७९	मेसर्स एस० डी० सेडिया एण्ड कम्पनी द्वारा कोयले की बिक्री .	५६१३
३६८०	अमान्य मतपत्र	५६१३–१४
३६८१	महाराष्ट्र में सीमेंट का कारखाना .	५६१४
३६८२	आदर्श पुस्तकालय अधिनियम . .	५६१४
३६८३	भारी इंजीनियरिंग सन्यन्त्र, राँची . . .	५६१५
३६८४	गैर सरकारी क्षेत्र में भारी बिजली उपकरण का निर्माण .	५६१५
३६८५	अनुसूचित क्षेत्रों और नेफा में सड़कें . . .	५६१५
३६८६	विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमण्डलों के लिये विदेशी मुद्रा .	५६१६
३६८७	हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) में ढलाई का कारखाना . .	५६१६
३६८८	व्यापार गृहों में काम करने वाले अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी .	५६१६
३६८९	उड़ीसा में इलैक्ट्रानिक्स	५६१७
३६९०	आग सलाहकार समिति . . .	५६१७
३६९२	केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनायें . . .	५६१७–१८
३६९३	राज्य सम्मान	५६१८
३६९४	खनन् पट्टों के लिये राज्यों को स्वामित्व . . .	५६१८
३६९५	तीसरी योजना में नये कालेज	५६१८–१९
३६९६	स्कूल अध्यापकों के प्रतिपालयों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियाँ .	५६१९–२०
३६९७	स्त्रियों का अनैतिक पण्य	५६२०–२१
३६९८	त्रिपुरा में अस्पृश्यता	५६२१
३६९९	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	५६२१
३७००	भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	५६२१–२२
३७०१	रूरकेला इस्पात कारखाना . . .	५६२२
३७०२	इस्पात कारखानों में मजदूरों को सुविधायें .	५६२२
३७०३	शिक्षा के लिये विदेश भेजी गई स्त्रियाँ .	५६२२–२३
३७०४	सीमेण्ट निर्माण के लिये लाइसेंस . .	५६२३
३७०५	लखनऊ में अन्तर्विश्वविद्यालय खेल .	५६२३
३७०६	आजाद हिन्द फौज का स्मारक .	५६२३–२४
३७०७	उड़ीसा में भुसुन्डपुर में हाई स्कूल	५६२४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :		
३७०८	'मानवी' भाषा लिपि	५६२४
३७०९	सेना फार्मों में दूध का उत्पादन	५६२४–२५
३७१०	दिल्ली में अनधिकृत भवन निर्माण	५६२५
३७११	त्रिपुरा नगर आउट एजेंसी द्वारा नये ट्रकों की खरीद	५६२५
३७१२	पश्चिम बंगाल में आदिम जातियों के उत्थान के लिये अनुदान	५६२५–२६
३७१४	दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में बिजली लग जाने से मृत्यु	५६२६
३७१५	दहेज निषेध अधिनियम के अधीन मामले	५६२७
३७१६	जनता से ऋण और बचत	५६२७–२८
३७१७	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये चंडीगढ़ भत्ता	५६२८
३७१८	शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता	५६२९
३७१९	जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त मकान का किराया	५६२९
३७२०	दक्षिण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह	५६३०
३७२१	रिनाल्ट कार का निर्माण	५६३०
३७२२	उत्तर प्रदेश में भारी विद्युत् उपकरण फैक्टरी	५६३०–३१
३७२३	महाराष्ट्र के लिये नालीदार लोहे की चादरें	५६३१
३७२५	हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों के दावे	५६३१
३७२६	हिमाचल प्रदेश में कुछ सरकारी दफ्तरों में आग लगना	५६३१–३२
३७२७	आँध्र प्रदेश में ग्रामीण विश्वविद्यालय	५६३२
३७२८	विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश (आँध्र प्रदेश) का संशोधन	५६३२
३७२९	दिल्ली में किरायेदारों की बेदखली	५६३३
३७३०	गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल, मालवीयनगर, नई दिल्ली	५६३३–३४
३७३१	वर्जिनिया तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	५६३४
३७३२	राजस्थान और महाराष्ट्र में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण स्कुल	५६३४–३५
३७३३	दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक	५६३५
३७३४	दिल्ली के स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक	५६३५
३७३५	दिल्ली के स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक	५६३६
३७३६	बैंकों में सन्तान भत्ता	५६३६
३७३७	रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के कर्मचारियों के भत्ते	५६३७
३७३८	इकन्नी का सिक्का	५६३७

	विषय	संख्या
प्रश्नों के लिखत उत्तर—क्रमशः		
३७३९	पिघलाया जाने वाला भारी रद्दी लोहा आदि . . .	५६३८
३७४०	रद्दी लोहे आदि का निर्यात . . .	५६३८–३९
३७४१	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना	५६३९–४०
३७४२	सार्वजनिक समवायों के अंश . . .	५६३९–४०
३७४४	हिमाचल प्रदेश में कालपा बस्ती की भूमि का अधिग्रहण . .	५६४०
३७४५	पंजाब के सीमावर्ती जिले	५६४०
३७४६	सीमावर्ती जिलों आदि का विकास	५६४०
३७४७	अनूसूचित जातियों आदि के लिये धन . . .	५६४०–४१
३७४८	राज्य विधिजीवी परिषदें . . .	५६४१
३७४९	सांस्कृतिक अनुदान	५६४१–४२
३७५०	उरई (उत्तर प्रदेश) में माहिल की मूर्ति . . .	५६४२
३७५१	राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें . . .	५६४२
३७५२	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियाँ	५६४३–४५
३७५४	दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य पुस्तकें . . .	५६४५
३७५५	इंडो कमर्शियल बैंक	५६४५–४६
३७५६	भूतपूर्व राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे . . .	५६४६
३७५७	कर्मचारी कल्याण पुनर्विलोचन समिति . .	५६४६
३७५८	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में चोरियाँ . . .	५६४७
३७५९	आय-कर निरीक्षकों के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा .	५६४७–४८
३७६०	मध्य प्रदेश में छावनी बोर्डों की स्थापना . . .	५६४८
३७६१	मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर तस्कर व्यापार को रोकना .	५६४८–४९
३७६२	अफीम का तस्कर व्यापार	५६४९
३७६३	चुराई गयी कारें	५६४९
३७६४	राष्ट्रीय सेना छात्र दल में अध्यापक . . .	५६५०
३७६५	पिछड़े वर्गों के लिये अखिल भारत बोर्ड . .	५६५०
३७६६	डेनमार्क से ऋण	५६५१
३७६७	दिल्ली में ईंटों की चोरबाजारी	५६५१
३७६७-क	केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था, लखनऊ . .	५६५१
३७६७-ख	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये पद	५६५१–५२
३७६७-ग	एयर बुकिंग	५६५२

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ५६५२–५४

(१) श्री यलमन्दा रेड्डी ने यूरोपीय साझा बाजार के बारे में ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डल सम्बन्धों के राज्य-सचिव के साथ हुई उनकी हाल की बातचीत की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा के कमलपुर सब-डिवीजन और अन्य भागों में हाल में आई भारी बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५६५४–५७

(१) समुद्र सीमा शुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३क की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५७ ।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३२७ ।

(ग) दिनांक १८ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६७ ।

(घ) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९२ ।

(ङ) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९३ ।

(च) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९४ ।

(छ) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९५ ।

(ज) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १९२३ ।

(झ) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५३ द्वारा संशोधित दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२४ ।

विषय पृष्ठ

(ञ) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २२ ।

(ट) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३ ।

(ठ) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २४ ।

(ड) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९ ।

(ढ) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३७ ।

(ण) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६८ ।

(त) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६९ ।

(थ) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८७ ।

(द) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८८ ।

(ध) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८९ ।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३९४ जिसमें दिनांक २० मई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९५ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ख) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८५ जिसमें दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९४ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ग) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८८ जिसमें दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १६४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ सितम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ११५०।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १२५८।

(ग) दिनांक ४ नवम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १३२८।

(घ) दिनांक २ सिदम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२१।

(ङ) दिनांक ६ दिसम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १४४५।

(च) दिनांक २४ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २३२।

(छ) दिनांक ३ मार्च, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २६६।

(ज) दिनांक १० मार्च, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २८६।

(झ) दिनांक २ जून, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या ७३२।

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) दिनांक १२ सितम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ११२३।

(ख) दिनांक १ नवम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १३१६।

(ग) दिनांक १ दिसम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३४।

विषय पृष्ठ

(घ) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३५ ।

(ङ) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३६ ।

(च) दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४३७ ।

(छ) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६७ ।

(५) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १३९८ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) चौथा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(६) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २६ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१८ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(सात) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की पहले सत्र में हुई बैठकों (एक से तीन) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

(आठ) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की पहले सत्र में हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ५६५७–६४

(१) गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) ने न्यू सेण्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी के मकान की तलाशी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ पर श्री अन्सार हरवानी द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ८ जून, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

(२) इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) ने सोलवीं प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत ५६५७

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने २६–४–६२ को सभा पटल पर रखे गय भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में संशोधन करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पारित ५६६४–६६

स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) ने प्रस्ताव किया कि भेषज (संशोधन) विधेयक, पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

आधे घण्टे की चर्चा ५६७७–८०

श्री पु० र० पटेल ने राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ११९८ के १४ मई, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई।

इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) ने चर्चा का उत्तर दिया।

शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे मे प्रस्ताव पर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा।

GMGIPND—LSIII—1270(Ai)LSD—11-12-62—140.